ISSN 0973-8568

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल

वर्ष 17 | दिसम्बर 2019 | अंक 2

प्रधान सम्पादक
नलिनी रेवड़ीकर

सम्पादक
यतीन्द्रसिंह सिसोदिया

उप सम्पादक
आशीष भट्ट
सुदीप मिश्र

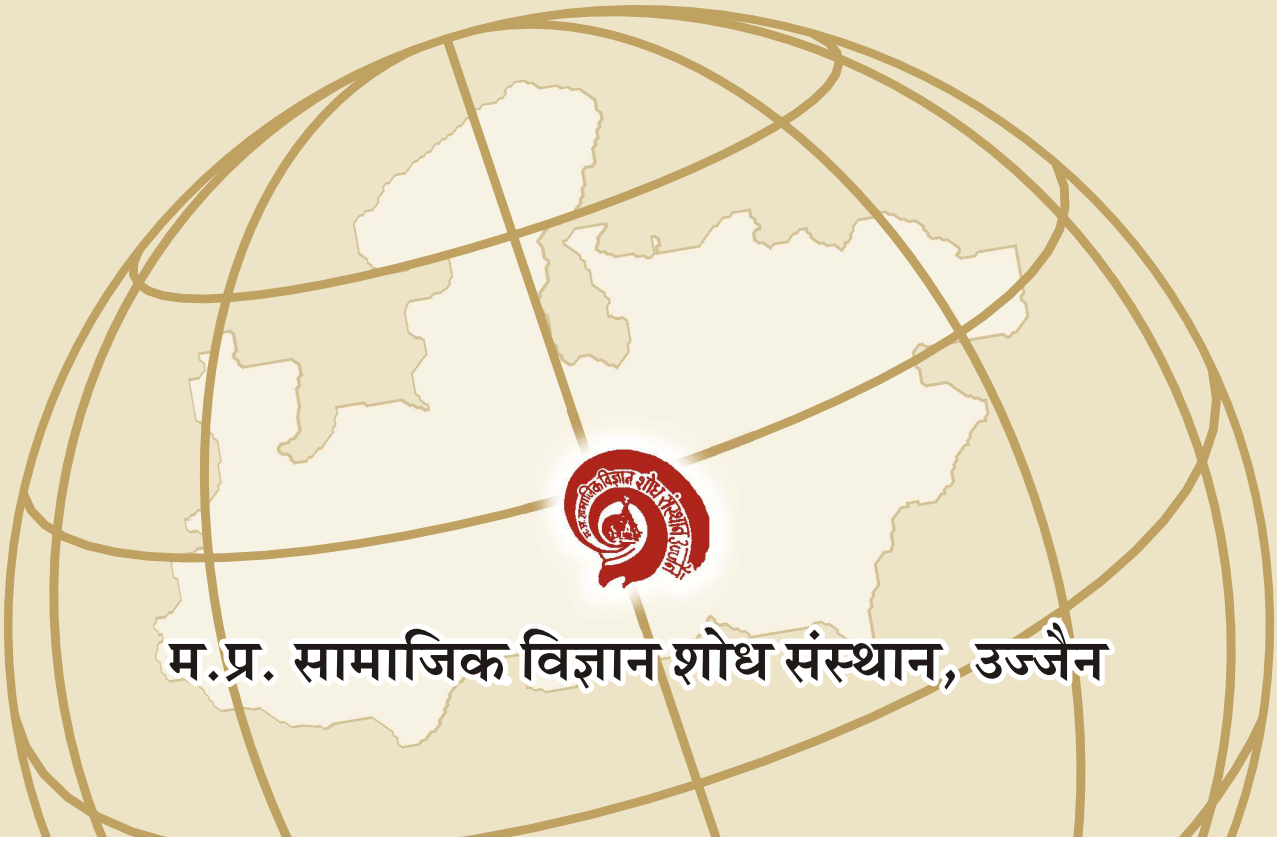

म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल

प्रधान सम्पादक

प्रोफेसर नलिनी रेवड़ीकर

सम्पादक

प्रोफेसर यतीन्द्रसिंह सिसोदिया

उप-सम्पादक

डॉ. आशीष भट्ट

डॉ. सुदीप मिश्र

सलाहकार मण्डल

प्रोफेसर गोपालकृष्ण शर्मा
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

प्रोफेसर अनिल कुमार वर्मा
क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर (उ.प्र.)

प्रोफेसर संजय लोढ़ा
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)

प्रोफेसर मणीन्द्रनाथ ठाकुर
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

प्रोफेसर डी.एम. दिवाकर
ए.एन. सिन्हा समाज विज्ञान संस्थान, पटना (बिहार)

प्रोफेसर बद्रीनारायण
जी.बी. पन्त समाज विज्ञान संस्थान, इलाहबाद (उ.प्र.)

प्रोफेसर सन्दीप जोशी
म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.)

ISSN 0973-8568

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल

वर्ष 17 दिसम्बर 2019 अंक 2

प्रधान सम्पादक
प्रोफेसर नलिनी रेवड़ीकर

सम्पादक
प्रोफेसर यतीन्द्रसिंह सिसोदिया

उप-सम्पादक
डॉ. आशीष भट्ट
डॉ. सुदीप मिश्र

म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान
(भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद्, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं उच्च शिक्षा मन्त्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल का स्वायत्त शोध संस्थान)
6, प्रोफेसर रामसखा गौतम मार्ग, भरतपुरी प्रशासनिक प्रक्षेत्र
उज्जैन - 456010 (मध्यप्रदेश)

म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन द्वारा प्रकाशित ***मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल*** अन्तर्विषयक प्रकृति का अर्द्धवार्षिक जर्नल है। जर्नल के प्रकाशन का उद्देश्य समाज विज्ञानों में अध्ययन एवं अनुसन्धान को बढ़ावा देना तथा समसामयिक विषयों पर लेखकों एवं शोधार्थियों को लेखन एवं सन्दर्भ हेतु समुचित अवसर प्रदान करना है।

समाज विज्ञानियों एवं शोधार्थियों से भारतीय एवं क्षेत्रीय सन्दर्भों पर सम-सामयिक विषयों यथा - सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, विकासात्मक, प्रशासनिक मुद्दों, समस्याओं एवं प्रक्रियाओं पर शोधपरक आलेख, पुस्तक समीक्षा आदि आमन्त्रित हैं।

सदस्यता शुल्क

वार्षिक		**प्रति अंक**	
संस्थागत	रु. 400.00	संस्थागत	रु. 200.00
व्यक्तिगत	रु. 300.00	व्यक्तिगत	रु. 150.00

जर्नल हेतु सदस्यता शुल्क बैंक ड्राफ्ट/चैक द्वारा निम्न पते पर भेजें

निदेशक
म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान
6, प्रोफेसर रामसखा गौतम मार्ग, भरतपुरी प्रशासनिक प्रक्षेत्र
उज्जैन - 456010 (मध्यप्रदेश)
दूरभाष - (0734) 2510978, फैक्स - (0734) 2512450
e-mail: mpissrhindijournal@gmail.com, mpissr@yahoo.co.in
web: mpissr.org

ISSN 0973-8568

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल

(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का अर्द्धवार्षिक जर्नल)

वर्ष 17 दिसम्बर 2019 अंक 2

लोकसभा चुनाव 2019: मध्यप्रदेश में भाजपा की व्यापक जीत के निहितार्थ 1
- यतीन्द्रसिंह सिसोदिया एवं आशीष भट्ट

भारत में आत्महत्या : पिछले पचास वर्ष का परिप्रेक्ष्य 17
- नीलेश दुबे

भारतीय चुनाव का एथ्नोग्राफिक अध्ययन : दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के विशेष संदर्भ में तथ्यात्मक सच्चाई या कोरी बयानबाजी 28
- प्रवीण कुमार झा एवं पंकज कुमार झा

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का आकलन 38
- गणपत लाल माली

संगोष्ठी प्रतिवेदन
महात्मा गाँधी : इक्कीसवीं सदी का भारतीय एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य 50
- अजय कुमार

पुस्तक समीक्षा
हिन्दू-एकता बनाम ज्ञान की राजनीति **64**
(अभय कुमार दुबे)
- माधव प्रसाद गुप्ता

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 17, अंक 2, दिसम्बर 2019, पृ. 1-16)

लोकसभा चुनाव 2019: मध्यप्रदेश में भाजपा की व्यापक जीत के निहितार्थ

यतीन्द्रसिंह सिसोदिया* एवं आशीष भट्ट†

लोकसभा चुनाव, 2019 के पूर्व मध्यप्रदेश में विधानसभा निर्वाचन, 2018 हुए जिसमें कठिन संघर्ष के बाद कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हुई। कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत अर्जित की तथा 15 वर्षों के बाद मध्यप्रदेश में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत से केवल दो सीटें पीछे रही तथा अन्य सहयोगियो के साथ मिलकर सरकार बनाई। विधानसभा चुनावों के पश्चात् 2019 में हुए लोकसभा चुनावों के लिए मध्यप्रदेश को एक अग्रगामी राज्य के रूप में देखा जा रहा था क्योंकि यह परिणाम बहुत महत्वपूर्ण थे तथा कांग्रेस और भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव 2019 को बराबरी के अवसर के रूप में देखा जा रहा था। 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने कांग्रेस को पूरी तरह पराजित किया तथा 29 में से 28 स्थानों पर भाजपा विजयी हुई और काँग्रेस केवल एक स्थान तक सीमित हो गई। प्रस्तुत शोध पत्र में विधानसभा 2018 की पृष्ठभूमि में लोकसभा चुनाव 2019 में मध्यप्रदेश में भाजपा की व्यापक जीत का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है।

*प्रोफेसर, मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.)
E-mail: yatindra15@yahoo.com
†एसोसिएट प्रोफेसर, मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.)
E-mail: drabhatt@yahoo.com

भारतीय लोकतन्त्र में 1990 का दशक कई परिवर्तनों का साक्षी है। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में चुनावी प्रक्रिया का अपना विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है। चुनावों के सम्बन्ध में परम्परागत रणनीतियों और शैलियों में निरन्तरता के साथ-साथ व्यापक परिवर्तन भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। चुनाव परिणामों के पिछले कुछ विश्लेषण यह प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि मतदाताओं का राजनीतिकरण घनीभूत हुआ है और इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक आयाम हैं। जहाँ चुनावी राजनीति में प्रतिस्पर्द्धा स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का परिचायक है वहीं उत्तेजक एवं कठोर दलीय प्रतिबद्धता स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अवरोधकारी प्रतीत होती है (यादव एवं पलसीकर, 2009)।

मध्यप्रदेश की निर्वाचकीय राजनीति: पृष्ठभूमि

मध्यप्रदेश[1], भारतवर्ष के मध्य में स्थित है जहाँ राजनीतिक दृष्टि से अतिसक्रिय नेतृत्व की उपस्थिति आरम्भ के वर्षों से ही रही है। विकास संकेतकों में अपेक्षाकृत पीछे होते हुए भी राजनीतिक दृष्टि से मध्यप्रदेश एक जाग्रत एवं सक्रिय प्रदेश रहा है। राष्ट्रीय राजनीति के लगभग सभी परिवर्तनों से राज्य की राजनीति प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष तौर पर प्रभावित होती रही है। तमाम बदलावों एवं नवीनताओं के बावजूद मध्यप्रदेश की राजनीति का चरित्र द्विदलीय ही रहा है। जब हिन्दी भाषी क्षेत्रों में जयप्रकाश आन्दोलन के पश्चात् एक तीसरा मोर्चा शक्तिशाली ढंग से उभरा और कई बड़े हिन्दी भाषी राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों के नेतृत्व ने प्रमुख राजनीतिक दलों को हाशिये पर करते हुए सत्ता पर अपने आधिपत्य को स्थापित किया, तब भी मध्यप्रदेश इससे लगभग अछूता ही रहा। आरम्भ में यह तर्क दिया गया कि मध्यप्रदेश में उत्तरप्रदेश और बिहार की तरह के राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलनों की पृष्ठभूमि नहीं है अत: यहाँ राजनीति के द्विदलीय चरित्र के परिवर्तन में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन यथार्थ में मध्यप्रदेश की राजनीति मे छोटे अपवादों को छोड़कर ऐसी स्थिति की निर्मिति कभी भी सम्भव नहीं हो पायी। यद्यपि मध्यप्रदेश की राजनीति में परम्परागत अगड़ी जातियों का प्रभुत्व लगातार बना रहा है (यादव एवं पलसीकर : 2009)।

मध्यप्रदेश कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मिलाकर बना हुआ प्रदेश है जिनकी अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक परम्पराएँ, लोकशैली, भाषाएँ एवं लोकाचार हैं जो समय-समय पर राजनीति के चरित्र को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ इस प्रदेश में दलित एवं आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत भी उल्लेखनीय है। जाति की राजनीति में शक्तिशाली उपस्थिति के बावजूद, मध्यप्रदेश में तीसरे मोर्चे अथवा अन्य दलों के निर्णयकारी स्थिति में न आ पाने के पीछे एक बड़ा कारण यहाँ संसाधनों का अपेक्षाकृत बेहतर समताकारी वितरण तथा दमन एवं शोषण की सामाजिक परिस्थितियों की न्यूनता रही है। 1980 के दौर में, राज्य के राजनीतिक नेतृत्व ने पिछड़ों एवं वंचित लोगों की आकांक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य प्रायोजित सामाजिक सुधार के कार्य किये (गुप्ता : 2005)। उनके इस प्रयास की महत्ता इस दृष्टि से भी है कि कालान्तर में भारतीय राजनीति में पिछड़े वर्ग की स्व-चलित लहर इसके बाद दिखायी देती है।

यद्यपि इन स्थितियों के बावजूद बघेलखण्ड, बुन्देलखण्ड एवं चम्बल क्षेत्र में बसपा ने अपनी उपस्थिति 1993 के विधानसभा में प्रभावशाली ढंग से दर्ज की। आरम्भ में ऐसा प्रतीत हुआ कि बसपा आने वाले समय में मध्यप्रदेश की द्विदलीय राजनीति के स्थापित मिथक को तोड़कर निर्णायक भूमिका में आ जायेगी, लेकिन 1993 के पश्चात् के पाँच विधानसभा चुनावों में ऐसा सम्भव नहीं हो पाया इसके विपरित बसपा अपनी उपस्थिति को तो लगातार बनाये हुए है लेकिन प्रकारान्तर में यह उपस्थिति अनवरत दुर्बल होती जा रही है (सिसोदिया : 2019अ)।

राज्य राजनीति में मध्यप्रदेश कांग्रेस के सशक्त जनाधार वाला प्रान्त रहा है। 1957 से लेकर 1990 तक के आठ विधानसभा चुनावों में छह बार कांग्रेस ही सत्तासीन रही। इस समय में केवल दो बार 1977 में जनता दल एवं 1990 में भाजपा को सत्तासीन होने का अवसर प्राप्त हुआ लेकिन दोनों गैर कांग्रेसी सरकारें केवल दो-दो वर्ष ही कार्य कर पायीं तथा अपने समय से पूर्व ही सत्ता से बाहर हो गयीं (जेफ्रेलोट : 2008)। जनसंघ के रूप में भाजपा की मध्यप्रदेश की राजनीति में शुरुआत बहुत ही छोटे स्तर पर सीमित प्रभाव के साथ आरम्भ हुई। भाजपा की सर्वाधिक प्रभावशाली उपस्थिति मध्यप्रदेश की राजनीति में 1990 एवं उसके पश्चात् के निर्वाचनों में देखी गयी (सिसोदिया एवं भट्ट, 2010, 78)।

उक्त पृष्ठभूमि यह स्पष्ट करती है कि मध्यप्रदेश की राजनीति में 1990 से पूर्व तक कमोबेश केन्द्र एवं राज्य में एक ही दल की सरकारें रहीं एवं इस सम्पूर्ण कालखण्ड में राज्य की राजनीति का संचालन केन्द्रीय नेतृत्व अथवा हाईकमान के आशीर्वाद से जुड़ा रहा।

मध्यप्रदेश के निर्वाचनों के सन्दर्भ में 1990 से लगातार बसपा ही एकमात्र ऐसी राजनीति पार्टी है जिसने दो बड़े राजनीतिक दलों के पश्चात् अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है। 1990 में इसका मत प्रतिशत 3.54 से बढ़ते हुए 2008 में 8.97 तक पहुँच गया। लेकिन एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में कई अनुसूचित जाति संकेन्द्रण क्षेत्रों के होने के बावजूद बसपा अपनी उपस्थिति उत्तरप्रदेश से लगे मध्यप्रदेश के उत्तरी जिलों से बाहर फैलाव में असमर्थ ही रही है (पाई : 2003)। 2008 के बाद के निर्वाचनों में बसपा को प्राप्त होने वाले मतों के प्रतिशत में लगातार गिरावट आती चली गई, जिसमे प्रदेश स्तर पर कमजोर संगठनात्मक संरचना एवं नेतृत्व का अभाव प्रमुख है।

मध्यप्रदेश की द्विदलीय राजनीति ने आरम्भ से ही मध्यप्रदेश को केन्द्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली भूमिका प्रदान की है। आरम्भ से केन्द्रीय स्तर पर कांग्रेस की एक दलीय प्रभुत्व की स्थिति एवं प्रकारान्तर में गठबंधन सरकारों के दौर में कांग्रेस अथवा भाजपा के नेतृत्व के गठबंधनों में प्रदेश के प्रतिनिधित्व को भूमिका मिलती रही है। पिछले चार लोकसभा चुनावों (1996 से 2004 तक) पर दृष्टि डाले तो स्पष्ट होता है कि भाजपा को लगातार 1996, 1998 एवं 1999 में 40 में से क्रमशः 27, 30 एवं 29 स्थान प्राप्त हुए तथा छत्तीसगढ़ के विभाजन के पश्चात् 2004 में 29 में से 25 स्थान प्राप्त हुए। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इन चार चुनावों में से पूर्व के तीन चुनावों के दौरान प्रदेश में कांग्रेस की

सरकार थी। यह इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि प्रदेश की जनता केन्द्र की सरकार के लिये जब मतदान करती है तो उसकी प्राथमिकताएँ विधानसभा चुनावों की तुलना में बिलकुल अलग होती है (सिसोदिया एवं भट्ट, 2010, 84)।

एक अन्य रोचक तथ्य यह भी उभरकर आया है कि 1996 के पश्चात् के सभी लोकसभा चुनावों में भाजपा के मत प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मत प्रतिशत में बढ़ोतरी का यह परिदृश्य कांग्रेस के साथ भी 1996 से 1999 के मध्य दिखायी देता है लेकिन 2004 में इसमें जबर्दस्त बदलाव आया और यह 34.07 प्रतिशत रह गया। लोकसभा के पिछले चार चुनावों में किसी भी अन्य दल को मध्यप्रदेश में कोई सफलता नहीं मिली। बसपा जहाँ विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने एवं मत प्रतिशत बढ़ाने में सफल रही है वहीं लोकसभा में इसके ठीक विपरीत इसी कालखण्ड में इसके मत प्रतिशत में 1996 के पश्चात् से लगातार गिरावट देखी गयी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 1996 के चुनाव में बसपा ने दो स्थानों पर विजय प्राप्त करने में सफल रही थी जिसकी पुनरावृत्ति वह बाद के चुनावों में नहीं कर पायी। समाजवादी पार्टी एवं गोण्डवाना गणतन्त्र पार्टी ने पिछले चार लोकसभा चुनावों में अपनी उपस्थिति बहुत ही थोड़े से मतों को अर्जित कर दर्ज करवायी (रामशंकर एवं सिसोदिया : 2009)।

विधानसभा निर्वाचन, 2018 की पृष्ठभूमि एवं लोकसभा निर्वाचन, 2019 की पूर्वपीठिका

मध्यप्रदेश राज्य से लोकसभा में 29 सांसद चुने जाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने मध्यप्रदेश के 29 में से 27 स्थान जीते थे। भाजपा की यह जीत गुजरात एवं राजस्थान के पश्चात् सबसे बड़ी जीत थी। यह जीत केवल संख्या तक सीमित नहीं थी, मध्यप्रदेश में भाजपा को कांग्रेस से लगभग 20 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त हुए थे। जब चुनाव द्विध्रुवीय प्रकृति के हो तथा मतों के प्रतिशत इतना बड़ा होगा तो जीत भी उतनी ही बड़ी होना स्वाभाविक है। इस वजह से प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनावों के परिणामों को असाधारण श्रेणी में रखा जा सकता है।

इसी पृष्ठभूमि के आलोक में 2019 के लोकसभा चुनाव पाँच वर्षों में राष्ट्रीय राजनीति पर घटित बहुत से घटनाक्रमों के विस्तृत परिदृश्य में हुए साथ ही मध्यप्रदेश के सन्दर्भ में 2018 के विधानसभा चुनाव भी है जहाँ राज्य में 15 वर्षों के अन्तराल के पश्चात् कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई तथा इन दोनों चुनावों के मध्य बमुश्किल पाँच माह का अन्तर था।

कठिन संघर्ष वाले विधानसभा चुनाव में अंतत: कांग्रेस ने बाजी मारी। कांग्रेस ने 114 सीटों पर कामयाबी हासिल की तथा 15 वर्षों के बाद मध्यप्रदेश में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत से केवल दो सीटें पीछे रह गई लेकिन अन्य 7 सीटों (बीएसपी-2, एसपी-1, और निर्दलीय-4) के कांग्रेस के साथ आते ही तस्वीर साफ हो गई। यह चुनाव बीजेपी के एक बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक कार्यकर्ताओं से संगठित दल तथा उसके

आनुषांगिक संगठनों के साथ, संसाधन, मशीनरी से आबद्ध बीजेपी बनाम कांग्रेस के अनुभवी नेतृत्व की त्रयी (कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह) के संयोजन के मध्य लड़ा गया था। कांग्रेस ने 2008 और 2013 की तुलना में इस बार विशेष रूप से किसानों, युवाओं और महिलाओं से सीधे जुड़े सभी प्रासंगिक मुद्दों को उठाया। सबसे लोकप्रिय नारा 'वक्त है बदलाव का' ने कांग्रेस के लिए काम किया और वहीं भाजपा द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल नारा 'माफ करो महाराज, हमारे नेता तो शिवराज' को नकारात्मक प्रचार की तरह देखा गया तथा इसने प्रतिकूल प्रभाव ही छोड़ा। मध्यप्रदेश के इतिहास में पहली बार दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों कांग्रेस (40.9 प्रतिशत) और भाजपा (41 प्रतिशत) को सबसे निकटतम मत प्राप्त हुए। जबकि 2013 में यह अन्तर 8.5 प्रतिशत था (सिसोदिया, 15 दिसम्बर, 2018)।

कांग्रेस ने बिना संदेह के इस चुनाव को अपनी श्रेष्ठ सम्भव क्षमता से लड़ा। पार्टी ने किसानों की परेशानी, युवाओं के बीच बेरोजगारी, महिलाओं के बीच असुरक्षा, उद्योगों की खराब स्थिति, भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति विशेष रूप से पेट्रोलियम उत्पादों के साथ-साथ विमुद्रीकरण और जीएसटी के मुद्दों पर अपना अभियान चलाया, जिससे वे मतदाताओं को समझाने में बहुत हद तक सफल रहे। कांग्रेस के वचन पत्र में रु. 2.00 लाख तक कृषि ऋण की माफी का वादा एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ।

अत्याचार अधिनियम और पदोन्नति में आरक्षण पर भाजपा सरकार का सकारात्मक रुख भी दलित एवं आदिवासी क्षेत्रों से व्यापक चुनावी समर्थन प्राप्त करने में असमर्थ रहा और इसके साथ ही सामान्य जातियों के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा और इसने चुनाव में अपना प्रतिकूल प्रभाव डाला। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 82 सीटों में से, भाजपा को 2013 में 60 प्राप्त हुई थी और इस बार भाजपा यहां 34 पर सिमट गई और कांग्रेस को 47 सीटें मिली, जिसने कांग्रेस की अंक तालिका में बड़ा योगदान दिया (सिसोदिया, 15 दिसम्बर, 2018)।

मध्यप्रदेश को क्षेत्रों के सन्दर्भ से भी देखा जा सकता है। कांग्रेस ने मालवा-निमाड़, बुंदेलखंड, महाकौशल, चंबल-ग्वालियर और मध्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि, विन्ध्य में इसका प्रदर्शन सबसे खराब रहा जोकि इस चुनाव का एक आश्चर्यजनक पहलु है, जिसमें भाजपा ने 30 में से 24 सीटें प्राप्त की। मालवा-निमाड़ की 66 सीटों में से कांग्रेस ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हुए, 35 सीटें प्राप्त की और 3 निर्दलीय (कांग्रेस बागी) भी जीते। आमतौर पर, यह कहा जाता है कि चुनाव की कुंजी मालवा के पास होती है और विधानसभा के परिणाम फिर से इस तथ्य की पुष्टि करता दिखाई दिया है (सिसोदिया, 2019ब)। यह क्षेत्र किसानों के आंदोलन का भी केंद्र था और मंदसौर में गोलीबारी हुई, लेकिन हर किसी के विस्मय के लिए, मंदसौर और नीमच जिलों की सात में से छह सीटें भाजपा को चली गईं। हालांकि, कांग्रेस के बागियों ने तीन सीटों पर विघ्नकर्त्ताओं की भूमिका निभाई और जीत के अन्तर से कई गुना वोट हासिल किए। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों को बागियों

के मामले में भी झटका लगा क्योंकि पार्टी की उम्मीदवारी से इनकार करने के बाद भी ये चुनाव मैदान में बने रहे और पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की जीत की सम्भावनाओं को क्षीण किया। लगभग 38 प्रतिशत सीटों (88) पर जीत-हार का अन्तर 10,000 से कम वोटों से हुआ, जो इसकी पुष्टि करता है (सिसोदिया, 2019ब)।

इस मिथक को भी इस बार तोड़ा गया कि शहरी इलाकों में केवल भाजपा ही अच्छा प्रदर्शन करती है, 2013 के विपरीत जहां भाजपा 37 में से 34 सीटें जीती थी इस बार यह 21 तक सीमित रह गई तथा कांग्रेस ने शहरी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर बना ली। इस विधानसभा चुनाव को मौजूदा विधायकों की हार के लिए भी याद किया जाएगा। भाजपा से 58 मौजूदा विधायकों (13 मंत्रियों सहित) और कांग्रेस के 17 मौजूदा विधायक चुनाव हार गए। यह उम्मीदवार विशेष के प्रति मतदाताओं की अस्वीकृति थी जिसके पूर्वाभास का आकलन करने का प्रयास दोनो ही राजनीतिक दलों ने नहीं किया।

यह देखते हुए कि लोकसभा चुनावों के लिए मध्यप्रदेश को एक अग्रगामी राज्य के रूप में देखा जा रहा था, यह परिणाम बहुत महत्वपूर्ण थे और कांग्रेस और भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव 2019 बराबरी के अवसर के रूप में देखा जा रहा था क्योकि 29 में से 26 सीटें भाजपा के पास थी। विधानसभा चुनावों के इन परिणामों को मुद्दों की विविधता और मतदाताओं की क्षेत्र, जाति, वर्ग के आधार पर दोनों राजनीतिक दलों को दी गई प्रतिक्रिया के प्रतिफलन के रूप में भी देखा गया।

नामांकन, प्रचार एवं राजनीतिक आख्यान

निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की घोषणा 10 मार्च, 2019 को की गई। 543 लोकसभा क्षेत्रों हेतु सात चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई, 2019 तक निर्वाचन की घोषणा की गई एवं मतगणना की तिथि 23 मई 2019 निर्धारित की गई।

मध्यप्रदेश में 29 सीटों के लिए चार चरणों (अंतिम चार चरण चतुर्थ से सप्तम) में मतदान हुआ। मध्यप्रदेश में लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों में सम्पन्न मतदान कार्यक्रम को तालिका 1 में दिखाया गया है।

तालिका 1

मध्यप्रदेश में लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों में मतदान कार्यक्रम

चरण	दिनांक	लोकसभा क्षेत्र
प्रथम	29 अप्रैल, 2019	सीधी, शहडोल, जबलपुर, मण्डला, बालाघाट, छिंदवाड़ा
द्वितीय	6 मई, 2019	टीकमगढ, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल
तृतीय	12 मई, 2019	मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़
चतुर्थ	19 मई, 2019	देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार इंदौर, खरगौन, खण्डवा

मध्यप्रदेश के सन्दर्भ में प्रथम चरण में छह, द्वितीय चरण में सात तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरण में आठ-आठ लोकसभा क्षेत्रों हेतु मतदान सम्पन्न हुआ।

चुनाव प्रचार के सन्दर्भ में देखें तो मध्यप्रदेश में चारों चरणों में चार प्रतिरूपों में चुनाव लड़ा गया। प्रदेश में 29 अप्रैल, 2019 को पहले चरण में छह स्थानों पर मतदान के पूर्व 'मैं भी चौकीदार' और 'चौकीदार चोर है' से प्रचार की शुरूआत हुई थी। राफेल मुद्दा छाया तो भाजपा ने विकास एवं सर्जिकल स्ट्राइक की ओर बड़ी सफाई से इसको मोड़ा। भाजपा की रणनीति का हिस्सा आरम्भ से मोदी के अति लोकप्रिय नेतृत्व पर वोट मांगना रहा, जो चरण-दर-चरण घनीभूत एवं व्यापक होता चला गया।

प्रदेश में निर्वाचन के दूसरे चरण में 6 मई, 2019 को सात सीटों पर मतदान सम्पन्न हुआ। प्रथम चरण के पश्चात प्रचार में हिन्दुत्व का मुद्दा छाने लगा। इस मुद्दे को भोपाल संसदीय सीट से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की दावेदारी के साथ और हवा मिली। कांग्रेस के लिए दूसरे चरण में भी 'चौकीदार चोर है' के साथ ही 'न्याय योजना' का प्रचार अहम रहा। कांग्रेस विकास एवं न्याय योजना की बात करती रही।

प्रदेश में तृतीय चरण में 12 मई, 2019 को आठ सीटों पर मतदान हुआ। इसमें भोपाल की बहुचर्चित सीट भी सम्मिलित थी जिस पर भाजपा की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एवं कांग्रेस के महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजिय के बीच मुकाबला था। द्वितीय चरण के पश्चात् से ही भाजपा और संघ की राष्ट्रीय टीमों ने भोपाल में डेरा डाल लिया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने धार्मिक बयान दिये और इस चरण में भी मोदी, हिन्दुत्व एवं राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी रहा। पीएम मोदी ने होशंगाबाद में पाकिस्तान, राष्ट्रवाद और धर्म की बात की। वही कांग्रेस एक ही तरह के मुद्दों को लेकर बात-चीत करती रही।

19 मई, 2019 को प्रदेश में चौथे एवं अंतिम चरण में भी आठ सीटों पर मतदान हुआ। ये सभी सीटें मालवा एवं निमाड़ क्षेत्र की थी जहाँ से कांग्रेस को सबसे अधिक उम्मीदें थी। यहाँ चुनाव में अन्य मुद्दों के साथ-साथ मोदी फैक्टर हावी रहा। इस चरण में चुनाव प्रचार में दोनो पार्टियों की ओर से एक एक दूसरे पर तीखे हमले हुए।

प्रचार के साथ-साथ नारों का भी जोर रहा। जो नारे राष्ट्रीय स्तर पर छाये रहे वही प्रदेश में भी छाये रहे। भाजपा की ओर से 'मैं भी चौकीदार', 'मोदी है तो मुमकिन है', 'मजबूर नहीं मजबूत सरकार', 'फिर एक बार मोदी सरकार', 'टुकड़े टुकड़े गैंग' आदि उल्लेखनीय रहे। वहीं कांग्रेस की ओर से 'अब होगा न्याय', 'गरीबी पर वार 72 हजार', 'चौकीदार चोर है', 'बेहतर भारत और बेहतर कल' और 'हम निभाएँगे' आदि प्रमुख रहे।

चुनाव प्रचार एवं रैलियों के सन्दर्भ में देखें तो प्रदेश में भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित कई बड़े मंत्रियों एवं पदाधिकारियों ने रैलियाँ एवं चुनावी सभाएँ की। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी द्वारा प्रदेश में रैलियाँ एवं चुनावी सभाएँ की गई। मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के बड़े दिग्गज प्रत्याशी होने के कारण अपने क्षेत्रों तक सिमट कर रह गये।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश में आठ चुनावी सभाएँ की। जिन क्षेत्रों में सभाएँ हुई उनमें सीधी, जबलपुर, इटारसी, सागर, ग्वालियर, खण्डवा, रतलाम एवं खरगोन सम्मिलित थे। इन्दौर में मोदी ने रोड शो भी किया। उन्होंने आदिवासी सीटों पर विशेष रूप से अपना ध्यान केन्द्रित किया। सीधी के जरिये विंध्य को साधा तो जबलपुर के माध्यम से पूरे महाकौशल को कवर किया। रतलाम, खण्डवा और खरगोन से मालवा-निमाड़ में मोदी फैक्टर को उभारने की कोशिश की। ग्वालियर के जरिये चम्बल क्षेत्र को भी कवर किया।

कांग्रेय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश में आठ दौरे किये और 17 संसदीय सीटों पर प्रचार किया। राहुल गांधी ने भी प्रदेश के सभी क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास किया। राहुल गांधी जहाँ गये उन स्थानों में जबलपुर, शहडोल, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहों, होशंगाबाद, रीवा, सागर, भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर, देवास, धार, खरगोन, नीमच, उज्जैन एवं खण्डवा शामिल है। राहुल गांधी ने आदिवासी सीटों के अतिरिक्त बुंदेलखण्ड, चम्बल एवं मालवा के मुद्दों को भी अपनी सभाओं में सम्मिलित किया।

चुनाव परिणाम का विश्लेषण

लोकसभा चुनाव, 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने शानदार जीत प्राप्त की और 2014 से भी बेहतर प्रदर्शन किया। यह मतदाताओं द्वारा नरेन्द्र मोदी के नाम पर दिया गया निर्णायक एवं समेकित जनादेश था। भाजपा ने सोच विचार कर अपने चुनाव अभियान को मोदी के इर्द-गिर्द केन्द्रित किया और इसका अपेक्षा से भी अधिक लाभ पार्टी को हुआ। संसदीय स्वरूप के बावजूद 'फिर एक बार मोदी सरकार' के नारे के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव ने अध्यक्षीय स्वरूप ग्रहण कर लिया। राजनीतिक प्रचार को भाजपा नेतृत्व विशेष रूप से नरेन्द्र मोदी द्वारा पहले से तीसरे चरण और इसके बाद पाँचवे चरण से हिन्दीभाषी क्षेत्रों में युक्तिपूर्वक ढंग से परिवर्तित किया गया और तद्नुसार राजनीतिक रूपक गढ़े गये एवं उनके संकेन्द्रण में प्रचार किया गया। इन चुनावों में बहुत आक्रामक एवं अप्रिय चुनाव प्रचार भी देखा गया।

दिसम्बर, 2018 के विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि के बावजूद, जिसमें कांग्रेस ने भाजपा की 15 साल से प्रदेश की सत्ता में काबिज सरकार को बाहर कर दिया था, 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने कांग्रेस को पूरी तरह पराजित कर दिया। 29 स्थानों में 28 स्थान पर भाजपा विजयी हुई एवं केवल एक स्थान छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री कमलनाथ के अपने गढ़ से बेटे नकुलनाथ बहुत ही अल्प अंतर से जीत दिलवाने में सफल हो पाये। भाजपा एवं काग्रेस को प्राप्त मतों के अंतर को देखें तो इस चुनाव में यह अंतर 23.5 प्रतिशत मतों का हो गया (सिसोदिया, 2019स)। जबकि भाजपा एवं काँग्रेस के बीच विधानसभा निर्वाचन, 2018 के समय यह अन्तर लगभग समाप्त हो गया था। 2014 में भाजपा ने 54.03 प्रतिशत मत प्राप्त करते हुए 27 स्थान जीते थे एवं मतों के अंतर का प्रतिशत 19.4 था। 2009 एवं 2004 के चुनावों में यह अंतर क्रमशः 3.31 प्रतिशत एवं 14.5 प्रतिशत था। (तालिका 2)

तालिका 2

2019, 2014, 2009 एवं 2004 के मध्यप्रदेश लोकसभा चुनावों के परिणामों की तुलना

दल	2019		2014		2009		2004	
	विजयी स्थान	मत (प्रतिशत)	विजयी स्थान	मत (प्रतिशत)	विजयी स्थान	मत (प्रतिशत)	विजयी स्थान	मत (प्रतिशत)
भाजपा	28	58.00	27	54.03	16	43.45	25	48.13
काँग्रेस	01	34,50	02	34.89	12	40.14	4	34.07
बसपा	-	2,38	-	3.79	1	5.85	-	4.75
सपा	-	0,22	-	0.75	-	2.83	-	3.20

स्रोत: सीएसडीएस, डाटा यूनिट।

मध्यप्रदेश लोकसभा चुनाव, 2019 विभिन्न स्थानों पर जीत के अंतर की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सात स्थानों पर जीत का अंतर 4 लाख से लेकर 5.5 लाख मतों तक का है। जबकि 2014 के चुनावों में केवल दो स्थान ही ऐसे थे जहाँ जीत का अंतर इतना अधिक था। 2019 के चुनावों में दस स्थान ऐसे थे जहाँ जीत का अंतर तीन लाख से लेकर 3.99 लाख मतों के मध्य है। केवल दो स्थान ऐसे है जहाँ जीत का अंतर एक लाख से कम मतों का है। इसमें भी एक स्थान कांग्रेस द्वारा जीता गया। (तालिका 3)

तालिका 3

2019 एवं 2014 के मध्यप्रदेश लोकसभा चुनावों में
भाजपा एवं कांग्रेस के मध्य जीत का अंतर

जीत का अंतर (मतदाता)	2019		2014	
	भाजपा	काँग्रेस	भाजपा	काँग्रेस
5 लाख एवं उससे अधिक	3	-	-	-
4 से 4.99 लाख	4	-	2	-
3 से 3.99 लाख	10	-	5	-
99,000 से नीचे	1	1	3	-
कुल	28	1	27	2

स्रोत: सीएसडीएस, डाटा यूनिट।

क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो लोकसभा चुनाव, 2019 में भाजपा ने प्रदेश के सभी हिस्सों में अच्छा प्रदर्शन किया। भाजपा को सभी क्षेत्रों से अच्छे मत प्राप्त हुए। फिर भी चम्बल एवं मालवा जनजातीय क्षेत्र में दोनों दलों को प्राप्त मत अपेक्षाकृत कम है। विंध्य, महाकौशल और मालवा उत्तर में भाजपा प्रभावी रही और महत्वपूर्ण रूप से भाजपा ने सभी क्षेत्रों में मतों में हिस्सेदारी को और मजबूत किया। (तालिका 4)

तालिका 4

क्षेत्रवार मध्यप्रदेश लोकसभा चुनाव परिणाम 2019

क्षेत्र	कुल स्थान	भाजपा		काँग्रेस		बसपा		अन्य दल	
		विजयी स्थान	मत (प्रतिशत)	विजयी स्थान	मत (प्रतिशत)	विजयी स्थान	मत (प्रतिशत)	विजयी स्थान	मत (प्रतिशत)
चम्बल	6	4	51.66	0	38.57	0	6.22	0	3.55
विन्ध्य प्रदेश	8	8	59.25	0	29.55	0	3.48	0	7.78
महाकौशल	6	5	56.08	1	35.24	0	1.88	0	6.82
मालवा उत्तर	7	7	63.89	0	32.94	0	0.76	0	2.41
मालवा जनजातीय क्षेत्र	4	4	53.73	0	40.92	0	1.08	0	4.27
कुल	29	28	58.00	1	34.50	0	2.38	0	5.12

स्रोत: सीएसडीएस, डाटा यूनिट।

2018 के विधानसभा चुनावों में मध्यप्रदेश में कांग्रेस की जीत ने पार्टी के पुनरुद्धार की आशा दिखाई। इस दृष्टि से इन राज्यों से आये परिणाम चौकाने वाले हैं जहाँ भाजपा की सफलता चरमोत्कर्ष तक पहुँची एवं कांग्रेस अपनी वापसी से दूर अपनी पूर्वावस्था से भी नीचे के स्तर पर पहुँच गई।

यह काफी आश्चर्यजनक है कि जिस मतदाता ने पार्टी को पाँच माह पूर्व एक राजनीतिक दल को मौका दिया उसे उसने उतनी ही जल्दी छोड़ भी दिया। यद्यपि 1991 के बाद से, प्रदेश में सभी लोकसभा चुनावों में भाजपा ही बेहतर प्रदर्शन करती आई है इसलिए यह माना जा रहा था कि इन चुनावों में भी भाजपा कांग्रेस की तुलना में अधिक स्थान प्राप्त करेगी लेकिन इस प्रकार की एकतरफा व्यापक जीत प्रारम्भ में अप्रत्याशित दिखाई दे रही थी।

राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन, 2019 के आगतों का चुनाव परिणामों के सन्दर्भ में विवेचन

लोकनीति-सीएसडीएस द्वारा राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन - 2019 चुनाव पश्चात् आयोजित किया गया था। इस सर्वे का प्रमुख उद्देश्य मतदान व्यवहार को समझना था जिसमें चुनाव के विविध आयामों को लेकर मतदाताओं से प्रत्यक्ष बातचीत के आधार पर प्राप्त किये गये आगतों का विश्लेषण एवं व्याख्या करना था। इसके लिए किये गये सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश में बहु-स्तरीय यादृच्छिक निदर्शन की प्रक्रिया को अपनाया गया जिसमें सर्वप्रथम संसदीय क्षेत्रों का चयन, तत्पश्चात् विधानसभा क्षेत्रों का चयन किया गया। चयनित विधानसभा क्षेत्रों से यादृच्छिक आधार पर चार मतदान केन्द्रों का चयन किया गया। चयनित मतदान केन्द्रों की मतदाता सूची से सामान्य यादृच्छिक निदर्शन पद्धति से 38 मतदाताओं का चयन किया गया। 943 चयनित मतदाताओं को उनके निवास स्थान पर जाकर क्षेत्रीय अन्वेषकों द्वारा प्रत्यक्ष साक्षात्कार के माध्यम से एक संरचित/पूर्व कोडिंग की गई तथा साक्षात्कार अनुसूची को भरवाया गया। प्राप्त आगतों को राज्य के सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर भारित करते हुए विश्लेषण हेतु आँकड़े प्रयुक्त किये गये।

मध्यप्रदेश में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों ने महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक समूहों से समर्थन प्राप्त करने पर ध्यान केन्द्रित कर अपनी रणनीति बनाई। यदि हम शैक्षणिक पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में बात करें तो महाविद्यालयीन एवं उससे अधिक शिक्षा प्राप्त मतदाताओं के समर्थन के सन्दर्भ में भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के मध्य खाई सबसे अधिक है (51 प्रतिशत)। निरक्षरों के मध्य भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़ा है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पिछले चुनावी अध्ययनों ने भी प्रदेश में मतदाताओं की इस प्रवृत्ति को इंगित किया है (रामशंकर एवं सिसोदिया, 2009; सिसोदिया एवं रामशंकर, 2009; सिसोदिया, 2014अ; 2014ब एवं 2019द)। जो कि इस चुनाव में और अधिक स्पष्ट हुआ है। (तालिका 5)

तालिका 5

मध्यप्रदेश लोकसभा चुनाव, 2019 में शैक्षिक स्तर पर विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन

शैक्षिक स्तर	भाजपा (प्रतिशत)	काँग्रेस (प्रतिशत)	बसपा+ (प्रतिशत)	अन्य (प्रतिशत)	n
निरक्षर	51	43	2	4	306
प्राथमिक स्तर तक	52	32	6	10	218
माध्यमिक स्तर तक	60	38	1	1	204
महाविद्यालयीन शिक्षा एवं उससे अधिक	72	21	1	6	211

स्रोत: सीएसडीएस, राष्ट्रीय निर्वाचन अध्ययन, चुनाव पश्चात् सर्वेक्षण (मध्यप्रदेश), 2019
(भारित आँकड़े समंक n = 939)

मध्यप्रदेश मुख्य रूप से ग्रामीण जनसंख्या बहुल राज्य है (2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में शहरी आबादी 28 प्रतिशत से भी कम थी)। सामान्यत: यह माना जाता रहा है कि काँग्रेस का समर्थन ग्रामीण क्षेत्रों में रहा है जबकि भाजपा काफी हद तक शहरों में सीमित थी। वर्ष 2000 के बाद के रुझानों से राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल गया और भाजपा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है साथ ही शहरी क्षेत्रों में तो उसने अपनी पकड़ बना ही रखी है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव, 2019 में भाजपा ग्रामीण क्षेत्रों में 24 प्रतिशत की बढ़त बनाने में सफल रही है और शहरी क्षेत्रों में भी उसने पूर्ण नियंत्रण बनाये रखा है। (तालिका 6)

तालिका 6

मध्यप्रदेश लोकसभा चुनाव, 2019 में क्षेत्र के आधार पर विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन

क्षेत्र	भाजपा (प्रतिशत)	काँग्रेस (प्रतिशत)	बसपा+ (प्रतिशत)	अन्य (प्रतिशत)	n
ग्रामीण	57	34	3	6	690
शहरी	60	38	2	-	251

स्रोत: सीएसडीएस, राष्ट्रीय निर्वाचन अध्ययन, चुनाव पश्चात् सर्वेक्षण (मध्यप्रदेश), 2019
(भारित आँकड़े समंक n = 941)

आयु वर्ग के सन्दर्भ में दलीय समर्थन को देखें तो यह ध्यान देने योग्य बात है कि बड़े आयु वर्ग समूह में दलीय समर्थन के सन्दर्भ में भाजपा एवं काँग्रेस के मध्य अन्तर अधिक नहीं है जबकि पहली बार मताधिकार प्राप्त मतदाताओं और 35 वर्ष से नीचे के मतदाताओं के मध्य भाजपा के लिए समर्थन अधिक था। (तालिका 7)

तालिका 7
मध्यप्रदेश लोकसभा चुनाव, 2019 में
आयुवर्ग के आधार पर विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन

आयु	भाजपा (प्रतिशत)	काँग्रेस (प्रतिशत)	बसपा+ (प्रतिशत)	अन्य (प्रतिशत)	n
25 वर्ष तक	62	30	1	7	164
26-35 वर्ष	62	35	3	-	274
36-45 वर्ष	57	32	2	9	254
46-55 वर्ष	54	40	5	1	112
56 वर्ष और उससे अधिक	50	40	1	8	139

स्रोत: सीएसडीएस, राष्ट्रीय निर्वाचन अध्ययन, चुनाव पश्चात् सर्वेक्षण (मध्यप्रदेश), 2019
(भारित आँकड़े समंक n = 943)

काँग्रेस की पराजय के पीछे एक आयाम और है और वह है आर्थिक वर्ग। परम्परागत रूप से काँग्रेस को आर्थिक रूप से सम्पन्न वर्गों की तुलना में गरीबों एवं निम्न वगों का अधिक समर्थन प्राप्त था (गुप्ता, 2005; मेनॉर, 2004; रामशंकर एवं सिसोदिया, 2009; सिसोदिया एवं रामशंकर, 2009; सिसोदिया, 2014अ; 2014ब; 2019द)। भाजपा आर्थिक रूप से सम्पन्न उच्च वर्गों के मध्य अपना समर्थन को बनाये रखने में सक्षम थी वही वह समाज के कमजोर वर्ग के समर्थन को वापस प्राप्त करने में सफल रही जिसमें कि कुछ महीनों पूर्व हुए विधानसभा चुनावों में गिरावट आई थी। लोकसभा चुनाव, 2019 में भाजपा ने समाज के सभी वर्गों के बीच अधिक समर्थन हासिल किया। यद्यपि अधिक समृद्ध लोगों के बीच समर्थन बहुत व्यापक है। (तालिका 8)

तालिका 8
मध्यप्रदेश लोकसभा चुनाव, 2019 में
विभिन्न आर्थिक वर्गों के आधार पर राजनीतिक दलों का समर्थन

आर्थिक वर्ग	भाजपा (प्रतिशत)	काँग्रेस (प्रतिशत)	बसपा+ (प्रतिशत)	अन्य (प्रतिशत)	n
उच्च	67	25	-	8	273
मध्यम	59	33	1	6	207
निम्न	53	38	2	7	302
गरीब	56	37	6	1	273

स्रोत: सीएसडीएस, राष्ट्रीय निर्वाचन अध्ययन, चुनाव पश्चात् सर्वेक्षण (मध्यप्रदेश), 2019
(भारित आँकड़े समंक n = 942)

सामाजिक/जातीय आधार में बदलाव

राज्य में दो प्रमुख दावेदार दलों के समर्थन का सामाजिक चरित्र एक स्पष्ट सामाजिक गठबंधन के उदय को प्रदर्शित करता है। मध्यप्रदेश में दो दलों के सामाजिक अधार प्रवृत्ति को देखने पर दो पहलू सामने आ रहे है पहला - जाति अनुक्रम के साथ कोई स्पष्ट सामाजिक विभाजन नहीं है। दोनों दल अधिकांश सामाजिक समूहों का समर्थन प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं और दूसरा - प्रत्येक जाति समूह में एक विभाजन प्रतीत होता है। उच्च जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के मध्य भाजपा का समर्थन अधिक है (तालिका 9)। अनुसूचित जातियाँ काँग्रेस के साथ अधिक है और आदिवासी समूह भाजपा के प्रति अधिक झुकाव रखते हैं। उच्च जातियों के बीच भाजपा का समर्थन आधार तेजी से बढ़ा है। इस चुनाव में भाजपा ने उच्च जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गो और अनुसूचित जनजातियों के बीच अपना समर्थन मजबूत किया है।

तालिका 9

मध्यप्रदेश लोकसभा चुनाव, 2019 में

विभिन्न जातीय समूहों के आधार पर राजनीतिक दलों का समर्थन

जातीय समूह	भाजपा (प्रतिशत)	काँग्रेस (प्रतिशत)	बसपा+ (प्रतिशत)	अन्य (प्रतिशत)	n
ब्राह्मण	83	17	-	-	82
राजपूत	72	28	-	-	105
अन्य उच्च जातियाँ	60	40	-	-	25
यादव	50	24	-	26	46
दूसरें अन्य पिछडा वर्ग	96	27	-	4	286
अनुसूचित जाति	38	50	12	-	129
भील	50	50	-	-	48
गोण्ड/राजगोण्ड	41	39	-	20	49
अन्य अनुसूचित जनजातियाँ	55	31	2	12	94
मुस्लिम	33	67	-	-	55
अन्य	26	48	26	-	19

स्रोत: सीएसडीएस, राष्ट्रीय निर्वाचन अध्ययन, चुनाव पश्चात् सर्वेक्षण (मध्यप्रदेश), 2019
(भारित आँकड़े समंक n = 938)

भाजपा की जीत एवं कांग्रेस की हार का आकलन

राज्य में चुनाव चौथे से सातवे चरण में निर्धारित किये गये थे, जब राष्ट्रीय स्तर एवं सामान्यत: विशेषकर राज्य स्तर पर प्रचार पूरे जोरों पर था। भाजपा के अभियान की रणनीति नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और बहुसंख्यकवाद के मुद्दों के साथ प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के प्रदर्शन के तहत राष्ट्रीय सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना था। इसके साथ ही मध्यप्रदेश में भाजपा ग्रामीण

मतदाताओं को यह समझाने में सफल रही की कांग्रेस ने जो कृषकों की ऋणमाफी का वादा किया था वह पूरा करने में विफल रही है। जो कि 2018 के विधानसभा चुनावों में मजबूत चुनाव प्रबंधन मशीनरी और कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक था (सिसोदिया, 2019स)। भाजपा ने अघोषित बिजली कटौती के मुद्दे को भी पिछले कांग्रेस शासन के परिदृश्य से जोड़ते हुए बड़ी सफाई से उठाया।

कांग्रेस ने किसानों में असंतोष, युवाओं में बेराजगारी, राफेल पर प्रधानमंत्री पर हमले सहित भ्रष्टाचार का मुद्दा, मुद्रास्फीती, विमुद्रीकरण और जीएसटी के द्वारा अपना प्रचार अभियान चलाया। कांग्रेस समाज के कमजोर वर्ग को लुभाने के लिए न्याय योजना का प्रस्ताव भी लायी। यद्यपि भ्रष्टाचार का मुद्दा मोदी की निर्दोष छवि के आगे प्रभावी नही रहा और निष्फल हो गया। न्याय का विचार मतदाताओं के सम्भावित समूह तक न तो पहुँच पाया और न ही अपील कर पाया। मध्यप्रदेश में कांग्रेस को राज्य सरकार के प्रदर्शन के सन्दर्भ में कई मुद्दों पर भाजपा सरकार द्वारा रोक दिया गया जो कि बुथ स्तर तक कमजोर संगठनात्मक संरचना के कारण कांग्रेस प्रत्युत्तर नही दे पायी (सिसोदिया, 2019स)।

नरेन्द्र मोदी के असाधारण नेतृत्व के साथ, मजबूत संगठन, केडर बैस एवं बूथ स्तर तक के प्रबंधन सहित संसाधन सम्पन्न राजनीतिक दल का मुकाबला कांग्रेस ने अपनी कमतर ताकत एवं अन्तर्निहित कमजोरियों के साथ किया। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी खराब संगठनात्मक संरचना, संसाधनों की कमी, राज्य स्तर पर जीवंत नेतृत्व का अभाव और इसी प्रकार के कई मुद्दे रहे। राहुल गांधी ने अपने अभियान को बहुत ही रूढ़िगत तरीके से एक ही तरह के राजनीतिक आख्यान एवं रूपक के साथ पूरा किया जबकि आवश्यकता व्यापक एवं परिवर्तनशील होने की थी।

भाजपा की अभियान रणनीति बहुत ही उच्च स्तर पर थी और गैर-समानांतर भी। वास्तव में, यह भाजपा नहीं थी, यह मोदी ही थे जो पार्टी की प्रत्येक सीट से लड़ रहे थे और मतदाता लिंग, जाति, वर्ग, क्षेत्र से परे मोदी के नेतृत्व से इतने मंत्रमुग्ध और आश्वस्त थे कि वे एक नारे 'मोदी है तो मुमकिन हैं' के साथ भाजपा के प्रवाह में जुड़े तथा इस व्यापक जीत को साकार बनाया।

निष्कर्ष

राज्य चुनाव परिणामों ने राष्ट्रीय प्रवृत्ति (सिसोदिया, 2014) का ही अनुगमन किया है और लोकसभा चुनाव, 2019 कोई अपवाद नहीं थे। यह चुनाव स्पष्ट रूप से केन्द्र सरकार एवं उसके नेतृत्व के बारे में था। यह परिणाम कांग्रेस की तीन राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में जबर्दस्त हार को भी स्पष्ट करता है जहाँ दिसम्बर, 2018 मे हुए मतदान के बाद उसने सत्ता में वापसी की थी। विधानसभा चुनावों में मतदान राज्य स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन के लिए था। लेकिन लोकसभा हेतु मतदान मोदी के नेतृत्व में एक ओर कार्यकाल के भाजपा के दावे का अभूतपूर्व समर्थन था (पलसीकर एवं अन्य, 2019)। भाजपा की यह जीत इतनी

व्यापक एवं गहरी थी कि काँग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं दिग्विजससिह जैसे दिग्गज चुनाव हार गये। मध्यप्रदेश में भाजपा की इस व्यापक जीत का निहितार्थ यह भी है कि यह राज्य लगातार गुजरात प्रतिमान की ओर आगे बढ़ता हुआ एक प्रबल, प्रखर एवं प्रतिबद्ध भाजपा समर्थित राज्य की ओर घनीभूत होता हुआ आगे बढ़ रहा है।

टिप्पणी

1. वर्तमान मध्यप्रदेश क्षेत्रीय रूप से मध्यभारत (मालवा क्षेत्र में राज्यों का एक संघ), विध्य प्रदेश (विंध्य पर्वत क्षेत्र में राज्यों का एक संघ), भोपाल (केन्द्र प्रशासित एक रियासत) और केन्द्रीय प्रान्तों के हिन्दी भाषी क्षेत्रों का समूह है। मालवा क्षेत्र पश्चिमी मध्यप्रदेश में एक पठार क्षेत्र है। सदियों से इस क्षेत्र ने राजस्थानी, मराठी एवं गुजराती संस्कृति से प्रभावित अपनी एक अलग संस्कृति विकसित की है। मालवा क्षेत्र के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। मालवा क्षेत्र जनसंघ के समय से भारतीस जनता पार्टी का पारम्परिक गढ़ रहा है। महाकौशल नर्मदा नदी के पूर्वी या उपरी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर सतपुड़ा एवं मैकल श्रेणी की पर्वतमाला एवं सघन वन क्षेत्र है साथ ही बड़ी नदियाँ जैसे नर्मदा एवं ताप्ति भी इस क्षेत्र में हैं। क्षेत्र में दोनों बड़े राजनीतिक दलों की समान उपस्थिति रही है। विंध्य प्रदेश 1948 में मध्य भारत की पूर्वी क्षेत्र की रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। क्षेत्र के केन्द्र से गुजरने वाली विंध्य श्रेणी पर्वतमाला के कारण इसका नाम विंध्य पड़ा। यह उत्तर में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में महाकौशल क्षेत्र के बीच स्थित है। क्षेत्र समाजवादी आंदोलन से प्रभावित रहा है और यहाँ की राजनीति उत्तरप्रदेश की राजनीतिक प्रकृति से कुछ साम्यता रखती है।

सन्दर्भ

कुमार, संजय (1999): 'बीजेपीज़ डिफिट इन विधानसभा इलेक्शन, 1998: वाइडस्प्रेड इरोज़न ऑफ सपोर्ट बेस', **इकॉनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली**, 30 जनवरी, पृ. 288.

गुप्ता, शैवाल (2005): 'सोशियो-इकॉनामिक बेस ऑफ पालिटिकल डायनैमिक्स इन मध्यप्रदेश', **इकॉनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली**, 26 नवम्बर, पृ. 5095.

जैफ्रेलोट, क्रीस्टोफ (2008): 'द अनइवन प्लेवियनाइजेशन ऑफ मध्यप्रदेश पालिटिक्स', **सेमिनार**, (591).

पलसीकर, सुहास, संजय, कुमार एवं सन्दीप शास्त्री (2019): 'पोस्ट पोल सर्वे: एक्सप्लेनिंग द मोदी स्वीप एक्रास रिज़न', **हिन्दू**, 26 मई.

पाई, सुधा (2003): 'बीएसपीज़ प्रॉस्पेक्ट्स इन असेम्बली इलेक्शन्स' **इकॉनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली**, 38(3), 26 जुलाई, पृ. 3336.

मेनॉर, जेम्स (2004): 'द कांग्रेस डिफिट इन मध्यप्रदेश', **सेमिनार**, (534).

यादव, योगेन्द्र एवं पलसीकर, सुहास (2008): 'टेन थीसीस ऑफ स्टेट पालिटिक्स इन इंडिया', शास्त्री सन्दीप, सूरी, के.सी. (सम्पा.) **इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट्स**, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली.

रामशंकर (2004): 'सोशल टेक्टोनिक्स इन ए टू पार्टी सिस्टम', **इकॉनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली**, 18 दिसम्बर.

रामशंकर एवं सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह (2009): 'मध्यप्रदेश: ऑवरराइडिंग द कन्टूर ऑफ एण्टी इन्कम्बेंसी', **इकॉनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली**, 26 जुलाई, पृ. 3136.

वालेस, पॉल (2003): 'इण्ट्रोडक्शन: द न्यू नेशनल पार्टी सिस्टम एण्ड स्टेट पालिटिक्स', वालेस, पॉल एवं रॉय रामाश्रय (सम्पा.), **इंडियाज़ 1999 इलेक्शंस एण्ड 20 सेंचुरी पॉलिटिक्स**, सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, पृ. 5.

सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह (1995): **मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव, 1993 : एक विश्लेशण** (मोनोग्राफ), मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन, पृ. 49.

सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह एवं भट्ट, आशीष (2010): 'मध्यप्रदेश स्थायी बनती दो ध्रुवीय राजनीति', अरविंद मोहन (सम्पा.), **लोकतंत्र का नया लोक: चुनावी राजनीति में राज्यों का उभार**, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली.

सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह (2014अ): 'मध्यप्रदेश: अनएक्सपेक्टेड गैन्स फॉर काँग्रेस', सुहास पलसीकर, के.सी. सूरी, एवं योगेन्द्र यादव (सम्पा.) **पार्टी कम्पीटीशन इन इण्डियन स्टेट्स: इलेक्टोरल पालिटिक्स इन पोस्ट काँग्रेस पॉलिटी**, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 414.

सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह (2014ब): 'इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन मध्यप्रदेश: एक्सप्लेनिंग बीजेपी कन्सोलिडेशन' **स्टडीज़ इन इंडियन पॉलिटिक्स (जर्नल ऑफ लोकनीति)**, सेज़ पब्लिकेशंस, भाग 2, अंक 2, पृ. 203-14.

सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह (2018): **राष्ट्रीय सहारा**, 15 दिसम्बर.

सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह (2019अ), 'मध्यप्रदेश : एन एनालिसिस ऑफ बीजेपीस सक्सेस इन द 2014 लोकसभा इलेक्शन्स', कुमार आशुतोष, यतीन्द्रसिंह सिसोदिया (सम्पा.), **हाउ इंडिया वोट्स : ए स्टेट बाय स्टेट लुक**, ओरियण्टल ब्लेक स्वान, नई दिल्ली.

सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह (2019ब), 'पोस्ट पोल सर्वे: कमलनाथ गवर्नमेट फाल इन पापुलरिटी चार्ट्स इन मध्यप्रदेश', **हिन्दू**, 25 मई.

सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह (2019स), 'एक्सप्लेनिंग द बीजेपी'ज़ कम्प्रेहेन्सिव विक्ट्री इन एमपी', **इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली**, अगस्त, भाग 44, अंक 34.

सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह (2019द), 'मध्यप्रदेश असेम्बली इलेक्शन, 2018: डिकोडिंग द इलेक्टोरल आउटकम', **मध्यप्रदेश जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज**, जून, भाग 24, अंक 1.

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 17, अंक 2, 2019, पृ. 17-27)

भारत में आत्महत्या : पिछले पचास वर्ष का परिप्रेक्ष्य

नीलेश दुबे*

पिछले 50 वर्षों में देश में 4.24 करोड़ लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें 62.59 प्रतिशत पुरुष 37.41 प्रतिशत महिलाएँ थीं। इस अवधि में औसतन 83,661 आत्महत्याएँ प्रतिवर्ष हुईं। आत्महत्याओं में वर्ष 1968 से 2018 के बीच 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देश में पिछले पाँच दशकों में औसत दर 9.72 प्रति लाख रही। आत्महत्या की दर में राज्यवार भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा और जनसांख्यिकीय प्रमुख हैं। आत्महत्या की रोकथाम एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए नीतिगत सुधार तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयित किये गये जो उपचारात्मक पहल पर आधारित हैं जबकि इनको रोकथाम अथवा बचाव पर आधारित बनाने की महती आवश्यकता है।

प्रस्तावना

आत्महत्या वह त्रासदी है, जो समय से पहले एक व्यक्ति के जीवन को छीन लेती है, जो नाटकीय रूप से परिवार के सदस्यों, दोस्तों यहाँ तक की समुदाय के अन्य लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। एक ओर अस्पतालों में देखने में आता है कि जहाँ गम्भीर रूप से बीमार नवजात शिशु से लेकर उम्रदराज लोग जिन्दगी के लिए जद्दोजहद करते हैं तो दूसरी

*निदेशक, बिंदास बोल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल (म.प्र.), **E-mail: neelmcm@gmail.com**

ओर एक शारीरिक रूप से स्वस्थ इंसान आत्महत्या कर लेता है। यह मिथक है कि जो आत्महत्या की बात करते हैं वे आत्महत्या नहीं करते जबकि उन्हें मदद और सहारे की जरूरत होती है। वे चिन्ता, मदद के अभाव, अकेलेपन और कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं (डब्ल्यू.एच.ओ., 2014)। वर्ष 2017 में लैंसेट सायकेट्री रिपोर्ट के अनुसार भारत में 19.7 करोड़ मानसिक रोगी हैं। वर्ष 1990 की तुलना में मानसिक रोगियों की संख्या दो गुना बढ़ी है। अवसाद भी आत्महत्या का एक प्रमुख कारण है। देश में किसानों की आत्महत्या के मुद्दे को छोड़कर कोई भी आत्महत्या का कारण राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाता है क्योंकि इसे एक व्यावहारिक समस्या के रूप में देखकर नजरअन्दाज कर दिया जाता है या भुला दिया जाता है जबकि संविधान की नजरों में इंसान की जान कीमती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 - जीवन एवं दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रकिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतन्त्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अन्तर्गत आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना/उकसाना को अपराध माना गया है जिसमें सजा का प्रावधान भी है। हालाँकि आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। देश में मानसिक स्वास्थ्य पर नीतियाँ और कार्यक्रम भी बनाये गये हैं जिसमें वर्ष 2014 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति और वर्ष 2017 में मानसिक स्वास्थ्य कानून भी बनाया गया है। इसके बाद वर्ष 2017 में ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अस्तित्व में आयी। वर्ष 2018 में देश में कानून को लागू करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की भी शुरूआत की गयी है। आत्महत्या की रोकथाम के लिए देश में ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल की गयी है। मई 2013 में, छठी विश्व स्वास्थ्य सभा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली 'मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना' को अपनाया, जिसके तहत 2020 तक आत्महत्या के मामलों में 10 प्रतिशत की कमीं लाना है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास के लक्ष्यों (3.4.2) के तहत वर्ष 2030 तक आत्महत्या के मामलों में एक तिहाई की कमीं लाना है। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में देश में पिछले पाँच दशकों के परिप्रेक्ष्य में भारत में आत्महत्या पर अध्ययन किया गया है।

शोध पद्धति एवं अध्ययन के उद्देश्य

यह अध्ययन निम्न उद्देश्यों को लेकर सम्पादित किया गया -

क्या भारत में आत्महत्या की दर पिछले पाँच दशक में परिवर्तित हुई? क्या भारत में आत्महत्या की दर में अलग-अलग राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में भौगोलिक भिन्नता दिखती है? भारत में विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और भिन्नता से जुड़े कारकों को जानना। क्या समय के अन्तराल में आत्महत्या की प्रवृत्ति और कारणों में बदलाव/या परिवर्तन आया है? वर्तमान स्थिति के आधार पर वर्ष 2030 तक देश और प्रदेशों में आत्महत्या दर और आँकड़ों का अनुमान लगाना।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आधिकारिक प्रकाशन में पिछले 51 वर्ष (1968 से 2018 तक) के आत्महत्या के आँकडे एकत्र कर विश्लेषण किया गया। आने वाले समय में आत्महत्या की दर को जानने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय पद्धतियों जिसमें फोरकास्टिंग मेथड प्रमुख है का उपयोग किया गया।

आत्महत्या के मामलों की वैश्विक स्थिति

वर्ष 2012 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसके 172 सदस्य देशों के प्रति लाख आत्महत्या दर के आँकड़े जारी किये जिसके तहत वैश्विक आत्महत्या दर 11.4 प्रति लाख थी। वहीं उच्च आय वाले देशों में आत्महत्या दर 12.7 प्रति लाख तथा निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले देशों में आत्महत्या दर 11.2 प्रति लाख थी। इस रिपोर्ट के आधार पर वैश्विक क्षेत्रीय स्थिति देखें तो पाते हैं कि (1) निम्न और मध्यम आय श्रेणी के अफ्रीकी देशों में 10 प्रति लाख, (2) निम्न और मध्यम आय श्रेणी के अमेरिकी देशों में 6.1 प्रति लाख, (3) निम्न और मध्यम आय श्रेणी के पूर्व आभ्यन्तरिक (ईस्टर्न मेडिटेरेनियन) देशों में 6.4 प्रति लाख, (4) निम्न और मध्यम आय श्रेणी के यूरोपियन देशों मे 12.0 प्रति लाख, (5) निम्न और मध्यम आय श्रेणी के दक्षिण एशियाई देशों में 17.7 प्रति लाख और (6) निम्न और मध्यम आय श्रेणी के पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्र के देशों में आत्महत्या की दर 7.5 प्रति लाख थी। लैंसेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष आठ लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं जिनमें दक्षिण एशियाई देशों की भागीदारी 40 प्रतिशत है। अमेरिका में हर वर्ष 47 हजार लोग आत्महत्या कर लेते हैं। यहाँ पिछले दस वर्षों में 10-24 वर्ष की आयु के लोगों में आत्महत्या की दर 56 प्रतिशत हो गयी है, इसका कारण ड्रग्स का उपयोग, तनाव, सामाजिक अलगाव और आर्थिक नुकसानदेही है।

भारत में आत्महत्या के मामलों की स्थिति

देश में आत्महत्या दर का आँकलन और कारकों पर अध्ययन शोधार्थियों द्वारा समय-समय पर किया गया है। देश में वर्ष 1990 से 2016 तक देश में आत्महत्या दर 17.9 प्रति लाख रही है जो महिलाओं में 14.7 प्रति लाख और पुरुषों में 21.2 प्रति लाख रही है। महिलाओं में आत्महत्या दर वैश्विक दर से कहीं अधिक है (राखी डन्डोना एवं अन्य)। वर्ष 2006 से 2015 के बीच देश में आत्महत्या दर 10.9 प्रति लाख रही है। आत्महत्या की दर में राज्यवार अन्तर दिखता है जिसका एक पहलू आर्थिक भी है (पार्थसारथी राममूर्ति, प्रदीप थिलकन)।

हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में 1.34 लाख लोगों ने आत्महत्या की है। पिछले 51 वर्षों में देश में 4.24 करोड़ लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें 62.59 प्रतिशत पुरुष तथा 37.41 प्रतिशत महिलाएँ थीं। इस अवधि में औसत 83,661 आत्महत्याएँ प्रतिवर्ष हुईं। आत्महत्याओं में वर्ष 1968 से 2018 के बीच 72 प्रतिशत

की वृद्धि हुई। वर्ष 1968 से 1994 तक कुल आत्महत्या करने वालों में 16.02 प्रतिशत (2.08 लाख) 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे (अधिकतम 24 प्रतिशत वर्ष 1968 में तथा न्यूनतम 11.18 प्रतिशत वर्ष 1994 में)। वर्ष 1995 से 2016 के बीच कुल आत्महत्या करने वालों में से 2.9 प्रतिशत (0.75 लाख) 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चे थे। पिछले पाँच दशकों में आत्महत्या की राज्यवार घटनाओं की स्थिति देखें तो पाते हैं कि सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में 11042, महाराष्ट्र में 9787, तमिलनाडु में 9601, तेलंगाना में 8849 और आन्ध्र प्रदेश में 8327 लोगों ने प्रतिवर्ष आत्महत्या की। पिछले पचास वर्षों में मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष 6059 आत्महत्याएँ हुईं। देश में आत्महत्याओं के मामले में मध्य प्रदेश का देश में आठवाँ स्थान रहा है। इस दौरान लक्ष्यदीप में 1, नागालैंड में 20, मणिपुर में 33, दादर-नगर हवेली में 40, दमन और दीव समूह में 42 लोगों ने प्रतिवर्ष आत्महत्याएँ की हैं। मणिपुर और नागालैंड को छोड़कर सभी केन्द्र शासित प्रदेश हैं।

आत्महत्या के आँकड़ों को प्रति लाख में भी मापा गया है (सुसाइड डेथ रेट, एसडीआर), इसके माध्यम से जनसंख्या के अनुपात में आत्महत्या की सही स्थिति सामने आती है। देश में पिछले पाँच दशकों में आत्महत्या की औसत दर 9.72 प्रति लाख रही। मध्य प्रदेश में यह दर 9.65 प्रति लाख रही जो राष्ट्रीय औसत से कम है। देश में आत्महत्या दर में राज्यवार भिन्नताएँ हैं। इसी अवधि में देश में सबसे अधिक पुदुचेरी में 49.85 प्रति लाख, अंडमान निकोबार 27.48, तेलंगाना में 24.11, केरल में 23.2 और चंडीगढ़ में यह दर 22.65 प्रति लाख रही, वहीं दूसरी और देश के जिन राज्यों में यह दर सबसे कम रही उसमे अरुणाचल प्रदेश 1.02 प्रति लाख, बिहार में 1.14, जम्मू-कश्मीर 1.41, नागालैंड 1.47 और मणिपुर में आत्महत्या दर 1.69 प्रति लाख रही।

आत्महत्याओं की संख्या और दर में राज्यवार भिन्नता है, परन्तु इसके कारकों को समझना आवश्यक है। लैंसेट रिपोर्ट, 2017 के अनुसार देश के पाँच प्रमुख राज्यों - तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, केरल और गोवा - में सबसे ज्यादा अवसादग्रस्त लोग हैं। इन सभी राज्यों में प्रतिव्यक्ति आय 1.5 से 3 लाख है। जबकि जिन पाँच राज्यों में सबसे कम अवसादग्रस्त लोग हैं उनमें, मध्य प्रदेश, छतीसगढ़, उत्तरप्रदेश, बिहार और मेघालय हैं। इन सभी राज्यों में प्रति व्यक्ति आय एक लाख से कम है जो आत्महत्या की वैश्विक प्रवृत्ति है, जो सिद्ध करती है कि अधिक आय वाले देशों में आत्महत्या की दर अधिक है और निम्न मध्यम और निम्न आय वाले देशों में आत्महत्या की दर उच्च आय वर्ग वाले देशों की तुलना में काफी कम है। इसी प्रकार की स्थिति देश के राज्यों में भी है। जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय अधिक है वहाँ आत्महत्या की दर भी अधिक है और जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय कम है उन राज्यों मे आत्महत्या की दर उच्च आय वर्ग वाले राज्यों की तुलना में कम है (तालिका 1)।

तालिका 1

राज्यवार प्रति व्यक्ति आय और आत्महत्या दर (वर्ष 2017)

प्रति व्यक्ति आय वर्तमान दर	राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश	आत्महत्या प्रति लाख
-	दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप	-
उच्च आय वर्ग राज्य (2-3 लाख)	दादर गोवा, दिल्ली (केन्द्र शासित प्रदेश), सिक्किम, छत्तीसगढ़	18.72
मध्यम आय वर्ग राज्य (1.5-2 लाख)	(2-3 लाख) पुदुचेरी, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मैसूर, तैलंगाना, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु	16.05
निम्न मध्यम आय वर्ग राज्य (1-1.5 लाख)	हिमाचल प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार, पंजाब, आन्ध्रप्रदेश, अरुणाचलप्रदेश	6.92
निम्न आय वर्ग राज्य (1 लाख से कम)	त्रिपुरा, नागालैंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, मध्यप्रदेश, ओडिशा, मेघालय, असम, झारखंड, मणिपुर, उत्तरप्रदेश, बिहार	5.65

वर्तमान स्थिति के आधार पर आत्महत्या के अनुमान सतत विकास के लक्ष्यों से कितनी दूर?

संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 2030 तक आत्महत्या की दर में एक तिहाई की कमी लाना है। परन्तु, देश में ऐसी ही स्थिति जारी रही तो यह लक्ष्य चुनौतीपूर्ण लगता है। वर्ष 2030 तक के अनुमान के अनुसार देश में यह दर 13.2 प्रति लाख होगी। देश में सतत विकास के लक्ष्यों के विपरीत आत्महत्या की दर 25 प्रतिशत बढ़ जायेगी। देश में मात्र 8 राज्यों - जिसमें बिहार, मणिपुर, मेघालय, नागलैंड, ओडिशा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और लक्षदीप शामिल हैं - में दर में एक तिहाई या उससे ज्यादा की कमी आयेगी। यह भी रोचक तथ्य है कि ये सभी राज्य निम्न आय श्रेणी के हैं। शेष अन्य राज्यों में दर में कमी की जगह बढ़ोतरी होगी (तालिका 2)।

तालिका 2

सतत विकास के लक्ष्य अनुसार आत्महत्या दर में बढ़ोतरी अथवा कमी

राज्य	वर्तमान दर	वर्ष 2030 तक अनुमानित दर	बदलाव +/- (प्रतिशत)
आन्ध्रप्रदेश	13.17	19.91	33.85
अरुणाचलप्रदेश	1.02	-1.77	157.6
असम	2.47	15.21	83.76
बिहार	1.14	0.23	-395.6
छत्तीसगढ़	24.7	29.4	15.98
गोवा	16.7	13.9	-20.14
गुजरात	11.58	14.71	21.27
हरियाणा	12.49	15.7	20.44
हिमाचलप्रदेश	10.18	10.57	3.68
जम्मू एवं कश्मीर	2.5	3.41	26.68

राज्य	वर्तमान दर	वर्ष 2030 तक अनुमानित दर	बदलाव +/- (प्रतिशत)
झारखंड	3.55	4.46	20.4
कर्नाटक/मैसूर	17.66	23.44	24.65
केरल	23.53	29.64	20.61
मध्यप्रदेश	14.5	16.55	12.38
महाराष्ट्र	14.81	19.8	25.2
मणिपुर	1.69	1.08	-56.48
मेघालय	16.02	8.17	-96.08
मिजोरम	2.5	11.2	77.67
नागालैंड	1.69	1.2	-40.83
ओडिशा	10.5	5.72	-83.56
पंजाब	5.77	4.52	-27.65
राजस्थान	5.66	9.06	37.52
सिक्किम	30.15	47.53	36.56
तमिलनाडु	18.42	27.04	31.87
तेलंगाना	21.2	-1.77	1297.7
त्रिपुरा	18.18	21.29	14.6
उत्तरप्रदेश	2.2	1.44	-52.7
उत्तराखंड	3.81	2.9	-31.37
पश्चिम बंगाल	13.7	17.23	20.48
अंडमान एवं निकोबार	41	35.36	-15.95
चंडीगढ़	13.7	11.15	-22.87
दादरा एवं नगर हवेली	19.1	19.67	2.89
दमन एवं दीव	8.75	13.97	37.36
दिल्ली (केन्द्र शासित प्रदेश)	12.91	12.2	-5.81
लक्षद्वीप	4.29	1.67	-156.8
पुदुचेरी	8.75	47.97	81.75
भारत	9.72	13.2	26.36

जैसा पहले विश्लेषण में सिद्ध हुआ है कि आत्महत्या की दर में राज्यवार भिन्नता का एक कारण आर्थिक है वहीं दूसरी ओर तालिका 3 से यह तथ्य भी सामने आया है कि इसका प्रमुख कारण जनसंख्या में भिन्नता है। जिन राज्यों में शहरी आबादी ज्यादा है वहाँ आत्महत्या दर ज्यादा है जबकि जिन राज्यों में ग्रामीण आबादी ज्यादा है उन राज्यों में पिछले पाँच दशकों में आत्महत्या दर कम रही।

तालिका 3
पिछले पाँच दशक में राज्यवार आत्महत्या दर और ग्रामीण आबादी

क्रमांक	राज्य	ग्रामीण आबादी 2011	पिछले पाँच दशक में आत्महत्या दर
1.	जम्मू एवं कश्मीर	72.62	1.41
2.	हिमाचलप्रदेश	89.97	5.18
3.	पंजाब	62.52	3.11
4.	चंडीगढ़	2.75	22.65
5.	उत्तराखंड	69.77	3.21
6.	हरियाणा	65.12	9.00
7.	दिल्ली (केन्द्र शासित प्रदेश)	2.50	8.28
8.	राजस्थान	75.13	4.97
9.	उत्तरप्रदेश	77.73	2.37
10.	बिहार	88.71	1.14
11.	सिक्किम	74.85	20.81
12.	अरुणाचलप्रदेश	77.06	1.02
13.	नागालैंड	71.14	1.47
14.	मणिपुर	70.79	1.69
15.	मिजोरम	47.89	5.65
16.	त्रिपुरा	73.83	20.71
17.	मेघालय	79.93	3.87
18.	असम	85.90	2.47
19.	पश्चिम बंगाल	68.13	15.79
20.	झारखंड	75.95	3.20
21.	ओडिशा	83.31	8.47
22.	छत्तीसगढ़	76.76	22.65
23.	मध्यप्रदेश	72.37	9.65
24.	गुजरात	57.40	8.65
25.	दमन एवं दीव	24.83	1.67
26.	दादरा एवं नगर हवेली	53.28	21.17
27.	महाराष्ट्र	54.78	11.85
28.	आन्ध्रप्रदेश	66.64	13.17
29.	कर्नाटक	61.33	17.47
30.	गोवा	37.83	18.03
31.	लक्षद्वीप	21.93	1.95
32.	केरल	52.30	23.20
33.	तमिलनाडु	51.60	16.95
34.	पुदुचेरी	31.67	49.85
35.	अंडमान एवं निकोबार	62.30	27.48

आत्महत्या करने वालों की स्थिति एवं और उसमें परिवर्तन

आत्महत्या करने वालों की स्थिति - जिसमें शिक्षा, उम्र और व्यवसाय हैं - को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपने प्रतिवेदन में वर्ष 1995 से सम्मिलित करना प्रारम्भ किया। पिछले 23-24 वर्षों में आत्महत्या करने वालों की शैक्षणिक स्थिति में बदलाव आया है। वर्ष 1995 में जहाँ आत्महत्या करने वाले कम पढ़े-लिखे होते थे वहीं वर्ष 2018 में जिन्होंने आत्महत्या की वे वर्ष 1995 की तुलना में ज्यादा पढ़े-लिखे थे। वर्ष 1995 में देश में आत्महत्या करने वाले 29.3 लोग बिना पढ़े-लिखे थे, जो वर्ष 2018 की स्थिति में 12.66 प्रतिशत है जबकि प्राथमिक स्तर की शिक्षा वाले 26.3 प्रतिशत से घटकर 12.66 प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा स्तर के 21.4 प्रतिशत से घटकर 19.52 प्रतिशत हो गये। दूसरी और वर्ष 1995 में आत्महत्या करने वालों में से 14.2 प्रतिशत की शिक्षा मेट्रिक स्तर की थी जो बढ़कर 23.61 हो गयी। उच्चतर माध्यमिक स्तर के आत्महत्या करने वाले 5.2 प्रतिशत से बढ़कर 16.41 प्रतिशत हो गये। डिप्लोमाधारी, स्नातक और अधिक शिक्षित 3.6 प्रतिशत से बढ़कर 4.72 प्रतिशत हो गये। हालाँकि इस दौरान देश में समग्र रूप से शिक्षा की स्थिति में बदलाव आया है।

आत्महत्या करने वालों की व्यवसायिक पृष्ठभूमि में भी बदलाव आया है। वर्ष 1995 में जिन्होंने आत्महत्या की थी उनमें 19.92 प्रतिशत गृहिणी थीं जो 2018 में घटकर 17.05 प्रतिशत हो गयीं। सरकारी नौकरी की पृष्ठभूमि वाले 1.8 प्रतिशत से घटकर 1.2 प्रतिशत, प्राइवेट सर्विस वाले 6.7 से घटकर 6.1 प्रतिशत, सार्वजानिक क्षेत्र में कार्य करने वाले 2.0 प्रतिशत से घटकर 1.5 प्रतिशत, जबकि छात्र 6.6 प्रतिशत से बढ़कर 7.5 प्रतिशत, बेरोजगार 9.2 प्रतिशत से 9.6 प्रतिशत और कृषि पृष्ठभूमि वाले 13.3 प्रतिशत से घटकर 7.7 प्रतिशत हो गये हैं। छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति चिन्ताजनक है। देश में जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनमे केवल एक चौथाई छात्रों ने परीक्षा में असफल हो जाने के कारण आत्महत्या की जबकि अन्यान्य कारण प्रेम में असफलता, अवसाद और कैरियर में अच्छे विकल्प न मिल पाना प्रमुख हैं। आत्महत्या के मामलों में परिवर्तन हुआ उसमें दैनिक मजदूर भी शामिल हैं जिनकी आत्महत्या में कुल हिस्सेदारी 1995 में 18.25 प्रतिशत थी जो बढ़कर 38.5 प्रतिशत हो गयी है। कुल आत्महत्या में अन्य और दैनिक मजदूरों की बढ़ी हिस्सेदारी यह दर्शाती है कि जो उच्च आय श्रेणी वाले राज्यों में आत्महत्या कर रहे हैं वे निम्न आय वर्ग के लोग ही हैं। यह भी हो सकता है कि उच्च आय श्रेणी के राज्यों में गरीबी-अमीरी की खाई ज्याद बढ़ रही है। इन राज्यों में निम्न व्यावसायिक स्थिति वाले लोगों को अच्छे या बराबरी के अवसर नहीं मिल पाते हैं।

आत्महत्या करने वालों में 30 वर्ष तक की उम्र के लोग अधिक हैं। वर्ष 2018 में इस आयु वर्ग में आत्महत्या का प्रतिशत 41.9 है। देश में 30 से 44 वर्ष के आयु वर्ग की आत्महत्या दर भी अधिक रही। हालाँकि दोनों आयु वर्ग में 1995 से 2018 में मामूली सी गिरावट दर्ज की गयी है। जबकि 45 से 59 और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों में बढ़ोतरी हुई है (तालिका 4)।

तालिका 4

आत्महत्या करने वालों की उम्र

1995			2018		
उम्र	आत्महत्या	प्रतिशत	उम्र	आत्महत्या	प्रतिशत
60 वर्ष से अधिक	5499	6.17	60 वर्ष से अधिक	10696	8.0
45 से 60 वर्ष	14943	16.76	45 से 60 वर्ष	24982	18.6
30 से 44 वर्ष	29084	32.61	30 से 44 वर्ष	42493	31.6
29 वर्ष से कम	39652*	44.46	29 वर्ष से कम	56284**	41.9
	89178	100.00		134455	100.0

स्रोत : एनसीआरबी प्रतिवेदन

*14 वर्ष तक की उम्र की 3174 आत्महत्याएँ एवं **14 वर्ष तक की उम्र की 9381 आत्महत्याएँ सम्मिलित

आत्महत्या के कारण

तालिका क्रमांक 5 एवं 6 में क्रमश: वर्ष 1968 एवं वर्ष 2018 में आत्महत्या के कारणों को दर्शाया गया है।

तालिका 5 से स्पष्ट है कि वर्ष 1968 में आत्महत्या के कारणों में अन्य कारणों के अलावा परीक्षा में असफलता, सास-ससुर से झगड़ा, विवाहित साथी से झगड़ा, गरीबी, प्रेम सम्बन्ध, सम्पत्ति विवाद, पागलपन, रोग/बीमारी आदि कारण थे।

तालिका 5

वर्ष 1968 में आत्महत्या के कारण

क्र.	आत्महत्या के कारण	प्रतिशत
1	परीक्षा में असफलता	4.0
2	सास-ससुर से झगड़ा	8.0
3	विवाहित साथी से झगड़ा	6.0
4	गरीबी	5.0
5	प्रेम सम्बन्ध	3.0
6	सम्पत्ति विवाद	2.0
7	पागलपन	3.0
8	रोग/बीमारी	17.0
9	अन्य कारण	52.0
	योग	100.0

स्रोत: एनसीआरबी, प्रतिवेदन 1968

इसी प्रकार तालिका 6 से स्पष्ट है कि वर्ष 1918 में आत्महत्या के कारणों में अन्य कारणों एवं मामले जिनमें आत्महत्या का कारण ज्ञात नहीं हो सका के अतिरिक्त नपुंसकता/बांझपन, सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट, अवैध सम्बन्ध, प्रियजन की मृत्यु, गरीबी, सम्पत्ति विवाद, व्यवसायिक/पेशेगत समस्या, बेरोजगारी, परीक्षा में असफलता,

दिवालियापन/ऋणग्रस्तता, प्रेम सम्बन्ध, नशीली दवाईयाँ/शराब की लत, वैवाहिक समस्या, पारिवारिक समस्या, रोग/बीमारी आदि कारण रहे हैं।

तालिका 6
वर्ष 2018 में आत्महत्या के कारण

क्र.	आत्महत्या के कारण	प्रतिशत
1	नपुंसकता/बांझपन	0.2
2	सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट	0.4
3	अवैध सम्बन्ध	0.5
4	प्रियजन की मृत्यु	0.8
5	गरीबी	0.9
6	सम्पत्ति विवाद	0.9
7	व्यवसायिक/पेशेगत समस्या	1.3
8	बेरोजगारी	2.0
9	परीक्षा में असफलता	2.0
10	दिवालियापन/ऋणग्रस्तता	3.7
11	प्रेम सम्बन्ध	4.0
12	नशीली दवाईयाँ/शराब की लत	5.3
13	वैवाहिक समस्या	6.2
14	पारिवारिक समस्या	30.4
15	रोग/बीमारी	17.7
16	कारण ज्ञात नहीं	11.0
17	अन्य कारण	12.7
	योग	100.0

स्रोत: एनसीआरबी, प्रतिवेदन 2018

इस प्रकार तालिका क्रमांक 5 एवं 6 से स्पष्ट है कि पाँच दशकों में आत्महत्या के नये कारणों/श्रेणियों में बढ़ोत्तरी हुई है।

निष्कर्ष और अनुशंसाएँ

पिछले पाँच दशकों में भारत में आत्महत्या की दर 9.72 रही जो वैश्विक दर 11.4 से कम है। आत्महत्या की दर में राज्यवार भिन्नताएँ हैं, जिसको प्रभावित करने वाले कई कारक हैं जिसमें आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा और जनसांख्यिकीय प्रमुख हैं। इस विश्लेषण में यह भी देखा गया कि जो कारक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं उनकी रोकथाम की जा सकती है। वैश्विक स्तर पर या भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों में आत्महत्या की दर अधिक है। यह बहुत चौंकाने वाला तथ्य है कि ज्यादातर आत्महत्याए करने वालों में समाज के कमजोर तबकों जिसमें किसान, छोटे व्यवसायी और दिहाड़ी मजदूर प्रमुख हैं। इसका आशय यह है कि देश की आर्थिक प्रगति गरीबी-अमीरी की

खाई बढ़ा रही है जिसका प्रमुख कारण सामान्य या निम्न तबके को समान अवसर नहीं मिल पाना है। कई शोधों से सिद्ध हुआ है कि अवसाद में रह रहे लोगों को रोकथाम आधारित पहल जिसमें लगातार संवाद प्रमुख है, के द्वारा बचाया जा सकता है। इसके लिए देश में मानसिक स्वास्थ्य के लिए नीतिगत सुधार एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाएँ जो उपचारात्मक पहल पर आधारित हों।

सन्दर्भ

डब्ल्यू.एच.ओ. (2014), *प्रिवेन्टिग सुअसाइड : ए ग्लोबल इम्पेरेटिव,* जेनेवा.

डंडोना, राखी एवं अन्य, (2018) 'जेण्डर डिफरेंशल एण्ड स्टेट वेरिएशन्स इन सुअसाइडल डेथ इन इण्डिया: द ग्लोबल बर्डन आफ डिज़ीज', *लैंसेट पब्लिक हेल्थ,* अक्टूबर, अंक 3, पृ. 478.

पार्थसारथी, राममूर्ति एवं प्रदीप तिलकन (2019), 'जियोग्राफीकल एण्ड टेम्पोरल वेरिएशन ऑफ सुअसाइड इन इंडिया 2006-2015: एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेक्टर्स एसोसिएटेड विथ सुअसाइड रिस्क डिफरेंस एक्रास स्टेट/यूनियन टेरिटाफरिज़', *इंडियन जर्नल ऑफ सायकॉलॉजिकल मेडिसीन,* भाग 41
अंक 2, पृ. 160.

यूनाइटेड नेशन्स (2015) *सस्टेनेबल डेवलपमेट गोल्स.*

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 17, अंक 2, दिसम्बर 2019, पृ. 28-37)

भारतीय चुनाव का एथ्नोग्राफिक अध्ययन : दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के विशेष संदर्भ में

प्रवीण कुमार झा* एवं पंकज कुमार झा†

भारतीय लोकतंत्र में चुनावों को अकादमिक एवं पत्रकारिता जगत द्वारा प्रमुख रूप से संख्यात्मक और मात्रात्मक आंकड़ों के सहारे प्रस्तुत किया जाता रहा है। ऐसे में चुनाव संबंधी गहरी शोध एवं विवरण का अभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रस्तुत शोध लेख दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2020 के विशेष संदर्भ में चुनावों का एथ्नोग्राफिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसमें विशेष रूप से एथ्नोग्राफिक अध्ययन संबंधी साहित्य समीक्षा को प्रस्तुत करते हुए, चुनावी भाषा, चुनावी रैलियाँ, विकासवादी मुद्दों एवं लोग चुनाव में मतदान क्यों डालते हैं आदि को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।

भूमिका

यह संगम विहार नहीं रहा अब यह संकट विहार हो गया है, पानी का जबरदस्त संकट है यहाँ, एक-एक बूंद पानी के लिए हम तरसते हैं। इस चुनाव में हम उसे वोट करेंगे जो हमें पानी के संकट से मुक्त करेगा।[1]

*असिसटेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान), शहीद भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
E-mail: pravinjhadu@gmail.com
†असिसटेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान), मोतीलाल नेहरु कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
E-mail: pankaj.j.du@gmail.com

"वैसे तो मैं भाजपा को ही वोट दूंगा परंतु सामान्य रूप से यहाँ हवा केजरीवाल की है। लोगों के पेट में घुस चुका है केजरीवाल। समाज का जो कमजोर तबका है वह अपने पेट के लिए दिल्ली जैसे महानगर में कशाकमश करता रहता है, उसकी जरुरत को भांपते हुए केजरीवाल ने अपनी नीतियाँ (बिजली-पानी) बनाई हैं। ऐसे में वह लोगों के पेट में प्रत्यक्ष रूप से घुस गया है।" (हरिनगर विधानसभा, निवासी व्यवसायी जगदीप सिंह (70) का कथन)

उपरोक्त दोनों कथन एथ्नोग्राफिक शोध प्रविधि का नायाब उदाहरण प्रस्तुत करता है। लोकतंत्र में चुनावी राजनीति का अहम योगदान रहा है। चुनाव लोकतंत्र को गतिमान और जीवंत बनाता है। भारतीय संदर्भ में चुनावी राजनीति पर अब तक मात्रात्मक शोध के आधार पर अधिकांश शोध किया गया है। ऐसे में यह लेख मुकुलिका बैनर्जी की पुस्तक 'व्हाई इंडिया वोट्स' को अपनी पृष्ठभूमि में रखते हुए भारतीय चुनाव का एथ्नोग्राफिक अध्ययन प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। इस रूप में यहाँ चुनावी आंकड़े नहीं बल्कि अहसास को विशेष महत्व देते हुए चुनावी रैलियों, चुनावी भाषा, स्थानीय मुद्दों, व्यक्ति पूजा एवं मतदान के महत्व को रेखांकित किया है। गौरतलब है कि यह लेख दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2020 के दौरान किये गये विस्तृत एथ्नोग्राफिक शोध के आधार पर चुनाव संबंधी विभिन्न पक्षों को विस्तार से प्रस्तुत करने का प्रयास है।

भारत में चुनावी अध्ययन

भारत में चुनावी अध्ययन का लंबा इतिहास रहा है। यहाँ उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों की चर्चा अपरिहार्य होगी। 1960 और 1970 के दशक में मायरन वीनर और रजनी कोठारी ने इस क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण शोध को प्रकाशित किया। इसे और विस्तार से पॉल ब्रॉस ने प्रस्तुत किया एवं इसमें व्यक्ति अध्ययन (केस स्टडी) पद्धति को भी सम्मिलित किया। चुनावी अध्ययन के इतिहास में मायरन वीनर के 1977 के चुनावों पर अध्ययन अविस्मरणीय है। 1980 के दशक में चुनावी सर्वे की वापसी सेफ़ोलॉजी के रूप में होने लगी जिसमें प्रमुख रूप से दो विद्वान डेविड बटलर और प्रणय रॉय ने इसे टेलीविजन जगत से जोड़ा। कालांतर में राजनीति वैज्ञानिकों के साथ मिलकर सीएसडीएस स्थित लोकनीति नेटवर्क द्वारा मतदाता के रुख और मतों पर एक गहरा शोध 1996 के आम चुनाव और उसके बाद के राज्य विधानसभाओं में करवाया गया जो आज बहुत मजबूत स्थिति में स्थापित है। ऐसे में यह लेख चुनावी अध्ययन संबंधी स्थापित इस प्रविधि से अलग गुणात्मक शोध पद्धति पर आधारित एथ्नोग्राफिक प्रविधि से भारतीय चुनाव को देखना है।

राजनीतिक एथ्नोग्राफिक संबंधी उपलब्ध साहित्य

मुख्यधारा चुनावी अध्ययन मात्रात्मक अध्ययन, संख्या आधारित राजनीति विश्लेषण पर जोर देता है जबकि एथ्नोग्राफिक उपागम या नज़रिया लोगों, नेताओं और संस्थाओं का बहुत गहराईपूर्वक अध्ययन तथा दीर्घकालिक पर्यवेक्षण प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि

समाज वैज्ञानिकों (बैनर्जी, 2007; 2014; कुमार, 2014; प्रियम, 2017) ने यह रेखांकित किया है कि भारतीय राजनीति के विद्यार्थियों के लिए एथ्नोग्राफिक पद्धति एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में है। स्वतंत्रता के बाद शुरुआती दशकों में भारत में एथ्नोग्राफिक अध्ययन मुख्य रूप से समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र से जुड़ा हुआ रहा है (बैली, 1963; बेंतले, 1965; चक्रवर्ती, 1975; फॉक्स, 1969; श्रीनिवास, 1962)। परंतु हाल के दशकों में दक्षिण एशियाई लोकतंत्र में स्थानीय स्तर के अनुभवों को बहुत संजीदा तरीके से एथ्नोग्राफिक शोध के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है (बैनर्जी, 2007; 2014; हैन्सेन, 1999; जैफर्री, 2010; कुमार, 2018; प्रियम, 2016; 2017)। सतेंद्र कुमार (2014) ने एथ्नोग्रॉफिक उपागम की तीन विशेषताओं को रेखांकित किया है। पहला, एथ्नोग्राफिक अध्ययन राजनीति के जमीनी पक्ष के अध्ययन के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। दूसरा, यह उपागम स्थानीय स्तर पर मौजूद जटिल तस्वीरों को सूचनादाता के नजरिये से प्रस्तुत करता है एवं तीसरा, इसमें केवल सवाल नहीं पूछे जाते यद्यपि उत्तरदाता की भाव-भंगिमा का भी गहराई से अध्ययन किया जाता है (कुमार, 2014, 237-242)। प्रस्तावित लेख राजनीतिक मानवशास्त्री मुकुलिका बैनर्जी के एथ्नोग्राफिक कार्यों को आधार बनाकर इसे आगे बढ़ाता है। मुकुलिका बैनर्जी (2007) ने पवित्र चुनाव की संकल्पना को व्यक्त करते हुए भारतीय चुनावों की विविधता एवं उसके माध्यम से निष्पक्ष प्रक्रिया, समानता, विधि का शासन और पर्व-त्यौहार वाली स्थिति होने का दावा किया। उन्होंने अपनी किताब 'व्हाई इंडिया वोट्स' (2014) में भारतीय चुनाव को एथ्नोग्राफिक तरीके से समझने संबंधी तीन तत्वों को रेखांकित किया। पहला, एथ्नोग्राफिक अध्ययन लोगों से केवल सवाल नहीं पूछता बल्कि इसमें क्रियाओं (एक्शन्स) का भी सूक्ष्मता से पर्यवेक्षण किया जाता है।[2] दूसरा, इसमें अध्ययन के केन्द्र में सूचना देने वालों की विचारधारा और शब्दावलियों का खूबसूरती से चित्रण किया जाता है जिसके तहत क्षेत्र में मिलने वाली सूचनाओं को विशेष अहमियत दी जाती है न कि हमारे स्वयं के विश्लेषण को।[3] तीसरा, उपरोक्त दोनों में विरोधाभास होने पर एक समग्रवादी (हॉलिस्टिक) अध्ययन की संभावना दिखाई पड़ती है। लोकपरंपराओं को तवज्जों देने का अर्थ यह नहीं है कि क्षेत्र से सूचना देने वाले सूचनादाताओं की किसी भी सूचना को आप शोध में स्थान देते हैं। यहाँ यह भी देखना जरुरी है कि इसकी समझ और विस्तृत संदर्भ में जोड़कर देख सकते हैं कि नहीं।

राष्ट्रीय बनाम स्थानीय मुद्दे

दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2020 में राष्ट्रीय बनाम स्थानीय मुद्दे के बीच तकरार देखी गई। राष्ट्रीय मुद्दों की नुमाईंदगी जहाँ भाजपा एवं शाह-मोदी कर रहे थे वहीं आम आदमी पार्टी स्थानीय नीति की पैरोकार के रूप में देखी गई। गौरतलब है कि इस चुनाव में भाजपा राष्ट्रीय मुद्दों, धारा 370, तीन तलाक, राम मंदिर जैसे राष्ट्रवादी मुद्दों के आधार पर दिल्ली के लोगों से समर्थन मांग रही थी। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपनी

स्थानीय नीतियों जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में किये गये प्रयासों के आधार पर वोट मांग रहे थे।

अपने क्षेत्रीय कार्य के दौरान दिल्ली के लोगों ने हमें स्पष्ट रूप से कहा कि कैसे उनके लिए आम आदमी पार्टी सरकार की स्थानीय विकासवादी नीतियाँ बहुत हावी रहीं। बिहार के मुंगेर जिले से दिल्ली में आकर टोटो बैटरी गाड़ी चलाने वाले मनोज कुमार (40) का मानना है कि 'अमीर लोगों के लिए बिजली-पानी का मुद्दा बेशक बहुत अहम नहीं हो परंतु गरीब एवं कमजोर लोगों के लिए यह बहुत मायने रखता है, और यह ऐसा कदम है जिससे सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बहाल होता है। यह बहुत बड़ा बदलाव है। हमारा बिजली-पानी का बिल जीरो आ रहा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि वही (केजरीवाल) दिल्ली में फिर से आयेगा'। कुछ अन्य उत्तरदाता ने हमें बहुत रोचक तरीके से बताया कि अगर मेरा सीवर खराब होगा तो क्या मैं मोदी जी को बुलाउंगा। हरिनगर चौक में पान-गुटके की दुकान चला रहे 45 वर्षीय मोहित ने केजरीवाल सरकार के कार्यों को इंगित करते हुए कहा कि केजरीवाल की सरकार ने अंधेरी गलियों में कैमरे लगाये गये हैं। पहले छिट-पुट घटनाएँ हो जाती थी। इससे उसपर लगाम लगेगी। गलियों में जो 25-30 साल से सीवर थे, जो खराब हो चुके थे, चूहे खा रहे थे, सबको दुरुस्त किया गया है। बिजली-पानी के साथ-साथ यह भी बहुत बुनियादी चीज है जिसे केजरीवाल सरकार एवं यहाँ के स्थानीय विधायक ने पूरा किया है। इसलिए इस चुनाव में हमारा मत केजरीवाल सरकार को ही जायेगा। यह ऐसा काम है जिसको हम अपने स्थानीय विधायक के माध्यम से करवा सकते हैं।

केजरीवाल सरकार की स्कूली नीतियों की प्रशंसा करते हुए हरीनंगर विधानसभा के सी ब्लॉक निवासी 40 वर्षीय सुरेन्द्र कुमार के अनुसार, 'बिजली और पानी का तो मैं नहीं देखता। परंतु मुझे इन पाँच सालों में स्कूलों से बुलाकर फीस वापस की गई है। मेरे बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते हैं। पहले इन निजी स्कूलों में बहुत अव्यवस्था थी, बहुत अधिक फीस से वे कमाई करते थे। परंतु इन पाँच सालों में स्कूल ने बुलाकर हमें पैसा लौटाया है। मेरे लिए यह अद्भभूत कदम था। मैंने अपने जीवन में पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। जो केजरीवाल सरकार के आने के बाद संभव हुआ।'

चुनावी भाषा

चुनावों के दौरान प्रयोग किये जाने वाले जुमलों, नारों, अलंकारिक भाषाओं का विशेष महत्व होता है। चुनावी जुमलों की चाशनी लोकतांत्रिक राजनीति के पकवान को गाढ़ा करने लगी है। शहरों, कस्बों, गाँव देहातों, गली, मोहल्लों में बजने वाले गीत, जुमलों एवं शाब्दिक युद्ध ने चुनावी राजनीति को दिलचस्प बना दिया है (झा, 2015)। इन चुनावी भाषा या जुमलों को अकादमिक जगत में अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। राजनीति शास्त्री सुदिप्त कविराज इन जुमलों को 'पॉलिटिकल लैंग्वेज' यानि राजनीतिक भाषा कहते हैं वही समाजशास्त्री आशा सारंगी इस चुनावी भाषा को राजनीतिक अलंकार कहती हैं। लंदन

स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से संबद्ध राजनीतिक एंथ्रोपॉलोजिस्ट मुकुलिका बैनर्जी इसे उपमा एवं राजनीतिक रैटोरिक के रूप में इंगित करती है। वहीं पॉल कोकरन ने इसे बहुत विशिष्ट राजनीतिक भाषा के रूप में करार देते हुए लोक विमर्श और लोक संसाधन के रूप में निरुपित किया है। उस दावे के माध्यम से भी पड़ताल की गई ,है जो उन्होंने साल 2010 में की थी। जिसमें सुदिप्त कविराज ने अपनी किताब 'इमेजीनरी इंस्टीटयूशंसन ऑफ इंडिया' में इस बात पर जोर दिया है कि जनसाधारण की राय जानने में किताबी भाषा के मुक़ाबले रोज़मर्रा की भाषा कहीं ज्यादा उपयुक्त साबित होती है। किसी भी देश-काल में जनता-जनार्दन के जो विचार होते हैं उसे व्यक्त करने में रोज़मर्रा की भाषा ज्यादा सुविधाजनक होती है। सामाजिक परिवेश लचीला होता है और राजनीति एक ऐसी गतिविधि है जो लचीलेपन को पसंद करती है। उनके अनुसार- "इन दिनों राजनीति पर चर्चा आम बोलचाल की भाषा में ज्यादा हो रही है। स्थिति यह है कि राजनीति के गूढ़ विचारों को भी व्यक्त करने के लिए स्थानीय भाषा में नई शब्दावलियां आ गई हैं" (वही, 5)। चुनाव के दौरान हिन्दुस्तान के लोग अधिकतर राजनीति को लेकर बात करते हैं। ये लोग जिस रोज़मर्रा की भाषा में यह सब बातें करते हैं, उस भाषा में राजनीति की रचनात्मक और लचीली व्याख्या की क्षमता भी होती है। लोगों ने स्थानीय घटनाओं की व्याख्या करने के लिए सरकारी अंग्रेज़ी शब्दों को संशोधित तक कर लिया है। यहां तक कि नागरिकता और राजनीतिक भागीदारी के दार्शनिक विचारों को समझाने के लिए स्थानीय मुहावरों तक का इस्तेमाल किया जाता है। अभूतपूर्व घटनाओं की व्याख्या के लिए पूरी तरह से नए शब्द गढ़े गए हैं। रोज़ाना बोली जाने वाली भाषाओं को नए मायने दिए गए हैं। राजनीतिक तनाव को छुपाने के लिए नरम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से, राजनीति पर रोज़मर्रा की भाषा में होने वाला संवाद इतना जीवंत और सटीक होता है कि इससे सामाजिक और राजनीति विज्ञान की भाषा मुकाबला ही नहीं कर सकती। यहाँ हम रोज़मर्रा की भाषा के कुछ ऐसे उदाहरण पेश कर रहे हैं जिससे पता चलेगा कि बोलचाल की भाषा कितनी समृद्ध है (वही)। साथ ही यह भी कि किस आधार पर लोग राजनीति पर बात करते हैं और सोचते हैं, उस बारे में भी पड़ताल करने की कोशिश करने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में हमने पाया कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अलग-अलग राजनीतिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। आम आदमी पार्टी जनता के बीच दूसरी बार समर्थन मांगते हुए 'अच्छे बीते पांच साल लगे रहो केजरीवाल' के नारे दे रही थी एवं इसे 'जनता की आवाज' करार दे रही थी। वहीं भाजपा ने इस चुनाव में 'देश में किया अब दिल्ली में करके दिखाएंगे' की राजनीतिक भाषा का प्रयोग कर रही थी तो वहीं इन सबसे अलग शीला दीक्षित के दिल्ली के शासन को याद करते हुए कांग्रेस पार्टी 'शीला दीक्षित वाली दिल्ली लायेंगे' का नारा दे रही थी। हालांकि इन राजनीतिक भाषा का कितना असर चुनावी परिणाम पर पड़ता है यह तो जरुर विवादित विषय रहेगा परंतु इतना जरुर है कि चुनावी प्रक्रिया को गतिमान करने में राजनीतिक भाषा एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में रही है।

चुनावी रैलियाँ

रैलियाँ और जनसभाएँ सभी राजनीतिक दलों एवं नेताओं को आपस में शब्दिक युद्ध लड़ने का मंच प्रदान करती हैं। वहीं दूसरी तरफ मतदाताओं के बीच अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का भी मौका देता है। दिलचस्प है कि यह ऐसा युद्ध मंच है जिसमें धारदार भाषणों, आक्रामक मुद्राओं और चुटीले जुमलों से अपने राजनीतिक विरोधियों पर तंज कसने की भरपूर कोशिश की जाती है। राजनीतिक मानवशास्त्रियों यानि पॉलिटिकल एंथ्रोपॉलोजिस्ट ने लोकतंत्र के इस महापर्व में रैलियों एवं जनसभाओं को बहुत खास बताया है। शायद यही कारण है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की मुकुलिका बैनर्जी चुनाव को सेक्रेड इलेक्शन्स यानि पवित्र चुनाव करार देते हुई कहती हैं कि 'चुनावी रैली के दौरान आम लोग राजनीतिक समानता की अनुभूति करता है, जब कतार में खड़े होकर सभी लोग नेताओं को सुनने रैली में जाते हैं, तब वहाँ गरीब-अमीर, सवर्ण-दलित का भेद मिट जाता है, इस लिहाज़ से आम लोग इस पूरी प्रक्रिया से अपने आपको जोड़ता है, वह भारतीय राज्य द्वारा प्रदान किये गये नागरिकता, समानता और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता को आत्मसात करता है। यही कारण है कि चुनाव को आधुनिक भारतीय लोकजीवन में सबसे पवित्र परिघटना के रूप में देखा जाता है'।

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 की राजनीतिक रैलियों, जनसभा, रोड शो सबमें आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच आर पार की लड़ाई देखी गई। केजरीवाल जहाँ अपनी सभाओं एवं रैलियों में अच्छे बीते पांच साल के नारों के साथ लोगों को बताते रहे हैं कि किस तरह से पिछले पाँच सालों में दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दिया गया, सरकारी स्कूलों एवं अस्पतालों में क्रांतिकारी बदलाव आया है। बिजली और पानी के बिल माफ किये गये हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कंकड़डूमा के सीबीडी ग्राउंड रैली में 'देश बदला - दिल्ली बदलेंगे' की बात कर रहे थे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने दिल्ली का बखान करते हुए यहाँ तक कहा कि दिल्ली सबका सत्कार करती है, सबको स्वीकार करती है। गौतलब है कि रैली के दौरान भाजपा विधायक उम्मीदवार कपिल मिश्रा द्वारा कहा गया यह कथन कि दिल्ली की सड़कों पर 8 फरवरी को हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का मुकाबला होगा। या फिर आपके वोट का करंट शाहीनबाग में आंदोलनकारियों पर पड़ेगा जो पाकिस्तान बना रहे हैं। इसकी काफी आलोचना भी हुई। इस तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा आपसी आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा।

व्यक्ति पूजा

लोकतंत्र में व्यक्ति पूजा का बहुत अहम योगदान रहा है। यही कारण है कि नेहरु के करिश्माई व्यक्तित्व से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक व्यक्ति पूजा की संकल्पना अपने सर्वोच्च स्तर पर दिखाई पड़ती है। राज्य स्तर पर भी क्षेत्रीय क्षत्रपों के उभार ने व्यक्ति

पूजा को लोकतांत्रिक कलेवर में प्रस्तुत किया है। राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान एक बार नीतीशे, हमारा नेता शिवराज, ठंडा ठंडा कूल-कूल पश्चिम बंगाल में तृणमूल, लगे रहो केजरीवाल जैसे नारों ने राज्य स्तरीय नेताओं की व्यक्ति पूजा को सशक्त आधार प्रदान किया है। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनामिक्स द्वारा प्रायोजित रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत किये गये शोध में बिहार स्थित कटिहार स्टेशन में चाय की स्टॉल चलाने वाले एक व्यक्ति मंगल यादव ने कहा कि लालू उनके लिए भगवान तुल्य है, वह हनुमान चालीसा के तर्ज पर लालू चालीसा का पाठ करता था एवं लालू यादव को ही यादवों का असली नेता बताता था। (झा 2015)। इसी तरह, जब हम दिल्ली विधानसभा 2020 में क्षेत्रीय कार्य कर रहे थे तो हमें विधानसभा में 70 वर्षीय महिला जो अपना नाम ठेके वाली बुढ़िया बता रही थी, वह केजरीवाल के नाम पर सीना ठोकते हुए बोली- केजरीवाल ने हम लोगों के लिए बहुत काम किया है, बिजली-पानी सब मुफ्त कर दिया गरीबों का। वह लोगों से यहाँ वोट मांगने नहीं आयेगा। मैं उसके बदले सभी को घर से ठेल-ठेल कर वोट डालने ले जाउंगी। वैसा नेता बार-बार नहीं आता। हम केजरीवाल की पूजा करते हैं। गौरतलब है कि इस प्रकार की मजबूत नरेटिव कई बार चुनावी परिणामों की दिशा मोड़ने में बहुत कारगर होते हैं।

दिल्ली मतदान क्यों करता है?

भारतीय लोकतंत्र में लोग मतदान क्यों करते हैं? इस सवाल को सर्वप्रथम मुकुलिका बैनर्जी ने अपनी किताब 'व्हाई इंडिया वोट्स' में रेखांकित किया था। इस पुस्तक में ग्यारह राज्यों में किये गये चुनावी एथ्नोग्राफिक अध्ययन के आधार पर मुकुलिका ने बताया है कि लोग मतदान देने का कई कारण बताते हैं किसी के लिए मतदान का प्रयोग एक औजार या हथियार (इन्स्ट्रूमेन्ट) के रूप में हैं; कोई मतदाता किसी पार्टी या उम्मीदवार के प्रति वफादारी (लॉयल्टी) व्यक्त करने के लिए भी मतदान देते हैं; तो कोई मतदाता वर्तमान सरकार की नीतियों से खफा होकर बगावती तेवर में आकर भी मतदान करता है। इसी तरह किसी के लिए मतदान एक रस्म अदायगी है तो किसी के लिए मतदान नागरिकता का बोध कराता है (बैनर्जी 2014)।

गौरतलब है कि इसी आधार पर हमने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में दिल्ली के स्थानीय लोगों से यह सवाल पूछा कि वे आखिर वोट क्यों देते हैं?

दिल्ली के पूर्वी हिस्से स्थिति सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के गली नंबर 15, सब्जी वाली गली निवासी रिजवान (45) के अनुसार, 'हम जम्हूरियत में अमन-चौन चाहते हैं, यह बना रहेगा हम सब भी तरक्की करेंगे, मेरा मतदान तो इस बार शांति और अमन चैन के लिए होगा।' उत्तरी दिल्ली स्थित मॉडल टॉउन विधानसभा निवासी सुखविंदर सिंह (52) की माने तो हम दिल्ली में भी सेंटर की तरह विकास लाने के लिए वोट देंगे। अभी केजरीवाल और केन्द्र में बीच बात-बात में लड़ाई होती है। किसके अधिकार क्षेत्र में क्या है इस बात को लेकर काफी वाद-विवाद होता है। अगर केन्द्र और राज्य में एक जैसी सरकार रहेगी तो दिल्ली का चौतरफा

विकास होगा। ऐसे में मेरा मत केन्द्र सरकार के समर्थन में है।' बुराड़ी विधानसभा निवासी सुकदेव सैनी (39) के अनुसार, कांग्रेस अब अतीत की बात हो चुकी है। हमने 25 साल दिल्ली में कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन अब कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट गड्ढे में नहीं डालना चाहते हैं। अब हमारे पास एक बेहतर विकल्प है। इसलिए मेरे लिए उसी विकल्प को और मजबूत करने के लिए वोट जायेगा।

पटपड़गंज विधानसभा निवासी वीरेन्द्र मावी (53) के अनुसार, लोकतंत्र में हमे मतदान का अधिकार होता है जो काफी विशिष्ट है। यह हमें बाकि लोगों से अलग करता है। यह हमारी नागरिकता को पक्का करता है। जब हम वोट डालकर घर लौंटते हैं तो हमें इस बात का गर्व होता है कि हम इस देश के नागरिक हैं। और हमें इसी अधिकार के कारण सरकार चुनने का अधिकार है।

नागरिकता वाले पक्ष पर जोर देते हुए लक्ष्मी नगर निवासी सुरविंदर सिंह की मानें तो जब हम एक बार मत देते हैं तब हमारा नाम सरकारी रिकार्ड में दर्ज हो जाता है। इस तरह हम जानते हैं कि इस शहर और मुल्क के नागरिक के रूप में सरकार हमें पहचान देती है। इस तरह से इतने बड़े समाज में हमारी पहचान भी लक्ष्मी नगर के नागरिक के तौर पर होगी। पहली बार मतदान करने वाली एक युवती श्रीलता (21) के अनुसार, "मैं वोट डालने के अनुभव को महसूस करना चाहती थी। मैं ईवीएम के बटन को दबाना चाहती थी और यह देखना चाहती थी कि यह कैसे काम करता है। मैं इस बात से खुश हूँ कि अब हिन्दुस्तान के एक नागरिक के रूप में मुझे मान्यता मिल जाएगी"।

वोट देने को अपने जीवन के सबसे अहम मानते हुए हुए अम्बेडकर नगर निवासी राजपाल यादव (60) ने कहा कि मैं जीवित हूँ क्योंकि मैं वोट देता हूँ। यदि हम वोट नहीं डालते हैं तो हमारे जीवन में कोई सम्मान की बात नहीं रह जाएगी। अगर आप वोट नहीं देते हैं तो आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यदि मैं वोट नहीं देता हूँ तो मैं मृत व्यक्ति के समान हूँ। यहाँ यह सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं अच्छे और बुरे व्यक्ति के बीच किसको वोट दे रहा हूँ। ज्यादा अहम यह है कि मैं वोट डाल रहा हूँ या नहीं, अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा हूँ कि नहीं। वोट को मानव जीवन का सबसे अमूल्य अधिकार मानते हुए पश्चिम विहार निवासी शारदा शर्मा (55) के अनुसार, जो व्यक्ति वोट देता है वहीं मनुष्य कहलाता है। यदि हम वोट नहीं देते हैं तो समाज का हिस्सा और मानव नहीं रह जायेंगे। यदि कोई एक व्यक्ति व्यवस्थित जीवन जीना चाहता है तो उसे इस व्यवस्था का हिस्सा बनकर रहना ही पड़ेगा। यदि हम वोट नहीं देंगे तो मनुष्य और जानवर के बीच कोई अंतर नहीं रह जाएगा।

रोहिनी विधानसभा क्षेत्र निवासी योगेश गुप्ता (45) ने हालांकि मतदान के महत्व को रेखांकित किया परंतु थोड़ा संशय व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मतदान का लाभ और नुकसान दोनों ही होता है। उनके अनुसार, वोट हमारा अधिकार है इसलिए हम इसे डालते हैं.. इसका फायदा और नुकसान दोनों है, यदि कोई अच्छी सरकार बन जाए, जो काम करती हो,

लोगों को सुविधा प्रदान करती है तो फायदा है, परंतु यदि सरकार निकम्मी आ जाए तो नुकसान ही नुकसान है।

संगम विहार विधानसभा निवासी बिंदु गुप्ता (53) के अनुसार, संगम विहार में आधारभूत संरचना की बहुत किल्लत रही है। साफ पानी की सुलभता इस इलाके लिए मानो एक सपने जैसा है। पानी के संकट के कारण ही इस इलाके को संगम विहार नहीं संकट विहार कहते हैं। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमें पानी सुलभ कराये। हमें सरकार से और क्या चाहिए। धन दौलत, सोना चांदी सब कुछ पानी ही है इस इलाके के लिए। जो सरकार हमें पानी की व्यवस्था करेगा हम उसी को वोट देंगे। संगम विहार स्थित एक और निवासी सरला देवी (65) ने बहुत खूबसूरत रूपक का प्रयोग करते हुए मतदान के महत्व को रेखांकित किया। उनकी माने तो संगम विहार के लोग पानी के लिए कई घंटों इंतजार करते हैं, यहाँ के लोगों के लिए पानी का खासा महत्व है। हम जिस तरह पानी की एक-एक बूंद इकट्ठा करते हैं, जिस तरह से अपनी रोजाना जरुरतों की पूर्ति करते हैं, ठीक उसी प्रकार एक-एक वोट का महत्व नेता और सरकार बनाने के लिए होता है। एक-एक वोट जुटने से सरकार बनती है, और लोकतंत्र में हमें सरकार बनाने में एकजुट होकर योगदान करना चाहिए।

दिलशाद गार्डन निवासी अरविंद किशोर (55) के अनुसार, वोट देने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम संविधान को नहीं मानते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब तक शरीर में जान-प्राण है तब तक जरुर वोट डालेंगे। यह ऐसा गरिमापूर्ण अवसर होता है कि हम उससे वंचित नहीं होना चाहते हैं।

निष्कर्ष

समग्र रूप से यह देखा गया कि भारत में चुनावों को एक अलग कलेवर में भी देखा जा सकता है। जो एथ्नोग्राफिक तरीका है। इससे चुनावों की खूबसूरती, उसकी पवित्रता, और जीवंतता में और वृद्धि होती है। उपरोक्त लेख में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के जरिये विस्तार से इसको देखने की कोशिश की है।

टिप्पणियाँ

1. चुनाव के दौरान प्राप्त किये गये फील्ड नरैटिव जो एन्थोग्राफिक नोट, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020.
2. उन्होंने माना है कि लोग जो कहते हैं, उससे अलग व्यवहार करते हैं इसलिए हमें उनके व्यवहारों का कुशलता पूर्वक पर्यवेक्षण करना चाहिए। (विस्तार से देखें बैनर्जी (2014).
3. विस्तार से उन्होंने बताया कि इसमें सूचना देने वाले के ही चश्मे से उसकी ही दुनिया से पर्यवेक्षण, खुली बातचीत को प्रस्तुत किया जाता है। जैसा कि कविराज ने भी कहा है कि यह हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। किसी उपाश्रित अनुभवों के दैनिक भागों को, उनकी जुबान में, किसी विशिष्ट विजन के साथ सैद्धांतिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है (2014: 4)।

सन्दर्भ

चक्रवर्ती, आनंद (1975), *कॉन्ट्राडिक्शन एंड चेंज : इमर्जिंग पैटर्न्स ऑफ अथॉरिटी इन ए राजस्थान विलेज,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू दिल्ली.

बेतेई, ए. (1963), *कास्ट, क्लास एंड पॉवर : चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन ए तंजौर विलेज,* यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, बर्कले.

जेफरी, क्रेग (2010), *टाइमपास : यूथ, क्लास एंड द पोलिटिक्स ऑफ वेटिंग इन इंडिया,* स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टेनफोर्ड.

बेली, एफ.जे. (1963), *पोलिटिक्स एंड सोशल चेंज : ओड़िसा इन 1957,* यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, बर्कले.

श्रीनिवास, एम.एन. (सम्पा.) (1962), *कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज़,* मीडिया प्रमोटर्स एंड पब्शिर्स, मुंबई.

बनर्जी, मुकुलिका (2014), *व्हाय इण्डिया वोट्स?* रूटलेज, नई दिल्ली.

बनर्जी, मुकुलिका (2007), 'सैक्रेड इलेक्शंस', *इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली,* 42(17).

मिशेलुटी, एम. (2008), *द वर्नाक्युलराईजेशन ऑफ डेमोक्रेसी : पोलिटिक्स, कॉस्ट एंड रिलीजन इन इंडिया,* रूटलेज, नयी दिल्ली.

प्रियम, मनीषा (2016), 'पोलिटिकल एथ्नोग्राफी एज ए मैथड फॉर अंडरस्टैंडिंग अर्बन पोलिटिक्स एंड इलेक्शंस इन इंडिया', *स्टडीज इन इंडियन पोलिटिक्स,* 4(1), पृ. 119-127.

प्रियम, मनीषा (2017), 'पोलिटिकल प्रोसेस अंडर द माइक्रोस्कोप : कम्पेरेटिव एथ्नोग्राफी एज एन एप्रोच टू अंडरस्टेंडिंग डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस इन इण्डिया', *स्टडीज इन इंडियन पोलिटिक्स,* 5(1), पृ. 73-81, सेज पब्लिकेशन, नयी दिल्ली.

फॉक्स, आर.जी. (1969), *जमींदार टू बैलट बॉक्स : कम्युनिटी चेंज इन ए नार्थ इंडियन मार्केट टाउन,* कॉरनेल यूनिवर्सिटी प्रेस, इथाका.

झा, पंकज कुमार (2015), 'रैलियों का राजनीति शास्त्र', *दैनिक जागरण,* 23 अक्टूबर.

झा, पंकज कुमार (2015ए), 'लालू इज अवर गॉड', *इंडिया टुडे,* देखें लिंक https://www.indiatoday.in/assembly-elections-2015/bihar-polls/story/bihar-assembly-election-2015-lalu-yadav-is-our-god-270274-2015-10-28.

झा, पंकज कुमार (प्रकाशनाधीन), *इमर्जिंग इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप इन इलेक्शन रैलीज, ए केस स्टडी ऑफ झारखंड स्टेट असेंबली, 2014,* सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली.

कुमार, सतेंद्र (2014), 'द प्रॉमिस ऑफ एथ्नोग्राफी फॉर द स्टडी ऑफ पोलिटिक्स', *स्टडीज़ इन इण्डियन पोलिटिक्स,* 2(2), पृ. 237-242.

कुमार, सतेंद्र (2015), 'राजनीतिक अध्ययन में एथ्नोग्राफी की भूमिका', *प्रतिमान,* जनवरी-जून, वर्ष 3, खंड 3.

कुमार, सतेंद्र (2012), 'एथ्नोग्राफी ऑफ यूथ पोलिटिक्स लीडर्स, ब्रोकर्स एंड मोरेलिटी इन प्रोविंशियल युनिवर्सिटी, नॉर्थ इण्डिया', *हिस्ट्री एंड सोसियोलॉजी ऑफ साउथ एशिया,* 6(1).

कविराज, सुदीप्त (2010), *द इमेजनरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया,* कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस.

हैनसेन, टी.बी. (1999), *द सेफ्रोन वेव : डेमोक्रेसी एंड हिन्दू नेशनलिज्म इन मार्डन इंडिया,* प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रिंसटन एनजे.

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 17, अंक 2, 2019, पृ. 38-49)

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का आकलन

गणपत लाल माली*

भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रमिकों को संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में विभाजित किया गया है। हमारे देश में संगठित श्रमिकों को कानूनों तथा नियमों का लाभ मिलता है, जिससे वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। किन्तु बड़ा भाग असंगठित श्रमिकों का ही पाया जाता है, जिसके पास न के बराबर रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा होती है। असंगठित नाम ही उनकी दुर्दशा को दिखाता है, जहाँ मजदूरी बहुत कम होती है, कार्य करने की स्थितियाँ बहुत खराब होती हैं, रोजगार की सम्भावनाएँ अनिश्चित होती हैं तथा नियोक्ता द्वारा सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। चूंकि वह जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ होते हैं अत: उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अक्सर कम कौशल-कम पारिश्रमिक के चक्र में फँस जाते हैं। इसलिये श्रमिकों की समस्याओं पर ध्यान देना और उन्हें समुचित महत्व देना आवश्यक है। इस हेतु उत्तरोत्तर आने वाली सरकारों ने सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कई योजनाएँ संचालित कर उन तक लाभ पहुँचाने का प्रयास किया है किन्तु उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काफी कुछ किया जा सकता हैं।

*शोधार्थी, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, (म.प्र.)
E-mail: ganpatlalmali1987@gmail.com

प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति में अधिकाधिक योगदान देने वाला कामगार वर्ग असंगठित क्षेत्र में लगा हुआ है। वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 68वें दौर के एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे राष्ट्र में 47 करोड़ रोजगार संगठित और असंगठित क्षेत्रों में पाये गये। जिसके अन्तर्गत संगठित क्षेत्र में लगभग 8 करोड़ तथा असंगठित क्षेत्र में 39 करोड़ रोजगार कामगारों को प्राप्त था। भारत में कुल रोजगार में 92 प्रतिशत से अधिक हिस्सा असंगठित क्षेत्र के कामकाज श्रमिकों का है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में 65 प्रतिशत तथा देश की राष्ट्रीय बचत में 45 प्रतिशत का योगदान इन असंगठित कामगारों का है (श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय, भारत सरकार, 2014)।

भारत में विश्व का सबसे बड़ा कार्यबल है, इसलिये श्रमिक कल्याण के विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखने के लिए संवैधानिक उपबन्ध का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया है परन्तु उनमें अधिकतर संगठित क्षेत्र के श्रमिक ही लाभ ले पाते हैं। हमारे देश में आने वाली सरकारें असंगठित क्षेत्र के लिए श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय की मदद से केन्द्रीय श्रम कानूनों का सरलीकरण, एकीकरण तथा उन्हें तर्कसंगत बनाने के लिए प्रयास करती रहती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक घोषणा में बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने का अधिकार है जिससे उसके परिवार एवं स्वयं को भोजन, स्वास्थ्य, आवास, अपंगता, जीवन एवं मृत्यु के अभाव में सुरक्षा प्राप्त हो सके। इस हेतु विभिन्न नीतियाँ, कार्यक्रम तथा योजनाएँ निर्मित एवं क्रियान्वित हैं (श्रीजा ए., 2017), जिनमें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995, इसके अन्तर्गत इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, विकलांगता पेंशन योजना एवं अन्नपूर्णा योजना शामिल है। इनके अतिरिक्त महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), मातृत्व लाभ योजना प्रारम्भ की गयी हैं। परन्तु वर्तमान सरकार ने इनके कम कवरेज को देखते हुए नयी योजनाओं का शुभाम्भ किया है। उनमें से तीन प्रमुख योजनाएँ - प्रधानमन्त्री जीवनज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना ये दो बीमा योजना हैं और एक पेंशन के रूप में अटल पेंशन योजना है। इनके साथ ही स्वास्थ्य हेतु 'आयुष्मान भारत योजना' को भी प्रारम्भ किया गया है जिसके माध्यम से इन कामगारों के लिए कार्य करने का अनुकूल वातावरण प्रदान करके उनके जीवन को सम्मान पूर्ण बनाया जाए ताकि वे भी राष्ट्र के विकास में अपना अधिक से अधिक सहयोग प्रदान कर सकें।

असंगठित क्षेत्र में अनियमित निजी क्षेत्र के समस्त उद्यम सम्मिलित किये जाते हैं जिनका स्वामित्व व्यक्तियों या परिवारों के हाथों में होता है और जो एक व्यक्ति स्वामित्व या साझेदारी के आधार पर वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन एवं विक्रय का कार्य करते हैं तथा जिसमें दस से कम व्यक्ति कार्यरत होते हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का आशय ऐसे श्रमिकों से लगाया जाता है जो असंगठित उद्यमों या परिवारों में कार्य करने में लगे होते हैं।

असंगठित क्षेत्र में ऐसे श्रमिक शामिल नहीं किये जाते हैं जिनको सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त हो रहा हो। किन्तु इसमें ऐसे श्रमिकों को शामिल किया जाता है जिनको संगठित क्षेत्र में रोजगार तो प्राप्त है, परन्तु नियोक्ता द्वारा कोई भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है (दत्त, 2007)।

भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय ने असंगठित श्रम बल को चार श्रेणियों में बाँटा है। व्यावसायिक, रोजगार की प्रकृति, विशेष रूप से पीड़ित श्रेणी एवं सेवा श्रेणी हैं (त्यागी, 2017)।

व्यावसायिक श्रेणी

छोटे एवं सीमान्त किसान, पशुपालक, बुनकर, मछुआरे, बीड़ी श्रमिक, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, ईंट और पत्थर खदानों से जुड़े श्रमिक, निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्यरत श्रमिक इत्यादि इसमें आते हैं।

रोजगार की प्रकृति आधारित श्रेणी

बन्धुआ मजदूर, प्रवासी मजदूर और दैनिक मजदूर आदि आते हैं।

विशेष रूप से पीड़ित श्रेणी

सफाईकर्मी, सिर पर मैला ढोने वाले इत्यादि इसमें आते हैं।

सेवा श्रेणी

घरेलू कामगार, महिलाएँ, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, अखबार विक्रेता इत्यादि आते हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित तथा संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति एवं उनके हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अध्ययन एवं विवेचन किया गया है। शोध-पत्र द्वितीयक संमकों पर आधारित है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अध्ययन हेतु साहित्य, सन्दर्भित पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाओं, वेबसाईट, प्रकाशित लेखों, समाचार पत्र इत्यादि से जानकारियाँ प्राप्त की गयी हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित एवं संगठित क्षेत्र में श्रमिक

भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित एवं संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या को तालिका क्रमांक 1 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1

भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित एवं संगठित क्षेत्र में श्रमिक (मिलियन में)

क्षेत्र/वर्ष	असंगठित श्रमिक	संगठित श्रमिक	कुल श्रमिक
1999-2000			
असंगठित क्षेत्र	341.3 (99.6)	1.4 (0.4)	342.7 (100)
संगठित क्षेत्र	20.5 (37.8)	33.6 (62.2)	54.1 (100)
कुल	361.8 (91.2)	35.0 (8.8)	396.8 (100)
2004-2005			
असंगठित क्षेत्र	393.5 (99.6)	1.4 (0.4)	394.9 (100)
संगठित क्षेत्र	29.1 (46.6)	33.5 (53.4)	62.6 (100)
कुल	422.6 (92.4)	34.9 (7.6)	457.5 (100)
2009-2010			
असंगठित क्षेत्र	385.93 (99.57)	1.68 (0.43)	387.61 (100)
संगठित क्षेत्र	37.24 (51.15)	35.57 (48.85)	72.81 (100)
कुल	423.17 (91.90)	37.25 (8.10)	460.42 (100)

स्रोत : (एनसीइयूएस, 2009 एवं पपोला एवं साहू, 2013) (कोष्ठक में आँकड़े प्रतिशत में हैं)

तालिका 1 से स्पष्ट है कि वर्ष 1999-2000 में कुल 396.8 मिलियन श्रमिक रोजगार प्राप्त थे जिसमें से 361.8 मिलियन अर्थात् 91.2 प्रतिशत असंगठित श्रमिक तथा 35.0 मिलियन अर्थात् 8.8 प्रतिशत संगठित श्रमिक थे।

इसी प्रकार वर्ष 2004-2005 में एनएसएसओ के 61वें दौर के सर्वेक्षण से प्राप्त समंकों का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि कुल 457.5 मिलियन श्रमिक रोजगार प्राप्त थे जिसमें से 422.6 मिलियन (92.4 प्रतिशत) असंगठित श्रमिक तथा 34.9 मिलियन (7.6 प्रतिशत) संगठित श्रमिक थे। तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1999-2000 से 2004-05 के दौरान हुई श्रमबल में वृद्धि को संगठित क्षेत्र में रोजगार न मिल पाने कारण असंगठित क्षेत्र में काम करना पड़ता है।

वर्ष 2009-10 में एनएसएसओ के 66वें दौर में किये गये सर्वेक्षण से प्राप्त समंक से स्पष्ट होता है कि इस समय देश में कुल 460.42 मिलियन श्रमिक रोजगार प्राप्त थे जिसमें से 423.17 मिलियन (91.90 प्रतिशत) असंगठित श्रमिक तथा 37.25 मिलियन (8.10 प्रतिशत) संगठित श्रमिक थे।

इस प्रकार देश के कुल कार्यबल में से लगभग 92 प्रतिशत भाग असंगठित श्रमिक के रूप में रोजगार प्राप्त है जिन्हें किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। मात्र 8 प्रतिशत भाग संगठित श्रमिक के रूप में रोजगार में लगे हुए हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त हो रहा है। वर्ष 2004-05 से 2009-10 में हुई रोजगार वृद्धि का अधिकांश भाग असंगठित श्रमिक के रूप में कार्यरत है (पपोला एवं साहू, 2013)।

सामाजिक सुरक्षा हेतु कानूनी पहल

भारत मे सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत संगठित क्षेत्र में रोजगार प्राप्त श्रम बल को ही सम्मिलित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत कामगारों का एक छोटा सा भाग ही लाभान्वित हो रहा हैं। इसमें ऐसे कामगार आते हैं जिनका किसी संगठन अथवा नियोक्ता तथा कर्मचारी के बीच नियमित प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम होते हैं। हमारे देश में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कई सामाजिक सुरक्षा कानून हैं जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961; कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1924; उपदान सन्दाय अधिनियम, 1972।

उपर्युक्त सामाजिक सुरक्षा कानूनों के अन्तर्गत संगठित क्षेत्र के कामगारों को ही लाभ प्राप्त होता है तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इसके लाभ से वंचित होते हैं। अत: कमजोर वर्ग, गरीबों तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक न्यूनतम स्तर तक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वृद्धावस्था, विधवा, बीमारी, अपंगता, दुर्घटना तथा आकस्मिक मृत्यु से उत्पन्न अनिश्चितता एवं जोखिम को वहन किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक योजनाएँ चलायी गयी हैं जिनमें से कुछ प्रमुख योजनाएँ अग्रानुसार हैं (सिंह एवं दहिया, 2012)।

असंगठित श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा की योजना

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरूआत 15 अगस्त, 1995 को की गयी थी। यह कार्यक्रम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों में वृद्धावस्था, जीविकोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु एवं मातृत्व जैसी स्थितियों में सुरक्षा के लिये सामाजिक सहायता की राष्ट्रीय नीति प्रस्तुत करता है तथा संविधान के अनुच्छेद 41 एवं 42 के द्वारा नीति-निर्देशक तत्वों के अनुकरण की दिशा में आवश्यक भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा के परिवारों के बुजुर्गों, विधवाओं तथा दिव्यांग लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तान्तरण का लाभ देने के लिए सरकार प्रयासरत है तथा इस कार्यक्रम में कुछ योजनाओं को शामिल किया गया है (लाल एवं लाल, 2015)।

इस कार्यक्रम के तहत इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 15 अगस्त 1995 से शुभारम्भ की गयी। 19 अक्टूबर 2007 से गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के वंचित वृद्धावस्था के व्यक्तियों को कवरेज में लाने पर जोर दिया गया है। इसलिये वर्ष 2011-12 में इसकी सेवा शर्तो में संशोधन करते हुए, लाभार्थी की आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी गयी है। अब इस योजना के अन्तर्गत 60-79 वर्ष की आयु के वृद्धों के लिये 600 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह - 200 रुपये केन्द्र तथा 400 रुपये राज्य

सरकार द्वारा - दिया जाता है तथा 80 वर्ष से अधिक की आयु वालों के लिये 600 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह - 500 रुपये केन्द्र तथा 100 रुपये राज्य सरकार द्वारा - भुगतान किया जाता है। इस योजनान्तर्गत मध्यप्रदेश में 2018-19 में 57,732.05 लाख रुपये का बजट आवंटन किया गया था जिसमें से मार्च 2019 तक 51,854.45 लाख रुपये का व्यय किया गया। इस आवंटन से 15,69,627 हितग्राकियों को लाभ प्राप्त हुआ।

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2009 से संचालित की जा रही है। इस योजना के द्वारा 40-79 वर्ष की आयु वाली विधवाओं को प्रतिमाह 600 रुपए पेंशन दी जाती है जिसमें 300 रुपये केन्द्र तथा 300 रुपये राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 2018-19 में 41,885.10 लाख रुपये का बजट आवंटन किया गया था। इसमें से मार्च 2019 तक 34,665.79 लाख रुपये का खर्च किया गया जिससे 5,36,412 विधवा महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ।

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में 1 अप्रैल 2009 से संचालित की जा रही है। इस योजना में 18-79 वर्ष वाले 80 प्रतिशत विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों को 600 रुपये प्रतिमाह विकलांगता पेंशन के रूप दी जाती है जिसमें 300 रुपये केन्द्र व 300 रुपये राज्य सरकार वहन करती है। इस योजनान्तर्गत 2018-19 के 7,620.40 लाख रुपये के बजट आवंटन में से 2019 मार्च तक 4,194.20 लाख रुपये का व्यय किया गया है जिससे 99,924 विकलांग व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार में जीविकोपार्जन करने वाले मुख्य सदस्य, जिनकी आयु 18-59 वर्ष के बीच हो की मृत्यु (स्त्री/पुरुष) प्राकृतिक या अप्राकृतिक स्थिति में होने पर आश्रित परिवार को भारत सरकार द्वारा 20,000/- रुपए की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। 15 अगस्त, 1995 से प्रदेश में यह योजना प्रभावशील है। इस योजना में वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है तथा क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। इस योजनान्तर्गत 2018-19 के 8,005.00 लाख रुपये के बजट आवंटन में से 2019 मार्च तक 5,489.70 लाख रुपये का व्यय किया गया हैं जिससे 27,448 हितग्राहियों को लाभ पहुँचाया गया।

तालिका 2
मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में 2014-19 तक लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या

क्र.	योजना का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	14,23,018	13,62,291	15,79,999	17,71,525	15,69,627
2.	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	4,72,661	8,82,615	9,59,526	10,06,092	5,36,412
3.	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना	97,255	1,02,972	1,12,987	1,15,175	99,924
4.	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	11,634	30,958	32,874	31,220	27,448

(स्रोत:- सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश, 2018-19)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के हितग्राहियों की संख्या को देखते हुए 2014-15 से 2017-18 तक हितग्राहियों की संख्या में वृद्धि हुई है परन्तु इन चार वर्षों की तुलना में 2018-19 में हितग्राहियों की संख्या में कमी देखने को मिली है तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में तो हितग्राहियों की संख्या 2017-18 से ही कम होने लगी है जिसका एक कारण यह हो सकता है कि नीति निर्माता इन योजनाओं का लाभ अन्तिम हितग्राही तक पहुँचाने में विफल रहे हों। इस ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इन योजनाओं के द्वारा ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक मदद मिलती है।

खाद्य सुरक्षा हेतु अन्नपूर्णा योजना

अन्नपूर्णा योजना का शुभारम्भ 1999-2000 में किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे वरिष्ठ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है जो अति गरीब, असहाय एवं अभावग्रस्त हैं। यहाँ अति गरीब का अर्थ यह है कि वृद्धावस्था में जीवन-बसर के लिए जिनके पास आय का कोई सतत स्रोत न हो और न ही परिवार की तरफ से उन्हें कोई सहायता मिलती हो। ऐसे गरीब, असहाय एवं अभावग्रस्तों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह 10 किलो अनाज नि:शुल्क दिया जाता है। इस योजना का लाभ लाभार्थी तक, राज्य एवं ग्राम पंचायत के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा पहुँचाया जाता है। वर्तमान में इस योजना में 1,66,600 लाभार्थी हैं (खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, 2019)।

रोजगार सुरक्षा हेतु मनरेगा योजना

असंगठित क्षेत्र में ग्रामीण कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने वाली राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) की स्थापना 25 अगस्त 2005 को की गयी (शरीफ, ए. 2009)। 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम बदलकर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को जो स्वयं की इच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देना है। इसके भुगतान में केन्द्र एवं राज्य सरकार की 90:10 की हिस्सेदारी रहती हैं। इसके कुल बजट का 60 प्रतिशत मजदूरी तथा 40 प्रतिशत सामग्री पर व्यय किया जाता है। श्रमिक द्वारा काम के लिए आवेदन करने के 15 दिन के भीतर काम न देने पर राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है जो 30 दिन के भीतर 25 प्रतिशत तथा 30 दिन से अधिक पर 50 प्रतिशत वैधानिक न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर दिया जाता है (सेतिया, सुभाष, 2014)। श्रमिक को 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर कार्य के लिए भेजने पर न्यूनतम मजदूरी दर का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करने का प्रावधान भी है किन्तु प्राकृतिक आपदाएँ, श्रमिक को काम उपलब्ध करने के बाद अनुपस्थिति आदि की स्थितियों में बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता है। प्रत्येक परिवार को एक जॉब कार्ड दिया जाता है तथा कुल रोजगार में 1/3 प्रतिशत महिलाओं को काम देने का प्रावधान है। इस योजना में रोजगार गारंटी आयुक्त, जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी एवं सहायक रोजगार कर्मी (राज्य, जिला, जनपद एवं ग्राम) के तहत वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण करवाया जाता है।

तालिका 3
मनरेगा के तहत भारत और मध्यप्रदेश में श्रमिकों की 2011-19 तक रोजगार उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों की संख्या

वर्ष	मध्यप्रदेश	भारत
2011-12	85,97,609 (11.66)	7,37,58,764 (100)
2012-13	75,16,584 (10.44)	7,19,95,352 (100)
2013-14	63,71,395 (8.28)	7,69,67,110 (100)
2014-15	66,45,104 (9.89)	6,71,49,702 (100)
2015-16	60,02,265 (7.65)	7,83,75,100 (100)
2016-17	67,02,344 (7.95)	8,42,20,394 (100)
2017-18	76,23,930 (9.11)	8,36,63,078 (100)
2018-19	85,26,345 (10.00)	8,52,27,007 (100)
2019-20	69,78,397 (8.88)	7,85,23,654 (100)

स्रोत : http://nregarep2.nic.in/netnrega/dynamic2/dynamicreport_new4.aspx
(कोष्ठक में आँकड़े प्रतिशत में दिखाये गये हैं)

तालिका 3 से स्पष्ट होता है कि भारत में मनरेगा योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में 2011-12 में 11.66 प्रतिशत श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था। इसी प्रकार 2012-13 में 10.44 प्रतिशत, 2013-14 में 8.28 प्रतिशत, 2014-15 में 9.89 प्रतिशत, 2015-16 में 7.65 प्रतिशत, 2016-17 में 7.95 प्रतिशत, 2017-18 में 9.11 प्रतिशत, 2018-19 में 10.00 प्रतिशत और 2019-20 में 8.88 प्रतिशत श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। परन्तु इसमें विशेष बात यह है कि इसमें रोजगार का प्रतिशत धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। वर्ष 2011-12 में 11.66 प्रतिशत था जो 2019-20 में 8.88 प्रतिशत ही रह गया हैं। यह असंगठित श्रमिकों के लिए बड़े दु:ख की बात है। इसका कारण यह हो सकता है कि इस योजना में श्रमिकों को रोजगार पाने मे कठिनाइयाँ आती हों, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है (बालू, 2017)।

प्रधानमन्त्री जन सुरक्षा योजना

समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से 2015-16 के बजट में प्रधानमन्त्री के नाम से तीन योजनाएँ 9 मई, 2015 से प्रारम्भ की गयीं।

प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर या वंचित वर्ग के लोगों की स्वाभाविक अथवा दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा 18-50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को उपलब्ध कराया जाता है जिसके लिए केवल 330 रुपये का वार्षिक प्रीमियम का भुगतान उन्हें अपने बैंक खाते के माध्यम से करना होता है। इस योजना का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है जिसमें निजी क्षेत्र की इच्छुक बीमा कम्पनियाँ भी भाग लेकर लाभ प्रदान कर सकती हैं।

प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को सस्ती दर पर या कम से कम प्रीमियम में पारिवारिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करना है जिसमें दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर 2 लाख रुपये तथा आंशिक अपंगता होने पर 1 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति खाताधारक के आश्रित परिवार को प्राप्त होती है। इसके लिए 18-70 वर्ष की आयु वर्ग के इच्छुक व्यक्ति को मात्र 12 रुपये का वार्षिक प्रीमियम का भुगतान उन्हें अपने बैंक खाते के माध्यम से करना होता है। इस योजना का प्रशासन सरकारी क्षेत्र के साधारण बीमा निगम के तहत किया जाता है एवं निजी क्षेत्र की इच्छुक कम्पनियाँ भी इसमें भाग लेकर ग्राहक को लाभ प्रदान कर सकती हैं।

अटल पेंशन योजना में 18-40 वर्ष तक की आयु के अंसगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर 1000-5000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। इसके लिए उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रतिमाह वांछित प्रीमियम का भुगतान करना होता है। प्रीमियम की राशि व्यक्ति की आयु और पेंशन की राशि पर निर्भर करती है। इसके लिए लाभार्थी का बैंक खाता होना आवश्यक है। अगर लाभार्थी प्रीमियम समय से जमा नहीं

करता है तो वह जुर्माना देकर खाता चालू रख सकता है जो 100 रुपये पर 1 रुपये, 101-500 रुपये पर 2 रुपये, 501-1000 रुपये पर 5 रुपये तथा 1000 रुपये से अधिक पर 10 रुपये तक होता है। यदि प्रीमियम को 6 महीने तक जमा नहीं किया जाता है तो खाते को सील कर दिया जाता है। 12 महीने तक जमा नहीं किया जाता है तो खाता निष्क्रिय कर दिया जाता है तथा दो वर्ष तक रकम जमा नहीं करने पर खाते को पूरी तरह से बन्द कर दिया जाता है। यदि खाताधारक की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है तो उसके नामांकित व्यक्ति को जमा पूंजी के साथ ब्याज भी प्रदान किया जाता है। इस योजना में वही व्यक्ति लाभ ले सकता है जो आयकरदाता तथा सरकारी नौकरी में न हो (बरतरिया एवं लाल, 2017)।

स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु योजना

आयुष्मान भारत योजना 1 अप्रैल, 2018 से आरम्भ की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष नगदरहित स्वास्थ्य बीमा कवरेज उपलब्ध करवाना है तथा 10 करोड़ परिवार (लगभग 50 करोड़ लोग) तक इस योजना का लाभ पहुँचाना है। इस योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके तहत देश में एक लाख से अधिक हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स स्थापित करना हैं ताकि सभी तक सम्पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, मातृ-शिशु एवं गैर-संक्रामक तथा जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों जैसे रक्तचाप, क्षय रोग एवं हृदय रोग इत्यादि का इलाज सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के अस्पताल में कराया जा सकता है। वर्ष 2018-19 में प्रदेश में आयुष्मान भारत 'निरामयम्' योजना में 91,307 पंजीयन हुए, उनमें से 33,897 लोगों का भुगतान किया जा चुका है। इनमें से 68 प्रतिशत लोगों को निजी अस्पतालों में तथा 32 प्रतिशत लोगों को सरकारी अस्पतालों में इलाज मुहैया हुआ जिसके वहन में केन्द्र एवं राज्य सरकार की 60:40 की भागीदारी होती है (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, 2019, 131)।

मातृत्व लाभ योजना

मातृत्व लाभ हेतु जननी सुरक्षा योजना 2005 एवं प्रधानमन्त्री वन्दना योजना 2017 शुरू की गयी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित प्रसव एवं बच्चे का टीकाकरण कराना है। इसके अन्तर्गत 19 वर्ष से अधिक आयु वाली गर्भवती महिलाओं का शासकीय अस्पताल में प्रसव द्वारा जीवित बच्चे के जन्म पर ग्रामीण महिलाओं को 6,400 रुपये तथा शहरी महिलाओं को 6,000 रुपये देने का प्रावधान है। इस योजना में 3000 रुपये प्रसव के पूर्व तथा 2000 रुपये प्रसव के बाद, साथ ही 1000 रुपये राज्य सरकार द्वारा और ग्रामीण महिलाओं को 400 रुपये अतिरिक्त दिए जाने का प्रावधान है। गर्भवती महिलाओं के प्रसव हेतु घर से अस्पताल तक आने-जाने की वाहन सुविधा भी नि:शुल्क होती है। वर्ष 2018-19 में प्रदेश शासन द्वारा 9,89,799 कुल लाभान्वित गर्भवती महिलाएँ थीं उनमें से 8,37,166 ग्रामीण तथा 1,52,633

शहरी गर्भवती महिलाओं को लाभ हुआ (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, 2019, 50)।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि आँकड़ों के लिहाज से असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है जिसके लिए कई अधिकार एवं अधिनियम बनाये गये हैं परन्तु उनमें से अधिकांश को कानून की जानकारी नहीं होती है। इन कारणों से वे न्यूनतम वेतन, नियमित रोजगार, वेतन सहित अवकाश, स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा, दुर्घटना, मुआवजा एवं पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पाते हैं। इस हेतु भारत सरकार की ओर से कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है किन्तु इन योजनाओं का लाभ उस अन्तिम श्रमिक तक पहुँचाना अति आवश्यक है जिसके लिए ये योजनाएँ बनायी गयी हैं। इन योजनाओं में बिचौलियों इत्यादि की भूमिका पर ध्यान देकर इन्हें समाप्त करना चाहिए ताकि इन योजनाओं हेतु निर्धारित राशि तय समय सीमा में सीधे लाभार्थी के खाते में पहुँचाई जा सके। इन योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृति की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो आवेदन के लिए प्रावैधिकी में प्रक्रियात्मक जटिलताओं को समाप्त करके तन्त्र को तीव्र एवं उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता है। इन योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमन्द तक पहुँचाया जाए जिससे देश और समाज की स्थिति मजबूत होगी।

सन्दर्भ

एनसीइयूएस, (2009): *द चैलेन्ज ऑफ एम्प्लॉयमेण्ट इन इण्डिया : एन इन्फार्मल इकॉनोमी पर्सपेक्टिव भाग 1,* नेशनल कमीशन फॉर एण्टरप्राइजेज इन द अनआर्गेनाइज़्ड सेक्टर, नई दिल्ली, पृ. 27.

त्यागी, अमित (2014): 'असंगठित क्षेत्र : समस्याएँ एवं कानूनी उपचार', *योजना,* प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, अंक 10, अक्टूबर, पेज नं. 61-64.

दत्त, ए. (2007): 'अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर एण्ड इन्फार्मेलाइजेशन ऑफ द इण्डियन इकॉनामी', *द इण्डियन जर्नल ऑफ लेबर इकॉनामिक्स,* भाग 50, अंक 04, पृ.775-792.

पपोला, टी.एस. एवं साहू, पी.पी., (2012): *ग्रोथ एण्ड स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लयमेण्ट इन इण्डिया: लांग टर्म एण्ड पोस्ट रिफार्म परफार्मेंस एण्ड द इमर्जिंग चैलेन्जेज़,* इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट, नई दिल्ली,

बरतरिया, ज्ञानेन्द्र नाथ एवं लाल.एस. एन. (2017): 'व्यापक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सुरक्षा : भारतीय अर्थव्यवस्था, सर्वेक्षण तथा विश्लेषण', *योजना,* प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, अंक 04, अप्रैल, पृ. 55-58.

बालू, आय., (2017): 'सोशियो-इकॉनामिक इम्पेक्ट ऑफ एमजीएनआरइजीए', *मध्यप्रदेश जर्नल ऑफ सोशल साइंसेस,* म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन, भाग 22, अंक 2, पृ. 24-43.

भारत सरकार, (2013): *वार्षिक प्रतिवेदन - 2013-14,* श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय, पृ. 5.

भारत सरकार (2019): *देश के नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना,* खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली पृ. 64-72.

मध्यप्रदेश शासन (2019): *वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन - 2019,* सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग, भोपाल, पृ. 41-47.

मध्यप्रदेश सरकार, (2019): *विकास की नयी राह पर बढ़ते कदम सबका स्वास्थ्य, सबका विकास, प्रशासनिक प्रतिवेदन - 2019,* लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल.

लाल, एस.एन. एवं लाल, एस.के. (2015): *भारतीय अर्थव्यवस्था : सर्वेक्षण तथा विश्लेषण,* शिवम पब्लिशर्स, इलाहाबाद, पृ. 341.

शरीफ, ए. (2009): 'असेसमेण्ट ऑफ आउटरिच एण्ड बेनिफिट्स ऑफ नेशलन रूरल एम्प्लामेण्ट गारंटी स्कीम ऑफ इण्डिया', *द इण्डियन जर्नल ऑफ लेबर इकॉनामिक्स,* भाग 52, अंक 02, पृ. 243-257.

श्रीजा, ए. (2017): 'भारत में असंगठित श्रम बाजार', *योजना,* प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, अंक 04, अप्रैल, पृ.17.

सेतिया, सुभाष (2014): 'गांवों में कायापलट का क्रान्तिकारी कदम - मनरेगा', *कुरुक्षेत्र,* प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, अंक 04, फरवरी, पृ. 33-36.

सिंह, जय एवं कैलाश दाहिया (2012): *भारत,* प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 841-872.

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 17, अंक 2, 2019, पृ. 50-63)

संगोष्ठी प्रतिवेदन*

महात्मा गाँधी : इक्कीसवीं सदी का भारतीय एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य

अजय कुमार†

संगोष्ठी की संकल्पना

महात्मा गाँधी के विचारों की प्रासंगिकता सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक है। समय के अनुसार समस्याओं में परिवर्तन होते रहते हैं, किन्तु महान चिन्तक वे होते हैं जिनके विचारों की प्रासंगिकता परिवर्तित समस्याओं के सान्दर्भिक समाधान हेतु भी समीचीन होती है। महात्मा गाँधी ने अहिंसा के प्रतिपादक के रूप में मानव इतिहास में पहली बार इसका व्यापक रूप से राजनीतिक प्रयोग किया जिसमें वे सफल भी रहे। पिछली लगभग एक शताब्दी में पूरी दुनिया में राज्य के विरुद्ध होने वाले अहिंसक प्रतिरोधों में गाँधी का नाम श्रद्धा से लिया जाता रहा है। अहिंसा के राजनीति में होने वाले प्रयोगों का एक नाम सत्याग्रह भी है, गाँधी ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया और उनके पश्चात् दुनिया भर में राज्य की शक्ति के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक विरोधों में सत्याग्रह सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला आन्दोलन बना। कालान्तर में गाँधी के लेखों, पुस्तकों, पत्रों के जवाब, भाषण इत्यादि से उनके चिन्तन की कई परतें सामने आयीं। गाँधी का चिन्तन समग्रवादी, सार्वभौमिक एवं कालजयी है। व्याख्याकारों ने गाँधी के

---

* म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन द्वारा 'महात्मा गाँधी : इक्कीसवीं सदी का भारतीय एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी (19-20 दिसम्बर, 2019) का प्रतिवेदन.

† फैलो, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला, E-mail: iiasajayk@gmail.com

विचारों की तुलना अर्वाचीन एवं समसामयिक पश्चिमी विचारकों से करते हुए सफलतापूर्वक सिद्ध किया है कि गाँधी दार्शनिक स्तर पर अन्य विचारकों में अग्रणी थे। महात्मा गाँधी के विचारों की प्रासंगिकता का परीक्षण समय-समय पर तात्कालिक समस्याओं के सन्दर्भ में किया जाता रहा है। इसी प्रक्रिया में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के सन्दर्भ में भी गाँधी चिन्तन का परीक्षण किया जाना प्रासंगिक है। आज राजनीति के क्षेत्र में उदारवाद की विचारधारा सबसे प्रमुख है तथा इसकी सबसे बड़ी समस्या व्यक्तिवाद है जिसमें समाज के स्थान पर व्यक्ति को प्रमुखता दी जाती है। इससे समाज में कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जिनका निराकरण आवश्यक है। आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवादी व्यवस्था प्रभावी है। पूंजीवाद लोभ एवं निजी स्वार्थ पर आधारित व्यवस्था है जिससे नैतिक पतन की आशंका रहती है। इसके निराकरण के लिए लोभ एवं आवश्यकता के मध्य अन्तर करना तथा आवश्यकता-आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना जरूरी है। गाँधी के प्रबल अनुगामी गाँधी चिन्तन में सभी समस्याओं का समाधान मानते हैं। वास्तव में गाँधी एक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सभी प्रकार की समस्याओं को समझने में सहायक होता है। गाँधीवादी दृष्टिकोण व्यक्ति को सरल, नैतिक एवं सामुदायिक जीवन जीने हेतु प्रेरित करता है। यह तात्कालिक उपाय न होकर एक जीवनशैली है। गाँधी चिन्तन बहुआयामी है। गाँधी ने अपने जीवन में बहुत कुछ लिखा है। वे मात्र दार्शनिक ही नही थे, जो किसी एक पुस्तक में अपने विचारों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करें तथापि 1909 में लिखी उनकी पुस्तक 'हिन्द स्वराज' उनके दृष्टिकोण का आधार प्रस्तुत करती है। यदि समकालीन विश्व गाँधी के विचारों का अनुसरण करें तो अनेक समस्याओं का समाधान सम्भव है। आधुनिक भारतीय चिन्तन प्रवाह में गाँधी के विचार सार्वकालिक हैं। वे उदात्त भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत के अग्रदूत भी थे और सहिष्णुता, उदारता और तेजस्विता के प्रमाणिक तथ्य सत्यशोधक सन्त भी। साथ ही शाश्वत सत्य के यथार्थ समाज वैज्ञानिक तथा राजनीति, साहित्य, संस्कृति, धर्म, दर्शन, विज्ञान और कला के अद्‌भुत मनीषी और मानववादी विश्व निर्माण के आदर्श मापदण्ड भी। सम्यक् प्रगति मार्ग के चिह्न भी और भारतीय संस्कृति के परम उद्‌घोषक भी। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शरीरश्रम, आस्वाद, अभय, सर्वधर्म समभाव, स्वदेशी और समावेशी समाज निर्माण की परिकल्पना ही उनका आदर्श रहा है। गाँधी के आदर्श विचार उनके निजी तथा सामाजिक जीवन तक ही सीमित नहीं रहे, इन विचारों का उन्होंने आजादी की लड़ाई से लेकर जीवन के विविध पक्षों में भी प्रयोग किया। उनकी जीवनदृष्टि भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। आज गाँधी विचार एवं प्रेरणा के रूप में हमारे मध्य हैं और लगभग उन सभी मुद्दों पर उनका मार्गदर्शन निरन्तर हमारे साथ है जिसका सामना किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र को दिन-प्रतिदिन करना पड़ता है। वैश्विक पटल पर उपस्थित अधिकांश चुनौतियों, समस्याओं और अवरोधों का निदान गाँधी दर्शन में दिखाई देता है। महात्मा गाँधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर इन विचारों की समसामयिक सन्दर्भों में चर्चा और विमर्श की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान,

उज्जैन द्वारा 'महात्मा गाँधी : इक्कीसवीं सदी का भारतीय एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य' विषय पर दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर 2019 को किया गया।

संगोष्ठी के प्रस्तावित उपशीर्षक इस प्रकार थे - गाँधी वैचारिकी का समकालीन सन्दर्भ, स्वतन्त्रता आन्दोलन एवं गाँधी का अभ्युदय, गाँधी - जन आन्दोलन एवं वर्तमान समय, गाँधी - ग्रामस्वराज एवं आज का ग्रामीण भारत, गाँधी - सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों का सरोकार, गाँधी - सहिष्णुता और आज का समाज, गाँधी - अहिंसा और बदलता वैश्विक परिदृश्य, गाँधी एवं समकालीन विश्व के मुद्दे। इन उपशीर्षकों पर अतिथि विद्वानों ने वैचारिक सत्रों में अपने विचार रखे।

उद्घाटन सत्र

मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन द्वारा आयोजित 'महात्मा गाँधी : इक्कीसवीं सदी का भारतीय एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य' विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आरम्भ संस्थान की परम्परा के अनुसार दीप-प्रज्वलन के साथ किया गया। संगोष्ठी में पधारे सभी विद्वानों और प्रतिभागियों का स्वागत संस्थान के निदेशक प्रोफेसर यतीन्द्रसिंह सिसोदिया द्वारा किया गया। इस संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर गोपालकृष्ण शर्मा द्वारा संगोष्ठी का परिचय वक्तव्य प्रदान किया गया। इस संगोष्ठी के समन्यवक डॉ. आशीष भट्ट द्वारा संगोष्ठी में सम्मिलित अतिथि विद्वानो एवं प्रतिभागियों का आभार ज्ञापन किया।

इस संगोष्ठी का बीज वक्तव्य गाँधी स्मृति एवं दर्शन समिति के पूर्व उप-निदेशक तथा वर्तमान में सुलभ इंटरनेशनल, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के उपाध्यक्ष डॉ. अनिलदत्त मिश्र द्वारा 'गाँधी की पुनर्रचना' विषय पर दिया गया। अपने बीज वक्तव्य में डॉ. मिश्र ने कहा कि गाँधी का विराट रूप हम सब जानते हैं। गाँधी सही थे, गाँधी को मारने वाला भी जानता था कि गाँधी सही थे, फिर भी उसने हत्या कर दी क्योंकि वह शख्स नफरत और घृणा से नहीं जीत पाया। गाँधी जिस नैतिकता और बन्धु-भाव की बात करते थे वह उस बन्धु-भाव को नहीं समझ पाया।

लेकिन आज चिन्ता यह है कि हम गाँधी से दूर क्यों जा रहे हैं। आज 21वीं सदी में ग्रेटा का वह संघर्ष जिसकी पहचान गाँधी बहुत पहले ही कर चुके थे और सचेत भी किया था, ग्रेटा का आज का यह संघर्ष पूरी दुनिया को बचाने का संघर्ष है। आज गाँधी होना भी मुश्किल है। जो देश अहिंसा के माध्यम से मुक्त हुआ था, वो आज हिंसा के भयानक दौर में है।

तो अब सवाल है कि गाँधी कहाँ-कहाँ? कहाँ खोजें गाँधी को। मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, कहाँ खो गये अन्ना? जन-आन्दोलनों में गाँधी बिलकुल गायब से। गाँधी को तब खुद भीड़ की जरूरत नहीं पड़ी, लोग खुद चल पड़ते थे। आज हिंसा के मूल में आर्थिकी है तो आज अहिंसा के वैश्विक सन्दर्भ भी हैं।

नये के सृजन की जरूरत गाँधीवादियों की सृजनता गाँधी देखने में सुन्दर नहीं है। गाँधी पढ़ने में नेहरू, पटेल, डॉ. अम्बेडकर की तरह प्रखर नहीं हैं। गाँधी की नैतिकता आज

हमें अपने परिवार का गाँधी बनने की जरूरत है। जहाँ भी रहें गाँधी की तरह बनने की और करने की कोशिश करें। एंथेनी परेल के हवाले से आपने कहा कि गाँधी पहले दार्शनिक थे जिन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में सोचा। गाँधी के नजरिये से भारतीय चिन्तन परम्परा का मतलब सौहार्द, धर्मनिरपेक्षता और जनतन्त्र का सपना है। जो भारत आया यहीं का होकर रह गया। जवाहर लाल नेहरू गाँधी के सच्चे अनुयायी बने। आज गाँधी की नैतिकता दिखती नहीं। नैतिकता दूसरों के लिए है। गाँधी कथनी और करनी में अन्तर नहीं करते थे।

गाँधी अतिसाधारण व्यक्ति थे और गाँधी की यह अति साधारण से महामानव की यात्रा पर शोध होना चाहिए। गाँधी का अहिंसा का तरीका गाँधी को सन्त परम्परा की तरफ ले जाता है। दिनकर कहते हैं - गाँधी की पहचान, गाँधी का सपना, भारत को बदलने से है। गाँधी के अनुसार भारत को बदलने के साथ ही भारतीयता को भी बदलना चाहिए। गाँधी ने इसके लिए कहा कि प्रयास करिये। कुछ लोग कहते हैं कि गाँधी ने भारत को नहीं समझा। गाँधी जब समाधान नहीं मिलता है तो गीता की तरफ जाते हैं। आज गाँधी के मूल को उनके शास्त्रीय आधार पर देखने की जरूरत है। गाँधी के अनुसार अपनी बात को बेबाक ढंग से रख देनी चाहिए। गाँधी में सतोगुण और रजोगुण थे, फिर वह सन्त बनते हैं। आज गाँधीयन वैकल्पिकी की बात हो रही है, उसकी खोज हो रही है।

उद्घाटन सत्र का द्वितीय भाषण विशिष्ट अतिथि के रूप में गाँधीवादी विचारक नन्दकिशोर आचार्य द्वारा दिया गया। अपने भाषण में आचार्य जी ने कहा कि कोई ऐसा कोण दिखाई देता है जिसको समझने की जरूरत है। गाँधी की प्रासंगिकता का बड़ा विचित्र प्रश्न है। आज का युवा वर्ग गाँधी के साथ जुड़ाव महसूस नहीं करता है। क्या आप मानवाधिकार को स्वीकार करते हैं, तो फिर गाँधी में क्या है? गाँधी को समझने के लिए आज को समझने की जरूरत है। समाज का बर्बरीकरण का खतरा बड़ा गम्भीर सवाल है, लेकिन यहा गाँधी पूरी मानव जाति के प्रेममय होने के सपने के साथ खड़े हैं ।

आज भारत में एक नया आतंकवाद चालू हो गया है। लोग इकट्ठा होकर किसी को मार दे रहे हैं। यह भी तो आतंकवाद है। साम्राज्यवाद क्या करता है, अपनी ताकत से लोगों को मारता है। यह ताकत की जोर-आजमाइश छोटे समूह से शुरू होकर राष्ट्रों के मध्य तक होती है। ढाँचागत संरचना में हिंसा, आर्थिक-सामाजिक ढाँचे में हिंसा, उसको वैधता कौन देता है? विकास की हिंसा तकनीकी, रोजगार, विकास समाज/समुदाय सांस्कृतिक समुदाय के रूप में खत्म हो गये। बोलियाँ नष्ट हुईं, मतलब समाज नष्ट हुआ। हर भाषा में ज्ञान परम्परा होती है। भाषा जब नष्ट हुई तो ज्ञान परम्परा भी नष्ट हुई। मार्क्सवादियों ने विकास की इस प्रक्रिया को अपनाया। सांस्कृतिक हिंसा का मतलब विचार में हिंसा व्याप्त हो गई है।

राजनीतिक संरचना में हिंसा राज्य आज बहुत ताकतवर हो गयी है। यह मजबूत और ताकतवर राज्य अन्तर्राष्ट्रीय कार्पोरेट के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। यह राज्य सिर्फ कार्पोरेट की मदद कर रहा है। इस मजबूत और ताकतवर राज्य में क्या संसद आलोकतांत्रिक

और गलत नहीं हो सकता। इस ताकतवर होते राज्य में तानाशाही को लोकतन्त्र के माध्यम से लाया जा सकता है ये खतरा हम आता हुआ देख सकते हैं।

सामाजिक हिंसा दलितों के प्रति, स्त्रियों के प्रति समाज के कमजोर और अल्पसंख्यक समूहों के प्रति बढ़ती ही जा रही है। व्यक्ति के आत्मसम्मान का कोई स्थान नहीं बचा है। इस प्रक्रिया में शास्त्र भी कभी-कभी सामाजिक हिंसा को स्वीकृति देते है। इस तरह से इन सबके बीच गाँधी एक रास्ता दिखाते है। इसलिए गाँधी अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का नाम है। हर कोई गाँधी हो सकता है अपने-अपने सन्दर्भों में।

उद्घाटन सत्र का तृतीय भाषण मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी कार्यकर्ता और विचारक रघु ठाकुर द्वारा हिंसा और गाँधी विषय पर केन्द्रित रहा। रघु ठाकुर ने अपनी बात को समाजवादी राम मनोहर लोहिया के साथ जोड़ते हुए कहा कि आज लोहिया फिर याद आये। उनकी एक 1936 की किताब का जिक्र किया जिसमें उन्होने लिखा कि राज्य का निर्माण मानवाधिकारों के खिलाफ हुआ है। आज गाँधी के ऊपर हमला भी हो रहा है लेकिन गाँधी पर हमला होना ही गाँधी की जीत है। गाँधी पर पहला हमला पूंजीवाद का था। जब वो स्वदेशी की बात करते है और विदेशी कपड़ों को जलाने का और बहिष्कार का आह्वान करते हैं। गाँधी का मानव दरअसल में वस्त्र के पीछे छुपा हुआ इंसान है। यही गाँधी और इंसानी सभ्यता के तकाजे है मानव मात्र का कल्याण। दरअसल गाँधी को हम कहाँ खोजे जो दुनिया खोज रही है गाँधी को वो अपने स्वार्थों के लिए खोज रहे है। गाँधी जब भी मिलेंगे तो बिना स्वार्थ के ही मिलेंगे और वो सबके काम आएँगे सबके स्वार्थों के साथ। यदि गाँधी को कुछ लोग भुलाने भी लगे तो भुला नहीं पाएँगे। क्योंकि गाँधी को भूलना सम्भव नहीं है। गाँधी को हम किताबों में खोजते है। गाँधी तो वह विचार है जो हर समय फैल रहा है हर जगह मौजूद है। गाँधी ने इंसान को निर्भय बनाने का काम किया। आज सबसे ज्यादा भय विधानसभाओं में, संसद में और शैक्षणिक संस्थानों में है। आपने सर्वोदय-अंत्योदय के विवाद पर भी बात की और कहा कि जो काम समाज के सबसे निचले व्यक्ति के लिए हो, जो काम अगड़े के लिए हो, वह बेहतर नहीं है। आज विश्व व्यवस्था का नियन्त्रण कुछ ऐसा है कि जैसे भारत का प्रधानमन्त्री हो या वित्तमन्त्री हो ऐसा लगता है कि जैसे वह विश्व व्यापार संगठन का कार्यपालक सदस्य है।

आपने अपने वक्तव्य में गाँधी के सपनों के भारत में स्वदेशी, स्वालम्बन, स्वराज पर भी अपनी बात रखी और कहा कि आज बड़ी मशीनी ढांचे में इंसान कहाँ है। गाँधी तकनीकी के खिलाफ नहीं थे। लेकिन आज तकनीकी इंसान को नियंत्रित कर रही है। तकनीकी को इंसान नहीं। गाँधी एक ऐसी मशीन चाहते थे जो इंसान के साथ-साथ चले उसे रोजगार तो दे लेकिन उसे नियंत्रित न करे। इंसानी नफरत और घृणा के सवाल पर आपने कहा कि गोडसे ने गीता तो पढ़ी लेकिन गाँधी वाली गीता नहीं इसलिए वह इंसानी भाईचारे को नहीं जान पाया और घृणा का शिकार हो गया। गाँधी और बौद्धिक आतंकवाद पर उन्होनें कहा कि सत्य बोलने के कई तरीके हो सकते है लेकिन अपनी बात थोपने से बचना चाहिए क्योंकि गाँधी सबसे पहले सबको सुनते थे। इसके आगे आपने कहा कि आज की आर्थिक कसौटियाँ

गाँधी के विपरीत है, इंसान के विपरीत है। क्या सरकार कोई मुनाफा कमाने की संस्था है? कोई दुकान नहीं है। ये पूंजीवादी व्यवस्था इंसान को इंसान नहीं जानवर बनाती है। आपने गाँधी के अध्यात्म के सन्दर्भ में कहा कि गाँधी का आध्यात्म प्रेम का,सत्य का, मानसिक विकास का है। गाँधी के सत्याग्रह का लक्ष्य है इंसान अपने लक्ष्य तक पहुँचे, सत्य तक पहुँचे। गाँधी के अध्यात्म में सत्य और कर्म की प्रधानता है। गाँधी के अनुसार इंसानी सभ्यता और प्रकृति दोनों को जिन्दा रहने का हक है। दोनों एक साथ ही समृद्ध हो सकती है। गाँधी कभी दूसरों को दोष नहीं देते। खुद को पाप का भागी मानते है और मानते है कि हम तुमको समझा नहीं पाये।

वर्तमान समय में जिस तरह से राष्ट्रवाद की बात हो रही है इसके सन्दर्भ में आपने गाँधी के राष्ट्रवाद पर बात कही कि गाँधी के जीवन की लड़ाइया भी तो राष्ट्रवाद की ही थी। कोई व्यक्ति दूसरे पंथ वाले को दबाने का कार्य करता है तो मै उस देश में रहना पसन्द नहीं करूंगा। गाँधी के देश में मंदिर ईट पत्थर के नहीं बल्कि इंसान के मन में होते। गाँधी का राष्ट्रवाद वैश्विक था। गीता की लाचारियाँ जो हिंसा की बात करे वो गीता गाँधी कि गीता नहीं है। आज का राष्ट्रवाद क्या कर रहा है क्या सिखा रहा है इसके एजेंडे में है नए-नए प्रतिमान गढ़ो ताकि भ्रम पैदा हो। नए-नए नायक और महानायक गढ़ों ताकि मूल पर बात न हो। उन साझा कुर्बानियों को भूल जाओं जो साझा थी उन साझा उपलब्धियों को भी भूल जाओं जो तमाम संघर्षों के बाद हासिल हुई थी। आज का राष्ट्रवाद उग्रता का राष्ट्रवाद है जिसमें हिंसा की भरमार है।

उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता संस्थान की शासी निकाय की अध्यक्ष प्रोफेसर नलिनी रेवड़ीकर द्वारा की गयी। आपने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

प्रथम अकादमिक सत्र

संगोष्ठी के प्रथम अकादमिक सत्र में दो प्रस्तुतिकरण सम्पन्न हुए। प्रथम प्रस्तुतिकरण इन्दौर के अटल बिहारी बाजपेई महाविद्यालय के डॉ. संजय जैन द्वारा 'आधुनिक जीवन शैली, तथाकथित विकास और गाँधी विचार' विषय पर प्रस्तुत करते हुये कहा कि गाँधीवाद पशुता पर मनुष्यता की जीत का दर्शन है। विकास की शैतानी व्यवस्था विनाश की सभ्यता को बढ़ा रही है। इसने संचय कि असीमित भूख को जन्म दिया है। इसमें मनुष्य का विकास नहीं बल्कि वस्तुओं का विकास होता है यह उपभोगवाद को बढ़ावा देती है। इसमें अरयाश उपभोग के साथ ही विकराल वंचना भी बढ़ी है। समाज की प्रगति के लिए उत्पादन पर बल होना चाहिए न कि अन्धाधुन्ध उपभोग के लिए। इसके लिए हिन्द स्वराज से सीख सकते है। जनसंख्या विस्फोट ने एक बड़ी समस्या को जन्म दे दिया है। उत्पादन के अनुचित वितरण ने एक विकराल स्थिति को जन्म दिया है। आज लालच की भूख की वजह से लोग पेट नहीं पेटी भरने के लिए परेशान है'। गाँधी की जड़े भारत में थी लेकिन वे वैश्विक नागरिक भी थे। यह गाँधी थे, हमेशा प्रतिरोध की रचनात्मकता गढ़ते गाँधी।

संगोष्ठी के प्रथम अकादमिक सत्र का दूसरा पर्चा महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा के डॉ. शम्भू जोशी द्वारा 'गाँधी और पर्यावरणीय संकट' पर प्रस्तुत किया गया। अपने पर्चे में डॉ. जोशी ने विकास और कु-विकास के साथ पृथ्वी के एकत्व पर बल दिया। उसके साथ ही प्रकृति के प्रकृतिमूलक एकत्व पर भी बल दिया। औद्योगिकीकरण के खतरे को गाँधी ने अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान ही देख लिया था। गाँधी का मानना था कि पर्यावरण पर समान अधिकार होना चाहिए जब प्रकृति कोई भेद नहीं करती है तो हम इन्सानों को भी भेद नहीं करना चाहिए। आज समान वितरण के कारण आन्तरिक उपनिवेश का संकट सामने आ गया है। ये आन्तरिक उपनिवेश का खतरा तब तक नहीं हटेगा जब तक लोगों के बीच, देशों के बीच तकनीकी का विकेन्द्रीकरण, स्वामितत्व का विकेन्द्रीकरण, लाभ का विकेन्द्रीकरण नहीं किया जाएगा। इस असमान वितरण की व्यवस्था के कारण आज शहरों ने गांवों का, नगरों ने शहरों का और नगरों का महानगरों ने अन्धाधुन्ध शोषण किया है। इसलिए इन सब खतरों से निपटने के लिए गाँधी एक समग्र सोच का दर्शन है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि गाँधी हमारे जीवन से घट रहे है घटते गाँधी लोगों के जीवन में दर्शन में, प्रयोगों में।

प्रथम सत्र की अध्यक्षता सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़, सूरत के प्रोफेसर सत्यकाम जोशी द्वारा की गई। इस सत्र के सहध्यक्षता शासकीय महाविद्यालय भोपाल के राजनीति विज्ञानी डॉ. उत्तम सिंह चौहान द्वारा की गई।

द्वितीय अकादमिक सत्र

संगोष्ठी के द्वितीय अकादमिक सत्र का पहला प्रस्तुतिकरण जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के राजनीति विज्ञानी प्रोफेसर ए.पी.एस. चौहान द्वारा '21वीं सदी का सन्दर्भ और महात्मा गाँधी : समाज, प्रजातन्त्र, अर्थव्यवस्था और सेवा सम्बन्धी विचारों पर कुछ टिप्पणियाँ' के साथ किया गया। प्रोफेसर चौहान ने कहा कि प्रजातन्त्र का विकास और इसके नियम एक विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है इसके नियम सैकड़ों वर्षों में बने है। इसके साथ ही उन्होने प्रजातन्त्र पर 21वीं सदी के खतरों की तरफ भी इशारा करते हुए कहा कि मीडिया और पैसे के बल पर लोकतन्त्र की हड़प की जा सकती है। लेकिन हम इसको ऐसे ही जाया नहीं कर सकते है लोकतन्त्र के विकास की कहानी हजारों वर्षों की यात्रा है। आज सोशल मीडिया के दौर में लोकतन्त्र पर खतरे अधिक बढ़ गए है। जहा ये दुनिया को खोलने का जरिया है वहीं चुनावी राजनीति में सोशल मीडिया की प्रोफाइल के माध्यम से इसके खतरे भी बढ़ गए है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है जिसमें दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। कल्पना यानि यूटोपियन समाज भी बन रहा है जो एक विकृत समाज को जन्म देता है। इन सब चीजों से आम आदमी प्रभावित होता है। आज क्रोनी कैपिटलिज्म का दौर है जिसमें फिर से डायनेस्टी फॉरमेशन हो रहा है। लेकिन इसके उलट जहाँ-जहाँ लोकतन्त्र का विकास हुआ है वहाँ कम से कम लोकतन्त्र सबको जग़ह तो देता है। लेकिन यही लोकतन्त्र तानाशाहियों को भी जन्म देता

है। इसके खतरे के रूप में सखा पूंजीवाद भी सामने आ रहा है यह लिबरल डेमोक्रेसी के माध्यम से आता है। इस तरह की डेमोक्रेसी में एक अधिनायकवाद है। इस अधिनायकवाद वाली डेमोक्रेसी को खत्म कैसे किया जाए, मारा कैसे जाए? क्या मिलिट्री जिंटा के माध्यम से? लेकिन उसके अपने खतरे हैं क्योंकि खुद वह भी डेमोक्रेसी को नहीं मानते।

आज स्थिति यह है कि संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है जिनके माध्यम से लोकतन्त्र रचा-बसा रहता है। तो इस स्थिति में महात्मा क्यों याद आ रहे है क्योंकि गाँधी ने एक उदार लोकतन्त्र की कल्पना की थी जिसमें समानता, स्वतन्त्रता और न्याय के लिए जगह होगी। यह उदार लोकतन्त्र हमें गाँधी, फूले, अम्बेडकर से मिलता है। गाँधी गाँव में नहीं रहे लेकिन उनकी कल्पना में गाँव एक गणराज्य के रूप में हमेशा मौजूद है रामराज्य की कल्पना के रूप में। गाँधी हमेशा जिम्मेदार हैं, अपने लिए समाज की तरफ से। इस तरह से गाँधी की सबसे अच्छी बात क्या है? वह है, भारतीय समाज का प्रजातांत्रिक बदलाव। लेकिन यह प्रजातांत्रिक बदलाव आयेगा कहाँ से? यह आयेगा अहिंसा के माध्यम से। गाँधी और श्रम की गरिमा के सन्दर्भ में अपने कहा कि गाँधी ने हमेशा ही श्रम का सम्मान किया। यह सब बातें गाँधी को समाज के प्रति दायित्यबोध की तरफ ले जाती हैं।

संगोष्ठी के द्वितीय अकादमिक सत्र का द्वितीय प्रस्तुतिकरण राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा के डॉ. पयोद जोशी के द्वारा 'महात्मा गाँधी करिश्मा से - गोडसे अमर रहे तक' विषय पर किया गया। आपने अपने पर्चे में कहा कि गाँधी की 150वीं जयन्ती पर गोडसे अमर रहे के नारे लग रहे है। शायद इसलिए हम सबके भीतर कही न कही गाँधी भी है और गोडसे भी। हिंसा के इस दौर में गाँधी और भगत सिंह की बहस भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है जब गाँधी ये कहते है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। आज राष्ट्रवाद के खतरनाक दौर में गाँधी और रवीन्द्रनाथ टैगोर की राष्ट्रवाद की बहस पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। आज जरूरत यह भी है कि गाँधी और नेहरू की असहमतियों को भी याद किया जाए, जब गाँधी (1947) तक आते अकेले पड़ चुके थे। इसके साथ ही गाँधी और सुभाषचंद्र बोस के रिश्तों पर हो रही वर्तमान राजनीति को भी समझना होगा। अम्बेडकर-गाँधी के बीच हुए पूना पैक्ट की वर्तमान स्थितियों को भी समझना होगा। जनान्दोलनों को गाँधीवादी तरीके से ही आगे बढ़ाया जा सकता है और अन्त में गाँधी की सबसे अच्छी बात यह कि गाँधी आज भी सबसे बड़ी ताकत के रूप में हमारे साथ निर्भयता की आवाज के साथ खड़े है। निर्भयता का यह तरीका ही किसी भी जनान्दोलन को सफल बना सकता है और उसकी लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ प्रदान कर सकता है। यह जनआन्दोलनों के लिए एक महत्वपूर्ण विचार है जो किसी भी आन्दोलन को निर्णायक स्थिति में ला सकता है।

संगोष्ठी के द्वितीय अकादमिक सत्र का तृतीय प्रस्तुतिकरण शासकीय महाविद्यालय शाजापुर के राजनीति विज्ञानी डॉ. विद्याशंकर विभूति द्वारा 'भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन और गाँधी के अन्तरसम्बन्धों' पर किया गया। इसमे आपने गाँधी के विभिन्न पहलुओं को एक साथ देखने का प्रयास किया। आपने कहा कि स्वतन्त्रता आन्दोलन में गाँधी कई रूपों में मौजूद रहे।

हिंसा में अहिंसा वाले गाँधी, एक गाँधी जो जनता का गाँधी है, गाँधी के अनुभव और उनके प्रयोग, चालबाज गाँधी। इस चालबाज़ गाँधी ने नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी कारवाई। इसलिए जब भी भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन पर बहस होगी उसमें गाँधी कई रूपों में नजर आएँगे। गाँधी का आकलन इतिहास में गाँधी या गाँधी का इतिहास के रूप में किया जाएगा। अपने पर्चे के माध्यम से आपने गाँधी के आन्दोलनों में महिलाओं की भागीदारी का सवाल खड़ा किया जो कि सभी विद्वानों के बीच एक बहस का मुद्दा बना रहा। इस पर काफी गम्भीर बहस भी हुई।

इस सत्र की अध्यक्षता लेखक एवं पत्रकार श्री अनुराग चतुर्वेदी द्वारा की गई। इस सत्र के सहध्यक्ष भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, राष्ट्रपति निवास शिमला में फैलो डॉ. अजय कुमार द्वारा की गई।

तृतीय अकादमिक सत्र

संगोष्ठी के तृतीय अकादमिक सत्र का प्रथम प्रस्तुतिकरण गाँधीवादी चिन्तक एवं लेखक डॉ. चिन्मय मिश्र द्वारा 'गाँधी जनान्दोलन एवं वर्तमान समय' विषय पर किया गया। अपने पर्चे के माध्यम से आपने कहा कि गाँधी को दो-जी के बीच में देखना होगा एक गोखले और एक गोडसे। एक आन्दोलनकर्ता के रूप में गाँधी और गाँधी के सभी आन्दोलन एक परिपक्व आन्दोलन है। इस तरह से इन दोनों के बीच में गाँधी अभय बनकर सामने आते है लेकिन यह अभय होना निर्भय होना नहीं है। गाँधीवादी आन्दोलन के कारण या कांग्रेस का एक पार्टी के तौर पर आन्दोलन में बदल जाना। गाँधी क्या बोलते थे वह संप्रेषित हो जाता था। गाँधी का देशप्रेम ही आन्दोलन है। आज के भारत का आन्दोलन स्वत:स्फूर्त है। आज के गाँधीवादी आन्दोलन और राज्य का चरित्र पर आपने कहा कि कुछ भी नहीं बदला है आज भी राज्य के शासकों में एक कहता है कि ये पत्थर की लकीर है, एक कहता है कपड़ों से पहचान लो। उन्होने इस बात को कुछ इस तरह से पेश किया कि मैं इस बात को कुछ इस तरह से कहता हूँ दिन पहले बना या रात, दिन रात से एक दिन पहले। असम्भव प्रश्नों के असम्भव जवाब।

संगोष्ठी के तृतीय अकादमिक सत्र का द्वितीय प्रस्तुतिकरण मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग में व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ के समन्वयक डॉ. ब्रह्मदीप अलूने द्वारा 'गाँधी अहिंसा और समकालीन वैश्विक सन्दर्भ' विषय पर किया गया। अपने पर्चे में आपने कहा कि हम आज सभ्यताओं के संघर्ष की ओर बढ़ आए है'। इसमें इस्लामी कट्टरपंथ मुख्य भूमिका में है। जिसके माध्यम से वैश्विक आतंकवाद का खेल रचाया जा रहा है। इस आतंकवाद से निपटने के लिए अमेरिका एक बड़ी भूमिका के साथ हमारे सामने आया है। जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के शांति प्रयास गाँधी के अहिंसा के सिद्धान्तों जैसे लगते है। इसलिए गाँधी के अहिंसा सिद्धान्त आज भी समकालीन विश्व के लिए मुक्ति का एक रास्ता दिखाते है।

संगोष्ठी के तृतीय अकादमिक सत्र का तृतीय प्रस्तुतिकरण शासकीय महाविद्यालय शिवपुरी के राजनीति विज्ञानी डॉ. पुनीत कुमार द्वारा 'महात्मा गाँधी समकालीन सन्दर्भों में' विषय पर किया गया। अपने पर्चे के माध्यम से आपने कहा कि गाँधी पर शोध मानवीयता की स्थापना करने के लिए की जाये, जिसमें अकादमिक लेखन और पुस्तके आज एक बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। गाँधी के पहले का स्वतन्त्रता आन्दोलन अभिजात्य वर्ग के हाथों का आन्दोलन था। लेकिन गाँधी का स्वतन्त्रता आन्दोलन या गाँधी के आने के बाद यह आन्दोलन जनगण का आन्दोलन बना। लेकिन गाँधी को जो लोग पसन्द नहीं करते थे उन्होने समझा कि उस निर्भीक और अभय को जीवन से ही वंचित कर दो। इसलिए आज गाँधी के बाद क्या गाँधी को पास रखना भी है और दूर भी।

इस सत्र की अध्यक्षता अम्बेडकर पीठ, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश के पूर्व प्रोफेसर शैलेंद्र पाराशर द्वारा की गई। इस सत्र की सह-अध्यक्षता शासकीय महाविद्यालय इन्दौर के राजनीति विज्ञानी डॉ. संजय जैन द्वारा की गई।

चतुर्थ अकादमिक सत्र

संगोष्ठी के चतुर्थ अकादमिक सत्र का पहला पर्चा लेखक एवं पत्रकार श्री अनुराग चतुर्वेदी द्वारा 'गाँधी आर्थिकी और बदलता वैश्विक परिदृश्य' विषय पर किया गया। इसमें आपने व्यापक समाज और देश निर्माण के लिए गाँधी के दिशा निर्देशों के बारे में बात की। गाँधी के दिशा निर्देश क्या है ये है अर्थ, समाज, राजनीति, धर्म, संस्कृति, उद्योग, नैतिकता, गाँधी का प्रभाव क्षेत्र। लेकिन इन सबका स्वदेशी विकास हो इसके बरक्स भारत ने अपने ही देश में उपनिवेश बना लिए। ये सब बातें आपने गुन्नार मिर्डल के एशियन ड्रामा के माध्यम से या जे.सी. कुमारप्पा के हवाले से समझाईं कि 'गाँधी का देश : हमारा देश-तुम्हारा देश' का दर्शन है। इस बात को आज हम सभी को समझने की जरूरत है।

संगोष्ठी के चतुर्थ अकादमिक सत्र का दूसरा पर्चा सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़, सूरत के प्रोफेसर सत्यकाम जोशी द्वारा 'गाँधीवादी विचार संस्थाएँ' विषय पर किया गया। आपने अपने पर्चे में गाँधी की नई तालीम और गुजरात विद्यापीठ के प्रयोगों के बारे में बात की। इस सन्दर्भ में आपने यह भी कहा कि गाँधीवादी संस्थाओं में जो भी लोग आए या गए वह सब के सब ऊँची जातियों और कुलीन वर्ग के लोग आए। इन लोगों के आचार-विचार में नैतिकता नहीं रही। ये गाँधीवादी विचार संस्थाएँ व्यक्ति केन्द्रित हो गई है इनका गाँधीवादी विचारों और कार्यक्रमों से कोई वास्ता नहीं बचा है। इसलिए आज गाँधीवादी संस्थाए लोगों से जुड़ नहीं पा रही है। इसके साथ ही आपने यह भी कहा कि मौजूदा दौर में आज शास्त्र-सस्त्र-और सत्ता का गठबन्धन बन गया है। इस भयानक दौर में गाँधी ही एकमात्र विकल्प बचे है जो रास्ता दिखा सकते है।

संगोष्ठी के चतुर्थ अकादमिक सत्र का तीसरा पर्चा शासकीय महाविद्यालय भोपाल के राजनीति विज्ञानी डॉ. उत्तम सिंह चौहान द्वारा 'गाँधी दर्शन और सम्पोषित विकास' विषय

पर प्रस्तुत किया गया। आपने गाँधी को पाश्चात्य और भारतीय दर्शन परम्परा के साथ देखने का प्रयास किया। इस सन्दर्भ में आपने कहा कि टाइम पत्रिका के सर्वेक्षण जिसमें गाँधी को "इस पृथ्वी गृह पर ईसा मसीह के बाद सबसे अधिक जाने जाना वाला और प्यारा व्यक्ति है" कहा गया है। इसके साथ ही आपने अल्बर्ट आइंस्टीन के गाँधी के बारे में यह कहना कि "आने वाली पीढ़ियाँ शायद ही इस बात पर विश्वास करेंगी कि इस तरह का कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर चला भी था।" इसके साथ ही आपने अपने वक्तव्य में वर्तमान समय के उपभोगवाद और असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए कहा कि हम सभी को गाँधी के पास जाना होगा। इस सन्दर्भ में आपने पृथ्वी पर आसन्न इस खतरे से निपटने के लिए इतिहासकार और समाज वैज्ञानिक अर्नोल्ड टायनबी के कथन के हवाले से कहते है कि "मानव इतिहास के इस बेहद खतरनाक क्षण में मानव जाति के लिए मुक्ति की एक मात्र राह भारतीय पथ ही रह जाएगा जो सम्राट अशोक और महात्मा गाँधी के अहिंसा के सिद्धान्तों पर आधारित है।" इस तरह से आपने अपने पर्चे में गाँधी के चिन्तन में वर्तमान की समस्याओं को हल करने की शक्ति और अहिंसा आधारित मुक्ति के सन्देश को रेखांकित किया।

इस सत्र की अध्यक्षता जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के राजनीति विज्ञानी प्रोफेसर ए.पी.एस. चौहान द्वारा की गई। इस सत्र की सहध्यक्षता शासकीय महाविद्यालय शिवपुरी के राजनीति विज्ञानी डॉ. पुनीत कुमार द्वारा की गई।

पंचम अकादमिक सत्र

संगोष्ठी के पांचवे अकादमिक सत्र का पहला पर्चा अम्बेडकर पीठ, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के पूर्व प्रोफेसर शैलेंद्र पाराशर द्वारा 'गाँधी - सहिष्णुता और आज का समाज' विषय पर किया गया। अपने अपने पर्चे के माध्यम से बताया कि सहिष्णुता के प्रश्न के साथ देश का बँटवारा हुआ। यदि देश के बँटवारे के समय थोड़ी सी सहिष्णुता रहती तो देश का विभाजन नहीं होता। और आज धारा (370) आदि पर बहस न होती। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। शायद इसी कारण आज भी मन-मानस में विचारों से चिपकाव है। कोई कही चिपका है कोई कही। सत्य और कथ्य के बीच फंसा विचार। इस स्थिति में गाँधी के प्रयोग वाला विचार हमारे काम आ सकता है।

संगोष्ठी के पांचवें अकादमिक सत्र का द्वितीय प्रस्तुतिकरण भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में फैलो डॉ. रमाशंकर सिंह द्वारा 'स्वराज की भाषा और गाँधी' विषय पर किया गया। आपने अपने पर्चे में कहा कि क्या कोई गाँधी मार्ग सम्भव है। ये रास्ता हमें हिन्द स्वराज के माध्यम से मिलता है। गाँधी की सबसे अच्छी बात थी कि उनके पास जनता की भाषा थी। आपने समाज विज्ञानी गौरी विश्वनाथन के हवाले से कहा कि गाँधी समाज विज्ञानों में कहाँ है। समाज विज्ञानों में जनता की आवाज कहाँ है। समाज विज्ञान से जनता की आवाज को धीरे-धीरे गायब कर दी गई है। आज एकता का मतलब एकरूपता बताया जा रहा है जबकि ऐसा हो नहीं सकता एकता का मतलब एकरूपता हो नहीं सकता। जबकि महात्मा गाँधी ने

औपनिवेशिक शासन से देश, समाज और व्यक्ति की मुक्ति और स्वराज के लिए भाषा खोजी। गाँधी ने औपनिवेशिक शासन का विरोध करने के लिए भारतीय मनोभूमि के अनुकूल एक ऐसी राजनीतिक और व्यापक अर्थों में सांस्कृतिक भाषा का सृजन किया जिससे एक व्यापक गोलबन्दी और सहमति का निर्माण किया जा सके। इसके साथ ही अपने कहा कि गाँधी कभी भी अपने विरोधी के लिए भी कभी भी कल्पना नहीं करते थे कि वह क्षणमात्र के लिए भी भयभीत हो। आपने बताया कि गाँधी पूरे भारत को उसके किसानों, अस्पृश्यों, नौजवानों, महिलाओं, साधु-सन्यासियों, सैनिकों और राजनेताओं को ध्यान से देखा और सुना। इन सबको सुनते हुये उन्होने एक ऐसी भाषा विकसित करने का प्रयास किया जो भारत के लोगों को उस लालच, हिंसा और घृणा से मुक्त कर सके जो उननिवेशवाद का मूल है।

संगोष्ठी के पाँचवे अकादमिक सत्र का तृतीय पर्चा डॉ. सीमा सोनी द्वारा 'गाँधी और नारीवाद' के प्रश्नों के आलोक में किया गया। आपने अपने पर्चे में यह सवाल उठाया कि गाँधीवादी आन्दोलनों में महिलाएँ कहाँ हैं? हैं भी तो उनकी भूमिका क्या रही? क्या गाँधीवादियों ने महिलाओं के सवालों को लेकर किसी आन्दोलन का नेतृत्व किया? अपने इस पर्चे के माध्यम से गाँधी की उन बातों का जिक्र भी किया जो बहुत ऐतिहासिक महत्त्व की हैं, खासकर गाँधी के जीवन से जुड़ी हुई। आपने इस सन्दर्भ में कहा कि गाँधी के महिलाओं के प्रति उदार विचार सौंजा श्लेजीन के कारण विकसित हुये क्योंकि वह एक मताधिकारवादी थीं, वह गाँधी से प्रभावित हुईं और बाद में गाँधी की सेक्रेटरी भी बनीं। इस तरह से गाँधी पर यूरोप और भारतीय महिलाओं के विचार जिनसे गाँधी एक उदार सोच की तरफ आगे बढ़े। इस तरह से आपने गाँधी के ऊपर महिलाओं के प्रभाव को इस पर्चे के माध्यम से साझा किया।

इस सत्र की अध्यक्षता मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन के प्रोफेसर वाय.जी. जोशी द्वारा की गई। इस सत्र की सह-अध्यक्षता शासकीय महाविद्यालय शाजापुर के राजनीति विज्ञानी डॉ. विद्याशंकर विभूति द्वारा की गई।

षष्ठ अकादमिक सत्र

संगोष्ठी के छठे और अन्तिम अकादमिक सत्र का पहला पर्चा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला में फैलो डॉ. अजय कुमार द्वारा 'गाँधी-अम्बेडकर - साझा सपनों के लिए रिक्त स्थान' विषय पर किया गया। आपने अपने पर्चे के माध्यम से गाँधी और अम्बेडकर के अन्तरसम्बन्धों के सदर्भ में कहा कि भारतीय इतिहास में बीसवी सदी के आरम्भिक दो दशक राजनीतिक दृष्टि से और बौद्धिक सक्रियता की वजह से अपनी खास अहमियत रखते हैं। महत्त्व की बात यह है कि इस दौर में न केवल भारत के एक राष्ट्र-राज्य होने के तर्क को दृढ़ता से सामने लाया गया गया बल्कि उसे इतनी ही दृढ़ता से स्थापित भी किया गया। जाहिर सी बात है कि ऐसे समय में समाज में बौद्धिक उलझनें होती ही हैं। इस आलेख में बीसवीं सदीं के दो नायक जो भारतीय राष्ट्र राज्य की आधारशिला रखने के लिए जाने गये। जहाँ एक देश को ब्रितानी हुकूमत से आजाद कराने के लिए जनता को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहा

और पूरी दुनिया के मुक्ति आन्दोलनों के लिए प्रेरणा बना और अपने अहिंसा के सिद्धान्त के कारण पूरी दुनिया को शांति का मार्ग दिखाने के लिए जाना गया। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा नायक जो भारत के अधीनस्थ वंचित समुदायों के मानवाधिकारों का वाहक और संरक्षक बना जिसने भारतीय राष्ट्र-राज्य को एक संवैधानिक दस्तावेज दिया। जिसमें समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित किया गया। बीसवीं सदी के ये दो नायक थे मोहनदास करमचन्द गाँधी और डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर। 21वी सदी की ये दहाई के दो साल यानि (2019 और 2020) हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन दो सालों के आधार पर ही गाँधी-अम्बेडकर के मिलन के बिन्दुओं को तलाश करने की कोशिश अजय कुमार द्वारा की गई। इसके साथ ही अजय कुमार ने यह भी कहा कि आज यह भी याद रखने की जरूरत है कि जब सत्ता को जरूरत पड़े तो गाँधी को नेहरू से लड़ा दो, नेहरू को अम्बेडकर से लड़ा दो, अम्बेडकर को गाँधी से, अगड़ों को पिछड़ों से, हिन्दुओं को मुसलमानों से। सत्ता के इस खेल को भी समझना हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए।

संगोष्ठी के छठवें और अंतिम अकादमिक सत्र का दूसरा पर्चा लेखिका और पत्रकार डॉ. अर्चना मेहता द्वारा 'गाँधी आर्थिकी और बदलता वैश्विक परिदृश्य' विषय पर किया गया। आपने आपने पर्चे में बताया कि जब आज की परिस्थितियों में आर्थिक सवाल स्थायी नहीं है रोज-रोज मन्दी की खबरे आ रही है उस स्थिति में आज भी गाँधी का आर्थिक चिन्तन एक आशा के रूप में रास्ता दिखा सकता है। आपने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के लिए गाँधी के विचार और दर्शन आज भी सार्थक प्रतीत होते है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए गाँधी गांवों को एक राष्ट्र में उत्पादन की सबसे छोटी इकाई के रूप में देखते है। आपने आगे कहा कि गाँधी जीवन के लिए धन को आवश्यक मानते थे परन्तु वे धन को साध्य न मानकर लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन मात्र मानते थे। गाँधी के अनुसार विकास के लिए बुनियादी शर्त है अन्दर से सबलता और अधिक निर्भरता।

संगोष्ठी के छठे और अन्तिम अकादमिक सत्र का अन्तिम वक्तव्य अतिथि के रूप में आये नाट्यकर्मी और सामाजिक कार्यकर्ता अशोक जमनानी द्वारा गाँधी और उपभोग के अन्तहीन विस्तार पर किया गया। आपने अपने पर्चे में कहा कि जब 21वीं सदी आ रही थी तो क्या लेकर आ रही थी। वो थी भूख। ये भूख थी अधिक लेने की तो इस अधिक लेने की भूख ने इस धरती को और इस धरती के कुछ लोगो को देनी पड़ी। हमारी खुशी आज हमारे साधनों पर टिकी है। यदि हमारे साधन छीन लिए जाए तो हमारी खुशी तो दूर की बात हम मुस्करा भी नहीं सकते।

इस सत्र की अध्यक्षता राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर गोपालकृष्ण शर्मा द्वारा की गई। इस सत्र की सह-अध्यक्षता भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के फैलो डॉ. रमाशंकर सिंह द्वारा की गई। इस सत्र के साथ ही संगोष्ठी के समापन सत्र में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर यतीन्द्रसिंह सिसोदिया ने दो दिनों में विभिन्न सत्रों के माध्यम से हुई चर्चा और विमर्श से निकले बिन्दुओं का प्रस्तुतिकरण किया। इसी क्रम में

संस्थान निदेशक द्वारा सभी अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए संगोष्ठी का समापन किया।

अन्ततः आज समकालीन समय में गाँधी होते तो क्या कर रहे होते? वह समूचे सत्ता प्रतिष्ठान के विरुद्ध लड़ रहे होते, हिंसा और युद्धोन्माद के खिलाफ लड़ रहे होते, साम्प्रदायिकता के खिलाफ लड़ रहे होते, उस भ्रष्टाचार से लड़ रहे होते जो सार्वजनिक जीवन में, रोजमर्रा की जिन्दगी में बढ़ रहा है। गाँधी आज लड़ रहे होते उस अन्याय के खिलाफ जो देश के करोड़ो लोगों को आज भी झेलना पड़ रहा है। इस तरह से जब आज घृणा, नफरत और हिंसा भरे माहौल में जब लोकतन्त्र पर खतरा, समाज पर खतरा, व्यक्ति पर खतरा हो तो समाज और राष्ट्र-निर्माण के लिए गाँधी और गाँधीवादी मार्ग एक आशा कि किरण के साथ हमारे सामने आते है और राष्ट्र-निर्माण का एक रास्ता दिखाते हैं।

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 17, अंक 2, 2019, पृ. 64-75)

पुस्तक समीक्षा

हिन्दू-एकता बनाम ज्ञान की राजनीति

अभय कुमार दुबे
सी.एस.डी.एस.-वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2019, पृ. 278
ISBN 978-93-89012-45-3, मूल्य : रु. 550/-

माधव प्रसाद गुप्ता*

अभय कुमार दुबे द्वारा लिखित पुस्तक 'हिन्दू एकता बनाम ज्ञान की राजनीति' बहुसंख्यकवाद विरोधी उस विमर्श को सामने लाता है जिसे मध्यमार्गी विमर्शकारों (वामपंथी एवं सेकुलरवादी) के मुखर हिस्से द्वारा उपेक्षित कर दिया गया है। मुखर हिस्सा संघ परिवार की हिन्दुत्ववादी परियोजना के केवल उन्हीं हिस्सों की आलोचना करता है जिसे संघ परिवार ने सत्तर के दशक से ही छोड़ दिया है जबकि मौन हिस्से के पास संघ परिवार की नई समझ का विश्लेषण करने और उसके आधार पर बने बहुआयामी व्यावहारिक विन्यास को ग्रहण करने एवं पीछे धकेलने की क्षमता है। मुखर हिस्से द्वारा मौन हिस्से के इस तर्क को राजनीतिक सहीपन के माध्यम से पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया है।

बहुसंख्यकवादी विमर्श में राजनीतिक सहीपन की संरचना छः आस्थाओं पर टिकी हुई है। जिनमें पहली आस्था यह मानती है कि भारतीय सभ्यता एक सामासिक सभ्यता है जिसे हिन्दू सभ्यता नहीं कहा जा सकता, जबकि भारत में हिन्दू बहुसंख्यक है। दूसरी आस्था,

*पोस्ट डॉक्टोरल फैलो (राजनीति विज्ञान), म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र)
E-mail: madhav.mpissr@gmail.com

भारतीय समाज को बहुलतापरक समाज मानती है जिसे किसी एकाश्म संरचना में नहीं बांधा जा सकता है और यह मानती है कि भारतीय बहुलतावाद हिन्दुत्ववादी एकता की परियोजना को सफल नहीं होने देगी। तीसरी आस्था यह मानती है कि भारतीय सेकुलरवाद का मुख्य कार्य अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा और बहुलतावाद की हिफाजत करना है। चौथी आस्था के केन्द्र में ब्राह्मणवाद एवं दुष्टता का विचार है। पांचवी आस्था यह मानती है कि उदारवादी लोकतंत्र में चुनावी प्रतियोगिता के माध्यम से अतिवादी विचारधाराओं वाली पार्टी को भी मध्यमार्ग अपनाने पर विवश कर देगी और छठी आस्था वामपंथी, सेकुलर और उदारवादी बौद्धिकता को श्रेष्ठ मानना तथा संघ परिवार की बौद्धिकता को निम्नतर मानना रहा है। इन सारी पृष्ठभूमि में यह पुस्तक मध्यमार्गी विमर्श द्वारा निर्मित संघ परिवार और उसकी राजनीति को समझने का प्रयास पांच भागों द्वारा करती है।

इस पुस्तक का प्रथम भाग 'मध्यमार्गी विमर्श की जड़ता और बदलता हुआ संघ परिवार' पर केन्द्रित है। जिसमें लेखक इस पाठ के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में मध्यमार्गी विमर्श की प्रचलित धारणा है कि यह एक फासीवादी एवं ब्राह्मणवादी संगठन है जो बहुलतावादी हिन्दू समाज का सामीकरण करके बहुल हिन्दू समाज को नष्ट करना चाहता है, जो बहुत हद तक गंगाधरण के बनाये हुए विचार से प्रेरित है। मध्यमार्गी विमर्श कभी भी अपने इस विचार से आगे नहीं निकल पाया है। मध्यमार्गी विमर्श हमेशा से ही हिन्दू विमर्श को केवल इस्लाम की आलोचना और प्राच्यवादियों द्वारा बनाई हिन्दू धर्म की श्रेष्ठता के दायरे में रखता है। जबकि हिन्दू विमर्श को समझने के लिए 1925 में संघ की स्थापना से पूर्व के विमर्शों का विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है। हिन्दू विमर्श की यह प्रवृत्ति 19वीं सदी की विमर्शी राजनीति का परिणाम रही है जो दयानंद सरस्वती और विवेकानंद के विमर्शों से प्रभावित रहा है। क्योंकि तत्कालीन बहुसंख्यक समाज कई ध्रुवों जैसे आर्य समाज, खालसा पंथ, बौद्ध, जैन, सत्य महिमा धर्म, कबीरपंथी में विभक्त था जिनकी स्वयं की अपनी वैचारिक दावेदारियां भी थी। इस संदर्भ में लेखक ने संघ पूर्व विमर्श को दो भागों में देखने का प्रयास किया है। पहले भाग में वह स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, उपेन्द्रनाथ मुखर्जी, स्वामी श्रद्धानंद, लालचंद के विचारों पर चर्चा करते हैं, वहीं दूसरे भाग में बालकृष्ण शिवराम मुंजे और सावरकर के हिन्दुत्व सम्बंधी विमर्शों पर प्रकाश डाला है।

इस पहले हिस्से में लेखक यह विश्लेषित करते हैं कि कैसे विभिन्न सम्प्रदायों में बंटे हिन्दू समाज को एकजुट करने का प्रयास विभिन्न सम्प्रदायों के माध्यम से किया जाता रहा है। जिसमें दयानंद की आर्य समाज द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और अंधविश्वासों का विरोध करके लोगों को वेदों के दायरे में लाना था। उनके द्वारा स्मृतियों को खारिज कर हिन्दू पहचान को वेदों तक लाया गया एवं जाति प्रथा को समाप्त कर वर्ण व्यवस्था को कर्म आधारित पहचान दी और एक नये ब्राह्मण का निर्माण किया, जो जन्मजात न होकर योग्यता पर आधारित था।

दयानंद के विचारों को उनके अनुयायियों स्वामी श्रद्धानंद और लालचंद ने आगे बढ़ाया। जहां स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि के माध्यम से अछूतों को व्यापक हिन्दू समाज का अंग बनाया। इसी दायरे को आगे बढ़ाने का कार्य विवेकानंद करते हैं।

विवेकानंद धार्मिक ज्ञान को सभी के लिए विशेषकर शूद्रों के लिए भी स्वीकार करते हैं। इसी कारण इन्हें भारत के प्रमुखतम राष्ट्र निर्माता की भी संज्ञा दी जाती है। विवेकानंद पूर्व की मूल्य प्रणाली और पश्चिम के वैज्ञानिक ज्ञान को जोड़कर एक नए सांस्कृतिक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। वह मानते थे कि भविष्य में भारत में कमजोर जातियों का प्रभुत्व होगा। इनके विचारों का द्वितीय सरंसघचालक गुरू गोलवलकर पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा और इसी कारण इनके द्वारा पिछड़ी जातियों को द्विज जातियों से जोड़ने का राजनीतिक कार्यक्रम चलाया गया।

संघ पूर्व विमर्श के दूसरे भाग में सावरकर एवं बालकृष्ण मुंजे के हिन्दुत्व सम्बंधी विचारों पर चर्चा की गई है। जहां सावरकर अपने हिन्दुत्व सम्बंधी विमर्श में जातिगत भेदों के बावजूद सभी को रक्त के आधार पर हिन्दू मानते हैं और यह कहते हैं कि जाति जन्मजात न होकर पोथीजात है (पृ. 53) जिसे समाप्त होना चाहिए, जिससे कि हिन्दू एकता की स्थापना की जा सकें। जन्मजात जाति की इस धारणा को तोड़ने के लिए वे सात बेड़ियों वेदोक्तबंदी, व्यवसायबंदी, स्पर्शबंदी, समुदबंदी, शुद्धिबंदी, रोटीबंदी एवं बेटीबंदी को तोड़ने का आह्वान करते हैं।

दूसरी ओर मुंजे का विचार था कि हिन्दुओं में जाति प्रथा ने समाज को अलग-अलग भागों में बांट रखा है इसे समाप्त करने के लिए वे अनुलोम-प्रतिलोम विवाह का समर्थन करते हैं जिससे कि वर्णों के बीच आंगिक एकता को बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त मुंजे हिन्दुओं के लिए एक यज्ञसमारम्भ जैसे स्थान की वकालत करते हैं जहां हिन्दू बैठकर आपस में विचार विमर्श कर सकें। मुंजे के इस विचार का समर्थन संघ निर्माताओं ने किया, जो संघ के शाखा के रूप में अस्तित्वमान हुई।

लेखक संघ निर्माण के विमर्श में यह बात रेखांकित करते हैं कि संघ की स्थापना के समय महासभा और हेडगेवार में संघ की भूमिका के संदर्भ में मतभेद थे। जहां महासभा संघ को सीधे राजनीति में भाग लेने पर बल देती थी वहीं हेडगेवार संघ को गैर-राजनीतिक और सांस्कृतिक भूमिका निभाने पर जोर देते थे।

इसके अतिरिक्त हिन्दू एकता की परियोजना में जहां सावरकर जाति प्रथा का विरोध करते थे, वहीं संघ ने कभी भी इसे नहीं अपनाया। सावरकर हिन्दू एकता को लाने में नीचे से एकता का समर्थन करते थे वहीं संघ ऊपर से एकता का समर्थन करता था। जिस कारण हिन्दू एकता को लाने में सावरकर और हेडगेवार में कभी वैचारिक सामन्जस्य नहीं बन पाया। लेखक इस भाग में संघ के विकास को तीन चरणों में देखने का प्रयास करते हैं। जिसमें पहला चरण, हेडगेवार एवं गोलवलकर की मृत्यु तक माना जाता है। इस चरण में हिन्दू एकता को लाने के लिए ऊपर से एकता की नीति की बात की जाती थी। इस समय संघ में एक ऐसे

सिद्धांत की आवश्यकता थी जो पिछड़ी जातियों और अछूतों तक अपनी पहुंच बना सके। इस संदर्भ में जैफ्रेलो कहते हैं कि शाखा एक ऐसी जगह थी जहां सभी जातियां मिलकर हिन्दू राष्ट्र के लिए माइक्रोकॉजम बना सकती है।

वहीं गोलवलकर हिन्दूओं का एकजुट करने के लिए वर्णाश्रम की समाप्ति की बात करते हैं और कहते हैं कि केवल एक ही वर्ण है वह हिन्दू वर्ण। जिसे वह शूद्र वर्ण भी कहते थे। यह कार्य शूद्र जातियों को हिन्दुत्व की राजनीतिक परियोजना में शामिल करने का परिणाम रही है। इसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए उनके शिष्य दीन दयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया, जिसे समाज में परस्पर संघर्ष की बजाय आंगिक एकता और समतामूलकता के पर्याय के रूप में देखा गया। जिसने संघ से सवर्ण एवं पिछड़ी जातियों में सामंजस्य की रूपरेखा तैयार की। जबकि मध्यमार्गी विमर्श संघ की इस परियोजना को मानने से लगातार इंकार करती रही या यह कह सकते हैं कि वह इसे समझ ही नहीं पायी और मध्यमार्गी विमर्श द्वारा लगातार इसी तथ्य पर जोर दिया जाता रहा कि संघ की यह प्रवृत्ति मात्र ब्राह्मणवाद द्वारा कमजोर जातियों को अपने वर्चस्व में लाने की साजिश है। यह विमर्श संघ को केवल यूरोपीय फासीवाद के आइने में ही परिभाषित करता रहा है।

संघ के विकास के दूसरे चरण में बालासाहब देवरस का प्रभाव था। उन्होंने हिन्दू एकता और सामाजिक समता को लाने के लिए एक नया आयाम दिया। वह जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे और कहते थे कि दलितों को भी सभी प्रकार की सुविधाएं और अवसर प्राप्त होने का हक है। देवरस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि भारत में रहने वाला हर प्रकार का धर्मावलम्बी हिन्दू है चाहे उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो (पृ. 77)। इस प्रकार देवरस द्वारा संघ की शाखाओं में सभी धर्मावलम्बियों विशेषकर मुसलमानों के प्रवेश का समर्थन किया गया, जिसका उस समय विरोध भी हुआ।

हिन्दू एकता के लिए देवरस के जमाने में अनुसूचित जातियों और आदिवासी समुदाय को शामिल करने के लिए विशाल स्तर पर परियोजनाएं चलायी गई। इस हेतु संघ के कार्यक्रमों में ज्योतिबा फुले और अम्बेडकर को महापुरूषों की सूची में सम्मिलित किया गया। इसी परियोजना के तहत दलित नेता बंगारू लक्ष्मण को भाजपा का अध्यक्ष भी बनाया गया। इसी परियोजना का ही परिणाम है कि आज भाजपा के पास सबसे अधिक अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसद एवं विधायक है। जबकि मध्यमार्गी विमर्श आज भी यह मानता है कि संघ का यह कार्यक्रम अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को बहला-फुसला कर ही हिन्दुत्व के दायरे में लाने का एक षडयंत्र है।

संघ के विकास के तीसरे चरण में संघ के भीतर तब तक कोई अंतर्विरोध नहीं था जब तक की उसकी सत्ता में भागीदारी नहीं थी। इस चरण में समरसता पर आधारित द्विज-पिछड़ा वर्ग में सत्ता के बंटवारे के प्रश्न पर द्विज बनाम पिछड़ा वर्ग की लॉबी के मध्य विवाद भी हुए। अस्सी के दशक में आरम्भ हुए रामजन्मभूमि आंदोलन में भाजपा में पिछड़े वर्ग के नेताओं की प्रभावी भूमिका रही है। जिस कारण सामाजिक-राजनीतिक गोलबंदी ने पिछड़े

वर्ग के नेता कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री भी बनाया। उसी समय वी.पी. सिंह ने मण्डल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ों को आरक्षण प्रदान किया। आरम्भ में तो भाजपा द्वारा आरक्षण का विरोध किया गया किन्तु कुछ समय पश्चात् ही उसने अपनी इस नीति में सुधार करके पिछड़ों में गरीबों के लिए आरक्षण और सवर्णों में आर्थिक रूप से गरीबों के लिए आरक्षण की बात की।

दरअसल संघ की समरसता का विचार द्विज, पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति का एकीकरण करके हिन्दू एकता लाने का प्रयास करना था। इस समय तक पिछड़ों में यादव जाति का झुकाव समाजवादी पार्टी और जाटव समुदाय का झुकाव बहुजन समाज पार्टी की ओर था। इसी कारण संघ परिवार द्वारा पिछड़ों में गैर-यादव एवं अनुसूचित जाति में गैर-जाटव जातियों को एकजुट करने का कार्यक्रम चलाया गया और भाजपा द्वारा गैर-जाटव एवं गैर-यादव समुदाय को विभिन्न राजनीतिक पद प्रदान करके इन समुदायों को राजनीतिक भागीदारी प्रदान की गई।

मध्यमार्गी विमर्श केवल मनुस्मृति के दायरे में रहकर ही संघ की आलोचना करता रहा है। गंगाधरण ने तो संघ को चितपावन ब्राह्मणों का ब्रांड तक कह कर इसकी आलोचना की है जबकि अभी तक संघ का कोई भी सरसंघचालक चितपावन ब्राह्मण नहीं है। मध्यमार्गी विमर्श संघ के बारे में अपनी प्रचलित पूर्व धारणाओं जैसे कि यह संगठन फासीवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी, वर्णवादी है जो केवल छल कपट के माध्यम से ही अन्य पिछड़ी जातियों एवं अनुसूचित जातियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है तथा साथ ही इस धारणा का भी समर्थन करती है कि यदि संघ और भाजपा को अवसर मिले तो वह आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर देगी। इस अध्याय के माध्यम से लेखक ने विश्लेषित किया है कि संघ तो मनुस्मृति के दायरे से बाहर निकल गया है किन्तु मध्यमार्गी विमर्श आज भी अपने आपको मनुस्मृति के दायरे से बाहर निकाल नहीं पाया है।

इस पुस्तक का द्वितीय भाग मध्यमार्गी विमर्श के मुखर आयामों पर चर्चा करता है। जिसमें लेखक ने मध्यमार्गी विमर्श के भारतीय उदारवाद के संस्थागत ढांचे, कार्य विधि और चुनावी राजनीति की दोहरी संरचना को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जिसमें मध्यमार्गी विमर्श यह मानता है कि चुनावी राजनीति में 'इनक्ल्यूजन-मॉडरेशन थियरी' के अनुसार जब अतिवादी विचाराधारा वाले राजनीतिक दल चुनावों में भाग लेते हैं तो उन्हें छोटे-छोटे राजनीतिक दलों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है और उनको अपनी विचारधारात्मक कट्टरता को भी छोड़ना पड़ता है और यह अतिवादी दल धीरे-धीरे मध्यमार्ग की ओर जाते हुए जन आधारित अथवा उदार दल बनते चले जाते हैं और यह प्रक्रिया पारम्परिक समाज को धर्मनिरपेक्ष समाज की ओर ले जाती है।

दरअसल जातियों का राजनीतिकरण बहुसंख्यकवादी विचारों को समाप्त कर सकती है और बहुसंख्यकवादी विचार हिन्दुत्व को मजबूत बनाता है। इस प्रकार धीरूभाई सेठ जैसे विचारक भी यह मानते हैं कि हिन्दू समाज में इतनी विविधता को देखते हुए भारत में हिन्दू

राष्ट्र की सम्भावना न के बराबर है और इन विचारों की पुष्टि रजनी कोठारी भी करते हैं। भारतीय उदारतावाद की संस्थागत चुनावी राजनीति तथा भारतीय बहुलतावाद की इस दोहरी संरचना को लेकर कई सारे सिद्धांतों की रचना की गई है। जिसमें तीन प्रमुख तर्क इस प्रकार है: प्रथम, भाजपा को अब ब्राह्मण-बनिया की पार्टी से बाहर निकलना चाहिए और साम्प्रदायिकता को छोड़कर उदार लोकतांत्रिक पार्टी बनना चाहिए, जिससे मध्यवर्ग का उस पर विश्वास हो सकें। द्वितीय सिद्धांत तहत मध्यमार्गी विमर्श को अब पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों को जोड़कर सामाजिक न्याय की एक नई सम्भावना तलाशनी चाहिए। तृतीय, विमर्शकारों का एक ऐसा वर्ग है जो पूरे हिन्दू समाज का दलितीकरण करना चाहता था और यह मानता था कि यह सिद्धांत भारतीय आधुनिकता की ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त कर देगी।

इस पुस्तक का तीसरा भाग मध्यमार्गी विमर्श के मौन आयामों के पांच विमर्शों की चर्चा करता है जो सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विमर्शों से निर्मित हिन्दू एकता के राजनीतिक कार्यों को रेखांकित करता है। प्रथम विमर्श यह मानता है कि हिन्दू पहचान का निर्माण 18वीं सदी में उपनिवेशवादी शक्तियों की देन है अथवा यह मध्ययुगीन धार्मिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं का परिणाम रहा है।

भारत में निवासी मुस्लिम, ईसाई एवं बौद्धों को छोड़कर सभी लोग हिन्दू है यह धारणा प्राच्यवादियों (उपनिवेशवादियों) द्वारा गढ़ी गई थी। प्राच्यवादियों द्वारा निर्मित भव्य हिन्दू परम्परा के अंतर्गत हिन्दू परम्परा को संग्रहणशील, उदार और सहिष्णु माना गया। इस निर्मित परम्परा के तहत अंग्रेजों ने हिन्दुओं की सभी धार्मिक और कल्याणकारी संस्थाओं के रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। जिससे हिन्दुओं के धार्मिक जीवन का सरकारीकरण प्रारम्भ हो गया। प्राच्यवादियों द्वारा किए गये इस नकारात्मक प्रयासों ने हिन्दू पहचान को एक नया आयाम दिया, इसका प्रभाव यह रहा कि उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादियों से लेकर उत्तर-उपनिवेशवाद काल में भी इसी हिन्दू निर्मिति का उपयोग किया जाता रहा है।

दूसरी ओर कुछ विद्वान हिन्दू पहचान को केवल औपनिवेशिक कारस्तानी नहीं मानते हैं इनका कहना है कि हिन्दू होने की आरम्भिक पहचान 1200 से 1500 के बीच में भगवतगीता, पुराणों इत्यादि पर टीकाओं के माध्यम से हुई है। इस युग में कबीर, रामानंदी, संत एकनाथ, रैदास, नानक, दादू इत्यादि अनेक संतों के कविताओं में हिन्दू और मुसलमान अस्मिताएं कहीं न कहीं एक दूसरे से संघर्ष करती हुई दिखाई देती है जो यह स्पष्ट करती है कि उस समय के सामाजिक जीवन में यदि हिन्दू और मुसलमान में संघर्ष नहीं होता तो शायद ही हिन्दू अस्मिता का उभार हो पाता।

मौन आयाम का दूसरा विमर्श यह रेखांकित करता है कि कैसे हिन्दू पहचान का विस्तार औपनिवेशिक जनगणना, प्रातिनिधिक राजनीति और उत्तर-औपनिवेशिक कानूनों के कारण हुआ है। औपनिवेशिक जनगणना ने पहली बार ऐसे बहुत से समुदायों को यह एहसास

कराया कि वे हिन्दू हैं। इस जनगणना ने बहुत से जाति समूहों को समाज में अपना दर्जा सुधारने और द्विज बनने की कोशिश करना रहा है। इस प्रक्रिया ने जाने अनजाने अनेक जाति समूहों को हिन्दू पहचान से अवगत कराया।

अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा ने उपनिवेशवादी विरोध को हिन्दू बनाम मुसलमान में परिवर्तित कर दिया। इस दौरान 1937 से लेकर 1947 की घटनाओं ने मुस्लिम राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया तथा हिन्दू आत्मछवि में मुसलमान विरोध को स्थायी कर दिया। मुस्लिम लीग कांग्रेस को हिन्दू पार्टी मानती थी इसका कारण यह था कि प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस द्वारा किसी भी मुस्लिम पार्टी से मिलकर साझा सरकार न बनाना रहा है। जिसके फलस्वरूप, कांग्रेस ने मुस्लिम राष्ट्रवाद को जमीन तैयार करने में मदद की और मुस्लिम राष्ट्रवाद, हिन्दू राष्ट्रवाद के लिए जमीन मुहैया कराने में मददगार साबित हुई। उत्तर-औपनिवेशिक कानून भी हिन्दू पहचान को विस्तार देने में सहायक हुई है। जिनमें हिन्दू विवाह कानून एवं हिन्दू उत्तराधिकार कानून ने उन सभी समुदायों जैसे आर्यसमाजी, सनातनी, वैष्णव, शाक्त, शैव के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा बौद्धों, जैनों एवं सिखों को भी अपने समावेश में लिया, जिनकी जन्मभूमि और पितृ भूमि दोनों भारत रहा है। इस प्रकार इन कानूनों ने सावरकर के ही सिद्धांत का समर्थन किया है। समाजशास्त्री दीपंकर गुप्ता ने भी इस हिन्दू बहुमत को भारत के उदारवादी लोकतंत्र का निर्माण माना है। उत्तर औपनिवेशिक कानूनों ने हिन्दू बहुसंख्या को बहुसंख्यकवाद की ओर लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बात की पुष्टि रत्ना कपूर ने अपनी रचना अ लीप ऑफ फेथ: द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिन्दू मैजोरिटेरियनिज्म थ्रू सेकुलर लॉ के माध्यम से भारत के उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालयों के निर्णयों में खोजा है, जिसने हिन्दुत्व सम्बंधी विचारों को ही मजबूत किया है। लेखक इस आयाम के अन्तर्गत यह विश्लेषित करना चाहते हैं कि इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य हिन्दू बहुसंख्यकवाद को प्रोत्साहन देना नहीं था, किन्तु इन प्रक्रियाओं ने हिन्दू बहुसंख्यकवाद को आगे ही बढ़ाया है। भीखू पारेख जैसे विद्वान भी स्वतंत्र भारत में बनी पहली सरकार को हिन्दू आत्मछवि से प्रेरित सरकार कहते थे। वे यह मानते हैं कि भारतीय संविधान ने अनजाने में ही यह स्वीकार कर लिया है कि भारतीय राज्य का संचालन हिन्दुओं द्वारा किया जाएगा और इससे हिन्दुओं को डरने की आवश्यकता नहीं है। नेहरू के धर्मनिरपेक्षवादी प्रयासों का विरोध होने पर वे इसे साम्प्रदायिक करार दे देते थे जिसके परिणामस्वरूप संघ को अपने हिन्दू परियोजना को आगे बढ़ाने में लाभ मिलता था और इस प्रकार हिन्दुत्ववादी शक्तियां संविधान के दायरे में रहकर हिन्दू बहुसंख्यकवाद को आगे बढ़ाती रही।

मौन आयाम के तीसरे विमर्श के विश्लेषण में लेखक रजनी कोठारी के लेख के माध्यम से यह रेखांकित करते हैं कि हिन्दू बहुसंख्यकवाद का उभार भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही परिणाम है। इनका कहना है कि 1969 से ही कांग्रेस ने मुसलमान, अनुसूचित जाति-जनजाति, कुछ पिछड़ी जातियों और ब्राह्मणों का ध्रुवीकरण किया और अल्पसंख्यकों

की तुलना में बहुसंख्यकों की संख्यात्मकता पर बल दिया। यह सब स्वयं को सेकुलर मानने वाली कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया। इस तरह भारत में एक नृवंशीय गणनशास्त्र का जन्म हुआ। इस तरह सत्ता में अपने विरोधी लोगों को राष्ट्रद्रोही और देश की एकता का दुश्मन करार देने की प्रवृत्ति आ गई, इस प्रवृत्ति ने सेकुलर लोकतंत्र में अतिवाद को बढ़ावा दिया जिसके परिणामस्वरूप साम्प्रदायिक शक्तियों की सत्ता पर पहुंच आसान हुई। कोठारी यह भी कहते हैं कि इंदिरा गांधी द्वारा पंजाब में सैनिक कार्यवाई के तुरंत बाद गढ़वाल में यह कहा गया कि पंजाब में हिन्दू धर्म पर हमला हो रहा है और हिन्दू संस्कृति को सिखों, मुसलमानों और दूसरे लोगों से बचाया जाना चाहिए।

यह सारी कवायदों में कहीं न कहीं हिन्दू बहुसंख्यकवाद को एकजुट करने का प्रयास था। इस हिन्दू बहुसंख्यकवाद के आगे बढ़ने से न तो उदारवादी लोकतंत्र और न ही भारत का बहुलतावाद इसे रोक पाया है। बल्कि इसने एक तरह से इसे आगे ही बढ़ाने में मदद की है।

मौन आयाम का चौथा विमर्श नये सामाजिक क्रांतिकारी, सामाजिक न्याय के वाहक के रूप में बहुजनवाद की विफलता और कमजोर जातियों के बीच प्रभुत्वशाली जातियों के उभार को रेखांकित करता है। लेखक यह विश्लेषित करते हैं कि भारत में सामाजिक न्याय की राजनीतिक सहीपन का यह मानता है कि पिछड़े और दलित जातियों को साथ आना चाहिए जिससे एक नये सामाजिक न्याय की स्थापना हो सकती है। लेकिन सामाजिक न्याय की राजनीति आरम्भ से ही दो भागों पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जातियों में विभाजित रही है। इन सामाजिक क्रांतिकारियों जिनमें प्रमुख रूप से शरद पाटिल, कांचा ऐलरया, गोपाल गुरू इत्यादि का सपना एक नये तरह के लोकतांत्रिक क्रांति के तहत पिछड़ों और दलितों को साथ लाना था, लेकिन यह सारे प्रयास केवल एक खयाली पुलाव ही साबित हुए। क्योंकि पिछड़ों और दलितों के नेता केवल खास समुदायों के नेता ही बनकर रह गये। नये सामाजिक क्रांतिकारियों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि दलितों के दमन-शोषण के प्रति मुसलमानों द्वारा हमदर्दी तो दूर उनके संघर्ष में साथ तक नहीं दिया।

एक और तथ्य कि भारत में छुआछूत की समस्या केवल हिन्दू समाज में नहीं है बल्कि यह मुस्लिम समाज में भी व्याप्त रही है। इस तथ्य को मध्यमार्गी विमर्श के मुखर पक्ष द्वारा कभी रेखांकन ही नहीं किया गया।

इस विश्लेषण में यह रेखांकित किया गया है कि मुस्लिम समुदाय के अशराफों ने उपनिवेशवादी शक्तियों से सांठ-गांठ करके राजनीतिक समानता हासिल करने का प्रयास किया था, किन्तु इसमें भी पसमांदाओं को कोई भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। लेखक यह भी विश्लेषित करते हैं कि बहुजन एकता पर कमजोर जातियों में प्रभुत्वशाली जातियों के उभार ने विपरीत प्रभाव डाला है। आरक्षण और सामाजिक न्याय की राजनीति ने पूर्व-अछूतों और पिछड़ी जातियों में कुछ प्रभुत्वशाली जातियों जैसे यादव, कुर्मी, जाटव, पासवान,

कुशवाहा इत्यादि का निर्माण किया है और इन जातियों ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से अपने को सशक्त बनाया है।

मध्यमार्गी विमर्श के मौन आयाम का अंतिम विमर्श दलीय प्रणाली के क्षय और साम्प्रदायिक राजनीति के कारण बहुलतावाद एवं सेकुलरवाद में हुए परिवर्तनों को रेखांकित करता है। जो यह दर्शाता है कि भारत के सार्वजनिक जीवन में बहुलतावाद और सेकुलरवाद में परिवर्तन के साथ उनके आपसी सम्बंधों में भी बदलाव आये हैं। वर्तमान में सेकुलर का अर्थ हिन्दुत्वादी शक्तियों के अनुसार मुसलमानों के तुष्टीकरण से लिया जाने लगा है इसका प्रमुख कारण 2014 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा शाही इमाम से यह अपील करना कि सेकुलर वोटों को विभाजित नहीं होना और इसके पूर्व समय-समय पर सोनिया गाँधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा यह कहना कि विकास पर पहला हक अल्पसंख्यकों का होना चाहिए। इस तथ्य की पुष्टि राजीव भार्गव करते हैं। मध्यमार्गी विमर्श यह दावा करता है कि बहुलतापरक समाज में लोकतंत्र के कारण बहुसंख्यकवादी प्रवृत्तियां नहीं आ सकती है किन्तु नई सदी ने इस अवधारणा को समाप्त कर दिया है।

सुहास पल्शीकर सर्वेक्षण-आधारित आंकड़ों के विश्लेषण से यह दावा करते हैं कि 2004 के बाद से ही भाजपा को अधिकतर हिन्दू वोट प्राप्त होते रहे हैं और चुनावी प्रतियोगिता में आम मतदाता की समझ में लोकतंत्र और बहुसंख्यकवाद एक दूसरे के पर्याय बनते जा रहे हैं। भाजपा हिन्दुओं तक लगातार यह संदेश देने में सफल रही है कि वह एकमात्र हिन्दुओं की पार्टी है। दरअसल लेखक भारतीय राजनीति के विकास क्रम को देखते हैं तो यह प्रश्न उनके सामने उभरकर आता है कि क्या बहुलतावाद की कीमत पर भारत में अलग-अलग बहुसंख्यकों की प्रतियोगिता तो नहीं हो रही है? पार्टी प्रणाली के क्षय ने भी हिन्दुत्व के लिए अनुकूल संसाधन उपलब्ध कराये हैं। जैसे-जैसे कांग्रेस से अनुसूचित जातियों, पिछड़ों एवं मुसलमानों और ऊँची जातियों का समर्थन दूर होता रहा, वैसे-वैसे भाजपा मे ऊँची जातियों का समर्थन बढ़ता गया। कांग्रेस प्रणाली के पतन ने क्षेत्रीय एवं जाति आधारित पार्टियों का निर्माण किया। इस प्रक्रिया ने भारतीय राजनीति में सम्प्रदायीकरण को बढ़ावा दिया। जो संघ परिवार को अपनी राजनीतिक प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुई।

इस पुस्तक का चौथा भाग मध्यमार्गी विमर्श के मुखर पक्षों द्वारा स्थापित ज्ञान के प्रतिमानों जैसे- सामासिक संस्कृति, मुस्लिम पहचान की निर्मिति, दुष्ट-ब्राह्मणवाद एवं कांग्रेस पार्टी के प्रति नरमी की बुद्धिजीवियों की आलोचना को रेखांकित करता है। मध्यमार्गी विमर्श का मुखर हिस्सा हमेशा से ही इस बात पर जोर देता रहा है कि भारत में मध्ययुग से सामासिक संस्कृति की अपनी एक प्रमुख विशेषता रही है किन्तु रजनी कोठारी और धर्म कुमार जैसे बुद्धिजीवियों का यह मानना है कि हिन्दू-मुसलमान में सांस्कृतिक आदान-प्रदान तब आरम्भ हुआ जब मुसलमान शासन अपने पराभव के दौर से गुजर रहा था। पापिया घोष भी कहती है कि गंगा-जमनी मुसलमानों की देन है जबकि हिन्दू हमेशा से ही इससे दूर रहे हैं। 19वीं सदी में

हिन्दू, इस्लामिक और सिख आक्रामकताओं के कारण सामासिक संस्कृति की संरचनाएं नष्ट होनी शुरू हो गई थी। सतीश सबरवाल कहते हैं कि भारत में बाहर से आये मुसलमानों मे यह डर था कि कहीं विशाल हिन्दू संस्कृति इनको अपने मे समाहित न कर ले, इसलिए मुस्लिम शासकों का शुरू से ही यह प्रयास रहा है कि भारत में कमजोर जातियों, वनों में रहने वाले समुदायों को सूफियों और उलेमाओ के प्रभाव से मुसलमान बनाया जाए। सबरवाल यह मानते हैं कि 19वीं सदी में जब मुसलमानों का राजनीतिक पराभव आरम्भ हुआ तो उन्होंने कमजोर मुसलमान समुदाय को राजनीतिक रूप से संगठित करने का प्रयास आरम्भ किया। जबकि मुसलमान समुदाय में अशराफ समुदाय के लोग अजलाफ एवं पसमांदा मुसलमानों को नापसंद करते थे। सबरवाल कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय ने कभी भी अपनी बहुलपरकता को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने दिया।

मध्यमार्गी विमर्श की ज्ञान की राजनीति में ब्राह्मणवाद एक प्रचलित अवधारणा के रूप में रहा है। जबकि आज के संदर्भ में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। अम्बेडकर ब्राह्मणवाद का अर्थ स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना में निषेध को मानते हैं। इस तरह ब्राह्मणवाद के सिद्धांत पर उनके विचार पेरियार और फूले के विपरीत थे। मध्यमार्गी विमर्श को दुष्ट-ब्राह्मणवाद का प्रत्यय उपनिवेशवादियों से प्राप्त हुई है और वे इनका प्रयोग संघ के विरोध और सामाजिक समस्याओं में इनकी भूमिका के रूप में करते रहे हैं। इस प्रकार एकाश्म और अनैतिहासिक ब्राह्मणवाद का विमर्श ज्ञानोत्पादन की प्रक्रिया को ही धूमिल कर देता है। मध्यमार्गी विमर्श का मुखर हिस्सा हमेशा से ही मानता रहा है कि कांग्रेस कभी भी हिन्दू राष्ट्रवादी राजनीति नहीं कर सकती है। जबकि रजनी कोठारी यह स्पष्ट करते हैं कि अस्सी के दशक से ही कांग्रेस इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रही है। इस प्रकार कांग्रेस द्वारा क्रियान्वित इन सारी प्रक्रियाओं ने संघ परिवार की परियोजना के लिए अनुकूल जमीन तैयार करने में मददगार साबित हुई।

इस पुस्तक का पांचवा भाग संघ की राजनीतिक प्रौद्योगिकी के उस विमर्श को रेखांकित करता है जिसके माध्यम से वह हिन्दू वोटों का एकीकरण करके अपनी राजनीतिक प्रभुता का विस्तार करती है। मध्यमार्गी विमर्श अभी भी अपने राजनीतिक सहीपन के उन्हीं आस्थाओं में जकड़ी है जिनका कोई महत्व नहीं रह गया है। इसका परिणाम यह रहा है कि उनकी इस गफलत का लाभ उठाते हुए संघ परिवार ने हिन्दू एकता के लिए चलायी जा रही परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है या कर रही है। संघ परिवार द्वारा अपने दो प्रमुख प्रौद्योगिकीयों जिनमें अल्पसंख्यकों का चुनिंदा बहिर्वेशन एवं साम्प्रदायिक प्रश्नों को विवादित रखने तथा हिन्दुओं के भीतर बहिर्वेशन एवं अंतर्वेशन के माध्यम से हिन्दू एकता के कार्यक्रम को सतत रूप से आगे बढ़ाना रहा है। पहले आयाम के तहत संघ परिवार का हमेशा से ही उन साम्प्रदायिक मुद्दों जैसे लव जिहाद, घर वापसी, गौरक्षा, अयोध्या मुद्दों इत्यादि को बनाए रखना रहा है जिनका प्रयोग वह हिन्दू एकता को बढ़ाने में करती रही है। इसके साथ ही वह क्षेत्रीयता के आधार पर राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के माध्यम से पश्चिम बंगाल एवं उत्तर-पूर्व

के राज्यों में मुस्लिम समुदाय का बहिर्वेशन करना चाहती है तो वही दूसरी ओर वह आदिवासी क्षेत्रों में बहिर्वेशन के माध्यम से ईसाइयों को निशाना बनाती है। जबकि उत्तर-पूर्व के राज्यों में वह स्वयं को ईसाइयों के मित्र के रूप में दर्शाती है। दूसरे आयाम के अंतर्गत वह हिन्दुओं के भीतर यादव एवं जाटव/चमार जातियों का बहिर्वेशन करती है और गैर-यादव, गैर-जाटव समुदायों के भीतर अंतर्वेशन की प्रक्रिया भी चलाती है। इस प्रक्रिया का लाभ उसे उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनावों एवं 2019 के लोकसभा के चुनावों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है क्योंकि इन चुनावों में सबसे अधिक गैर-यादव एवं गैर-जाटव समुदाय के वोट भाजपा को प्राप्त हुए है। इस अंतर्वेशन की प्रक्रिया द्वारा संघ परिवार ने गैर-यादव एवं गैर-जाटव समुदाय को एक समरूप राजनीतिक स्थान प्रदान किया है जिसका उद्देश्य बहुसंख्यक हिन्दू समाज का निर्माण करके, हिन्दू एकता के दायरे को व्यापक करना रहा है।

इस प्रकार भारतीय राजनीति की संरचनागत, उदारवादी लोकतंत्र एवं संवैधानिक परिस्थितियां हिन्दू बहुसंख्यकवाद के अनुरूप होती जा रही है। चुनावी राजनीति अब बहुसंख्यक राजनीति की प्रतियोगिता हो गई है और इस प्रतियोगिता में भाजपा अन्य दलों से काफी आगे निकल गई है। भारत में अब नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसी राष्ट्रीय सहमति का निर्माण हो रहा है जैसा कभी नेहरू के समय में था। इस राष्ट्रीय सहमति को भारतीय अभिजनों एवं पूंजीपतियों का पूरा समर्थन मिल रहा है। जिससे भारत में एक नये नियो-हिन्दू डेमोक्रेसी का निर्माण हो रहा है और सुहास पल्शीकर इस मॉडल की तुलना रजनी कोठारी द्वारा व्याख्यायित कांग्रेस पाटी की प्रभुता से करते हैं। संघ परिवार द्वारा हिन्दू एकता के लिए चलाई जा रही परियोजना आज अपने शिखर पर है। लेखक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि 2004 से लेकर 2014 तक भाजपा की राजनीतिक पराजय ने भी हिन्दू एकता की परियोजना को कभी भी कमजोर नहीं किया। यदि भविष्य में भाजपा की पराजय होती है तो इसे बहुसंख्यकवाद की पराजय नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मध्यमार्गी विमर्श को अपनी उन आस्थाओं से अब बाहर आना होगा और उन उपायों पर चर्चा करनी होगी जिससे सेकुलरवाद को हिन्दू विरोधी छवि से बाहर निकाला जा सके तथा विमर्श की उन नई विधाओं को खोजना होगा जो लोकतंत्र को बहुसंख्यकवाद की बुरी प्रवृत्तियों से निजात दिला सकें।

यह पुस्तक हिन्दू एकता की राजनीतिक प्रौद्योगिकी में ज्ञान के उन व्यावहारिक पहलुओं को हमारे सामने लाने का एक सफल प्रयास है जिन्हें मध्यमार्गी विमर्शकारों द्वारा नकारा जाता रहा है। साथ ही यह पुस्तक मध्यमार्गी विमर्श के उन मौन आयामों का भी स्पष्ट चित्रण करती है जिसे मुखर हिस्से द्वारा पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया है जो 21वीं सदी की समकालीन राजनीति का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

यह पुस्तक भारतीय राजनीतिक संरचना में व्याप्त बहुलता, बहुसंख्यकवाद एवं उदारवादी लोकतंत्र की उन प्रवृत्तियों की व्याख्या करती है जिसमें रहकर संघ परिवार की हिन्दू एकता की परियोजना सफलतापूर्वक गतिमान रही है। यह पुस्तक अकादमिक रूप से

शिक्षाविदों, शोधार्थियों एवं उन सभी लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जिनकी रुचि लोकतन्त्र, राज्य राजनीति, जातीय राजनीति, संघ परिवार की हिन्दू परियोजना तथा हिन्दुत्व एवं सेकुलर सम्बंधी विषयों को जानने एवं समझने में हो।

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
के स्वामित्व एवं अन्य विवरण के सन्दर्भ में घोषणा

फार्म - 4 (नियम 8)

1.	प्रकाशन का स्थान	:	मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, 6, भरतपुरी प्रशासनिक प्रक्षेत्र, उज्जैन (म.प्र.) 456010
2.	प्रकाशन अवधि	:	अर्द्धवार्षिक
3.	मुद्रक का नाम	:	डॉ. यतीन्द्रसिंह सिसोदिया
	क्या भारत के नागरिक है?	:	हाँ
	(यदि विदेशी हैं तो मूल देश)	:	लागू नही
	पता	:	6, भरतपुरी प्रशासनिक प्रक्षेत्र, उज्जैन (म.प्र.) 456010
4.	प्रकाशक का नाम	:	डॉ. यतीन्द्रसिंह सिसोदिया
	क्या भारत के नागरिक है?	:	हाँ
	(यदि विदेशी हैं तो मूल देश)	:	लागू नही
	पता	:	6, भरतपुरी प्रशासनिक प्रक्षेत्र, उज्जैन (म.प्र.) 456010
5.	सम्पादक का नाम	:	डॉ. यतीन्द्रसिंह सिसोदिया
	क्या भारत के नागरिक है?	:	हाँ
	(यदि विदेशी हैं तो मूल देश)	:	लागू नही
	पता	:	6, भरतपुरी प्रशासनिक प्रक्षेत्र, उज्जैन (म.प्र.) 456010
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हो, तथा जो समस्त पूँजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों	:	निदेशक, मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान 6, भरतपुरी प्रशासनिक प्रक्षेत्र, उज्जैन (म.प्र.) 456010

मैं डॉ. यतीन्द्रसिंह सिसोदिया एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गये विवरण सत्य हैं।

डॉ. यतीन्द्रसिंह सिसोदिया
प्रकाशक के हस्ताक्षर

लेखकों के लिए अनुदेश

- म.प्र. सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जर्नल में प्रकाशन हेतु समाज विज्ञान के किसी भी पक्ष पर मौलिक शोध एवं साहित्य की समीक्षा पर आधारित विश्लेषणात्मक शोध आलेख आमंत्रित है। इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार सम्पादक, मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जर्नल, म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, 6 रामसखा गौतम मार्ग, भरतपुरी प्रशासनिक प्रक्षेत्र, उज्जैन - 456010 के नाम से किया जाये।
- शोध आलेख एमएस-वर्ड में ए-4 आकार के पेपर पर डबल स्पेस में कृतिदेव010 फोण्ट में टाइप होना चाहिए। शोध आलेख 5000 से 8000 शब्दों के बीच होना चाहिए। शोध आलेख के साथ 150 शब्दों में शोध आलेख का सारांश भी भेजें। शोध आलेख के साथ उसकी सॉफ्ट कॉपी सीडी में अथवा mpissrhindijournal@gmail.com पर ई-मेल करे।
- प्रकाशन हेतु प्राप्त प्रत्येक शोध आलेख की दो विषय विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जायेगी। समसामयिक प्रासंगिकता, स्पष्ट एवं तार्किक विश्लेषण, सरल एवं बोधगम्य भाषा, उचित प्रविधि आदि शोध आलेख के प्रकाशन हेतु स्वीकृति के मानदण्ड होंगे। किसी भी शोध आलेख को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सम्पादक का होगा।
- सभी टिप्पणियाँ एवं सन्दर्भ शोध आलेख के अंत में दिये जाएँ तथा शोध आलेख में यथास्थान उनका आवश्यक रूप से उल्लेख करें।

पुस्तकों के लिए सन्दर्भ हेतु निम्न पद्धति का अनुसरण करें

उपनाम, नाम (प्रकाशन वर्ष), पुस्तक का नाम, प्रकाशक, प्रकाशन स्थान, पृष्ठ

जर्नल्स के लिए सन्दर्भ हेतु निम्न पद्धति का अनुसरण करें

उपनाम, नाम (प्रकाशन वर्ष), 'आलेख का शीर्षक', जर्नल का नाम, अंक, खण्ड, प्रकाशक, प्रकाशन स्थान, पृष्ठ

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन

म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद्, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली तथा उच्च शिक्षा मन्त्रालय, मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्थापित स्वायत्त शोध संस्थान है। कार्य एवं स्वरूप की दृष्टि से मध्यप्रदेश में यह अपनी तरह का एकमात्र शोध संस्थान है। समाज विज्ञानों में समकालीन अन्तरशास्त्रीय संदृष्टि को बढ़ावा देते हुए मध्यप्रदेश में समाज विज्ञान मनीषा का सशक्त संवाहक बनना संस्थान का मूल उद्देश्य है।

अपनी संस्थापना से ही यह संस्थान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं विकास की विभिन्न समस्याओं, मुद्दों और प्रक्रिया ओं पर अन्तरशास्त्रीय शोध को संचालित व प्रोत्साहित करते हुए सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत महत्त्व की शोध परियोजनाओं को क्रियान्वित करता है।

संस्थान की शोध गतिविधियाँ मुख्यतः पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास, लैंगिक अध्ययन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से सम्बन्धित मुद्दे, विकास एवं संस्थापन, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र एवं मानवाधिकार, सूचना तकनीकी तथा समाज, शिक्षा एवं बाल अधिकार एवं नवीन आर्थिक नीतियाँ आदि संकेन्द्रण क्षेत्रों पर केन्द्रित हैं।

परिसंवादों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों आदि अकादमिक अनुष्ठानों का आयोजन, समाज विज्ञानों में अनुसन्धानपरक नवोन्मेष एवं नवाचारों का प्रवर्तन, मन्त्रालयों एवं अन्य सामाजिक अभिकरणों को परामर्श एवं शोधपरक सहयोग प्रदान करना संस्थान की अन्य प्रमुख गतिविधियाँ हैं। संस्थान में एक संवर्द्धनशील पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र है जिसमें समाज विज्ञानों पर पुस्तकें, शोध पत्रिकाएँ और प्रलेख उपलब्ध हैं।

संस्थान शोध कार्यों को अवसरिक पत्रों, विनिबन्धों, शोध-पत्रों एवं पुस्तकों के रूप में प्रकाशित करता है। इसके अतिरिक्त दो षाण्मासिक शोध जर्नल - मध्यप्रदेश जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज़ (अँग्रेजी) एवं मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल (हिन्दी) का प्रकाशन भी संस्थान द्वारा किया जाता है।

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पं.क्र. MPHIN/2003/10172 द्वारा पंजीकृत
म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान के लिए डॉ. यतीन्द्रसिंह सिसोदिया द्वारा 6, रामसखा गौतम मार्ग,
भरतपुरी प्रशासनिक प्रक्षेत्र, उज्जैन - 456010 (मध्यप्रदेश) से प्रकाशित एवं मुद्रित
सम्पादक - डॉ. यतीन्द्रसिंह सिसोदिया